



छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन
पर
राज्यपाल का प्रतिवेदन

वर्ष 2009—10

छत्तीसगढ़ शासन,
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर
राज्यपाल का प्रतिवेदन

वर्ष 2009-10

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
विभाग रायपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1	प्रारंभिक	1
2	प्रशासनिक संरचना	3
3	संरक्षणात्मक उपाय तथा विकास की योजनाएँ	10
3.1	वन विभाग	10
3.2	ऊर्जा विभाग	12
3.3	महिला एवं बाल विकास विभाग	13
3.4	कृषि विभाग	15
3.5	पशुपालन विभाग	21
3.6	मत्स्योद्योग विभाग	22
3.7	संस्कृति विभाग	25
3.8	गृह विभाग (पुलिस)	25
3.9	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	26
3.10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	28
3.11	जनशक्ति नियोजन विभाग	29
3.12	सहकारिता विभाग	31
3.13	समाज कल्याण विभाग	32
3.14	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	32
3.15	आबकारी विभाग	34
3.16	ग्रामोद्योग विभाग	35
3.17	जलसंसाधन विभाग	37
3.18	लोक निर्माण विभाग	37
3.19	आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग	40
3.20	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	45
3.21	जनसंपर्क विभाग	46
3.22	स्कूल शिक्षा विभाग	47

4	विकास कार्यक्रमों की समीक्षा	49
4.1	कृषि एवं उद्यानिकी विभाग	51
4.2	पशुपालन विभाग	52
4.3	मत्स्य विभाग	53
4.4	सहकारिता विभाग	55
4.5	वन विभाग	56
4.6	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	58
4.7	ऊर्जा विभाग	60
4.8	रेशम एवं ग्रामोद्योग विभाग	61
4.9	जल संसाधन विभाग	64
4.10	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	65
4.11	स्कूल शिक्षा विभाग	66
4.12	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	67
4.13	उच्च शिक्षा विभाग	77
4.14	जनशक्ति नियोजन विभाग	77
4.15	समाज कल्याण विभाग	79
4.16	महिला एवं बाल विकास विभाग	80
4.17	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	81
4.18	लोक निर्माण विभाग	82
4.19	राज्य योजना मण्डल	87
4.20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	88
4.21	चिकित्सा शिक्षा विभाग	89
4.22	संस्कृति विभाग	89
4.23	नगरीय प्रशासन एवं विकास	90
4.24	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	90
4.25	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	91
4.26	भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग	91
4.27	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग	91

5	विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	92
6	आदिम जाति मंत्रणा परिषद्	97
7	अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006	109
8.	अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों के लिये विशेष प्रावधान	111
9.	औद्योगिक नीति-2009	124
<u>परिशिष्ट</u>		
1 अ	प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र	134
1 ब	प्रदेश में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	135
2 अ	उपयोजना तथा अनुसूचित क्षेत्रों का परिदृश्य	136
2 ब	उपयोजना क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र की तुलनात्मक स्थिति	137
3 अ	अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं	138
3 ब	अनुसूचित क्षेत्र के विकासखंडों का वर्गीकरण	142
4 अ	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	144
4 ब	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत माडा पाकेट को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	153
4 स	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत लघुअंचल को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	160
4 द	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरणों को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	167

छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष – 2009–10

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244 (1) भाग 'ए' की कंडिका 3 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2009–10

अध्याय – 1

प्रारंभिक

1.1 1 नवम्बर सन् 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य मध्यप्रदेश से पृथक होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 18 जिले हैं, जो क्रमशः रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा (कबीरधाम), बस्तर, (मध्य बस्तर), नारायणपुर, दन्तेवाड़ा (दक्षिण बस्तर), बीजापुर, कांकेर (उत्तर बस्तर), बिलासपुर, जाजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, अम्बिकापुर-सरगुजा, कोरिया हैं। राज्य में कुल 146 विकासखण्ड हैं जिनमें आदिवासी विकास खण्डों की संख्या 85 है।

1.2 छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा क्षेत्र हैं। इनमें से 4 अनुसूचित जनजाति, 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें से 44 सीटें (34 अनुसूचित जनजाति और 10 अनुसूचित जाति के लिए) सुरक्षित हैं।

1.3 छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश के पूर्व में 17.00–23.70 अंश उत्तर अक्षांश तथा 80.40–83.38 अंश पूर्व देशांतर के मध्य में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ 135133 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 81,861.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 60.58 प्रतिशत है। अनुसूचित क्षेत्र राज्य के 13 जिलों में फैला हुआ है। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों का विवरण—परिशिष्ट-1(अ) एवं (ब) में दर्शित है।

1.4 राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (जनगणना 2001) 66.16 लाख है। जनगणना 2001 अनुसार उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या 91.45 लाख है, जिसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 54.34 लाख (59.42%) है। अनु. क्षेत्र की कुल जनसंख्या 80.03 लाख (जनगणना 2001) हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 48.84 लाख (60.42%) है। राज्य का सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत है।

1.5 प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का विकास आदिवासी उपयोजना की अवधारणा के अनुरूप किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोड़ हैं। इसकी विभिन्न उपजातियाँ


माड़िया, मुरिया, ढोरला, आदि है। इसके अतिरिक्त उरांव, कंवर, बिंझवार, बैगा, भतरा, कमार, हल्बा, सवरा, नागेशिया, मंझवार, खरिया और धनवार जनजाति बड़ी संख्या में है, अन्य जनजातियों की संख्या बहुत कम है। प्रदेश में 0.88 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के रूप में मान्य है। यह प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.12 प्रतिशत है। प्रदेश का सम्पूर्ण आदिवासी उपयोजना क्षेत्र प्रशासकीय दृष्टि से 19 एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं, 9 माडा पाकेट तथा 2 लघु अंचलों में विभक्त है, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत कुल 18 जिले (9 पूर्ण एवं 9 आंशिक) एवं 85 आदिवासी विकास खण्ड पूर्ण रूप से तथा 27 सामुदायिक विकास खण्ड आंशिक रूप से शामिल हैं। अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-2 (अ) 2 (ब)** पर दर्शाया गया है।

1.6 छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों यथा बैगा, कमार, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर तथा अबूझमाड़ियों का निवास है। इन जनजातियों के आर्थिक सामाजिक एवं क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में 6 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण गठित है। वर्ष 2002 में हुए बेस लाईन सर्वे के अनुसार प्रदेश में इनकी जनसंख्या 1.14 लाख है।

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002-03 में पंडों तथा भुजिया जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के समतुल्य मानते हुए इनके लिए पृथक-पृथक अभिकरण क्रमशः सूरजपुर (सरगुजा) में पंडो जनजाति के लिए तथा गरियाबंद (रायपुर) में भुजिया जनजाति के लिए गठित किए गए हैं। विकास अभिकरणों के माध्यम से इन जनजातियों हेतु सामान्य जनजातियों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ ही साथ अतिरिक्त सुविधायें जैसे अधोसंरचना मूलक, समुदाय मूलक तथा परिवार मूलक कार्य संपादित किए जा रहे हैं।

अध्याय-2

विभाग की संरचना



2.1.1 राज्य स्तर (मंत्रालय)

विभाग का प्रमुख प्रशासकीय पद सचिव का है। राज्य स्तर पर अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित राज्य शासन के समस्त संबंधित प्रशासकीय विभागों के विकास कार्यक्रमों / योजनाओं की समीक्षा की जाती है। इस समीक्षा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन कार्य लिए जाए तथा योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो तथा इन क्षेत्रों के विकास के लिए प्राप्त आवंटन का उपयोग उन्हीं क्षेत्रों के विकास में हो।

2.1.2 विभागाध्यक्ष

विभाग में सचिव के बाद आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के प्रशासनिक दायित्व का विभागाध्यक्ष के रूप में निर्वहन आयुक्त के द्वारा किया जाता है। विभागाध्यक्ष द्वारा आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के विकास के साथ-साथ आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए आयोजना निर्माण तथा इस कार्य हेतु अन्य विकास विभागों से समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल के रूप में कार्य किया जाता है। विभागाध्यक्ष का प्रमुख दायित्व विभाग के बजट का नियंत्रण होता है।

2.1.3 विभाग का दायित्व

1. संविधान की पाँचवी अनुसूची के अंतर्गत प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन और आदिवासियों के हितों के संरक्षण के लिए प्रहरी की भूमिका अदा करना।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु योजनाओं का संचालन।
3. आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकास विभागों को बजट उपलब्ध कराना, नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एवं विकास योजनाओं का अनुश्रवण व मूल्यांकन।
4. आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शैक्षिक संस्थाओं का संचालन।
5. विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु योजनाओं का निर्माण तथा इनका क्रियान्वयन।
6. विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।

2.1.4 विभाग का कार्य

1. विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासकीय कार्य।
2. मांग संख्या- 41, 42, 68, 77 एवं 82 के अंतर्गत आदिम जाति कल्याण से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।

3. उपयोग क्षेत्र में शैक्षिक संस्थाओं एवं शिक्षा की अन्य प्रोत्साहनकारी योजनाओं का संचालन।
4. अनुसूचित जाति की योजनाओं हेतु मांग संख्या 64, 15 एवं 49 अंतर्गत बजट आवंटन उपलब्ध कराना तथा योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
5. आदिवासी उपयोग तथा विशेष घटक योजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को बजट आवंटन उपलब्ध कराना एवं योजनाओं का अनुश्रवण।
6. विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का निर्माण, पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
7. विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन।
8. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।
9. अनुसूचित जाति, जनजाति के जाति प्रमाण-पत्रों का परीक्षण/सत्यापन।
10. राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के क्रियान्वयन की समीक्षा।

2.1.5 जिला स्तर

1. विभागीय जिला स्तरीय कार्यालय:—

प्रदेश में सभी 18 जिलों में विभागीय जिला कार्यालय स्थापित है।

2. सहायक आयुक्त :—

जिला स्तर पर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी 18 जिलों में सहायक आयुक्त पदस्थ है।

3. परियोजना स्तर :—

आदिवासी उपयोग के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त आवंटन से स्थानीय आवश्यकतानुरूप कार्यों का निर्धारण एवं एजेन्सी के माध्यम से कार्यों का निष्पादन का दायित्व एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, माडा तथा लघु अंचल का है। वर्तमान में राज्य में 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ, 9 माडा पॉकेट तथा 2 लघु अंचल संचालित हैं।

2.1.6 विकासखण्ड स्तर

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी :—

राज्य के 85 विकास खण्ड, आदिवासी विकास खण्ड के रूप में घोषित हैं, जिनमें विभागीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदस्थ है। इनके द्वारा विभाग की

योजनाओं के साथ-साथ अन्य विकास विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जाता है।

त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इन विकास खण्डों को जनपद पंचायतों के अधीन कर दिया गया है।

2. खण्ड शिक्षा अधिकारी :-

राज्य के आदिवासी विकासखण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी पदस्थ है। विकासखण्ड स्तर पर शैक्षिक क्रियाकलापों के समुचित क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व इस अधिकारी का है।

2.1.7 परियोजना स्तर :-

1. एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के लिए प्रदेश में परियोजना प्रशासक के कुल 19 पद स्वीकृत हैं।
2. प्रदेश में निवासरत 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए जिला स्तरीय 6 विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरणों में से 4 अभिकरण परियोजना प्रशासक के नियंत्रण में तथा 2 अभिकरण सहायक आयुक्त के नियंत्रण में कार्यरत हैं।

2.1.8 जनजातीय अनुसंधान संस्थान एवं जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाए :-

अ. आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान :-

भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, इनके रीति-रिवाज, रहन-सहन तथा अन्य सांस्कृतिक व अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गों के विकास हेतु योजना बनाने में कठिनाई महसूस हुई थी। इसे ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार ने 1954 में पुराने म.प्र., उड़ीसा, बिहार एवं पं. बंगाल राज्य सरकारों को आदिम जाति अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिये थे।

छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का 31.6 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों की है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुशंसा अनुसार देश के 15 वें आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के रूप में इस संस्थान का गठन राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत किया गया।

संस्थान का प्रमुख कार्य :-

- 1 अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधारभूत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अध्ययन करना है।

- 2 अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर, इनके निराकरण हेतु शासन को सुझाव देना।
- 3 अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
- 4 अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिए राज्य शासन को प्राप्त अभ्यावेदनों का इथनोलॉजिकल, एन्थ्रोपोलॉजिकल परीक्षण कर शासन को अभिमत देना।
- 5 माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण-पत्रों की जांच करना।
- 6 जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों तथा आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थ विभिन्न विकास विभागों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना।
- 7 अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला एवं संगोष्ठी का आयोजन करना।
- 8 आदिवासी संग्रहालय स्थापित कर जनजातियों की संस्कृतियों का संरक्षण एवं संवर्धन करना।

2009-10 में संस्थान द्वारा संपादित कार्य

1. सर्वेक्षण/अनुसंधान कार्य

1. अनुसूचित जनजातियों के लिये मानव विकास संकेतक (छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में) एक अध्ययन।
2. भुईया, भुइहर जाति का नृजातीय अध्ययन किया गया।
3. पठारी जाति का नृजातीय अध्ययन किया गया।

2. अनुसूचित जाति/जनजातियों के जाति प्रमाण-पत्रों की जांच

✳ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में (इंजीनियरिंग, मेडिकल, आयुर्वेद, पॉलिटेक्नीक) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों/पदों पर प्रवेश/नियुक्ति हेतु 1,06,412 (अनुसूचित जनजाति के 44,135) अर्थार्थियों के जाति प्रमाण-पत्रों की जांच की गई।

✳ फर्जी/गलत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी करने संबंधी शिकायतों के 26 प्रकरणों की जांच कर आदेश पारित किये गये

ब. आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनायें :-

1. आदिवासी समुदाय की समस्याओं को दूर कर इन्हें विकास की ओर अग्रसर करने हेतु योजनाओं का निर्माण करना।

2. आदिवासी विकास हेतु संचालित योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
3. एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना माडा/लघु अंचल एवं विशेष पिछड़े अभिकरणों के माध्यम से आदिवासी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
4. आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न विकास विभागों को प्रदत्त राशि एवं संचालित कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

2.2 विभिन्न विकास विभागों की प्रशासनिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

संविधान की मंशानुसार घोषित अनुसूचित क्षेत्र में बेहतर कार्मिक-प्रशासनिक व्यवस्था की जाना है। अनुसूचित क्षेत्र सरल किन्तु संवेदनशील क्षेत्र होता है। इन क्षेत्रों में जनजातियों की प्रशासन के प्रति आस्था व विश्वास होना अति आवश्यक है।

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्र एवं सामान्य क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की गई है तथापि अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ शासकीय अमले को कुछ सुविधाएं व रियायते नियमानुसार उपलब्ध करायी जा रही है। शासन का यह प्रयास है कि अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पदों की पूर्ति प्राथमिकता से की जाए।

2.2.1 अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत शासकीय सेवकों को दी जाने वाली सुविधाएं:-

अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन के उन्नयन तथा योग्य शासकीय सेवकों की पद स्थापना सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा पूर्व में लागू की गई व्यवस्था प्रतिवेदन वर्ष में निरंतर रही। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है:-

1. अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को परियोजना भत्ता दिया जाता है।
2. प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को अपने गृह नगर के लिए उपलब्ध कराई जा रही अवकाश यात्रा सुविधा में सामान्य क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को प्रथम 80 किलोमीटर की यात्रा का व्यय वहन करना पड़ता है परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में अपने गृह जिले से बाहर पदस्थ कर्मचारियों के प्रकरण में दूरी का यह प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है तथा अपने गृह जिले में पदस्थ कर्मचारियों के लिए दूरी का प्रतिबंध घटाकर 20 किलोमीटर किया गया है।

(संलग्न परिशिष्ट 3 (अ) एवं (ब))

3. अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु निःशुल्क छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
4. अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ सभी विभागों के सभी श्रेणी के कर्मचारियों को 10 दिन का अतिरिक्त अर्जित अवकाश तथा 7 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2.2.2 अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पद प्राथमिकता से भरे जाने तथा प्रत्येक विभाग के अधिकारी को अपनी सेवा अवधि में अनिवार्य रूप से अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ रहकर सेवा देने, का निर्णय लिया गया।

अध्याय – 3

संरक्षणात्मक उपाय तथा विकास की योजनाएँ

भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के संरक्षणात्मक तथा विकासात्मक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर व्यापक प्रावधान किये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 244 द्वारा शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की ओर ध्यान दिया गया है। इन वर्गों के हित-संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए अनुच्छेद 388 द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त करने तथा अनुच्छेद 339 में मुख्यतः आदिवासी कल्याण हेतु योजनाएं बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने का प्रावधान किया गया है। इन वर्गों के प्रति भेदभाव समाप्त करने, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने की दृष्टि से ही अनुच्छेद 15 (2), 17 एवं 25 में विशिष्ट प्रावधान वर्णित हैं। विधान सभा एवं संसदीय क्षेत्र का आरक्षण अनुच्छेद 334, में एवं अनुच्छेद 335 द्वारा सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है इन प्रावधानों को दण्डात्मक प्रक्रिया द्वारा विशेष प्रभावी भी बनाया गया है।

संवैधानिक संरक्षणात्मक नीति को राज्य में कड़ाई से लागू करने तथा क्षेत्र में आदिवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए योजनाएँ बनाने एवं उनके कारगर क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य की यह मंशा है कि योजनाएँ न केवल परिणाम मूलक हो वरन् इनमें पारदर्शिता, सुस्पष्टता तथा गतिशीलता का होना भी आवश्यक है।

राज्य के विभिन्न विकास विभागों के द्वारा संचालित संरक्षणात्मक तथा विकास की योजनाएँ:-

3.1 वन विभाग :-

3.1.1 पर्यावरण वानिकी :- शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने हेतु इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पौधा रोपण एवं उद्यानों के रखरखाव का कार्य किया जाता है। योजना अंतर्गत 2009-10 में 500.00 लाख के विरुद्ध 476.13 लाख रुपये व्यय किया गया।

3.1.2 बिगड़े वनों का सुधार :- छ0ग0 राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44.2% भू-भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रदेश के लगभग 30% वन क्षेत्र का घनत्व 40% कम है तथा इन्हें बिगड़े वनों की परिभाषा में रखा गया है। वनों पर जैविक दबाव बढ़ने के फलस्वरूप बिगड़े वनों के सुधार का कार्य प्रति वर्ष लिया जाता है। इसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों में पर्याप्त जल भण्डार होता है, वहां वन वर्धनिक कार्यों से नये वृक्ष तैयार किए जाते हैं। उपरोक्त कार्य कराने हेतु संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इस कार्य से जनजातीय लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं एवं रोजगार प्राप्त होने से वन क्षेत्रों में पुनः अतिक्रमण कर आजिविका चलाने की मानसिकता भी नहीं रहती है तथा भविष्य के लिए इन क्षेत्रों में निस्तार हेतु वनोपज की उपलब्धता भी सुनिश्चित होती है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में कुल 35600 हेक्टेयर में क्षेत्र की तैयारी 45300 हेक्टे.क्षेत्र में रोपण एवं 59000 हे.क्षेत्र में रख रखाव रोपण का कार्य किया गया योजना अंतर्गत 2009-10 में 3100.00 लाख के विरुद्ध 3057.67 लाख रुपये व्यय किया गया।

3.1.3 ग्राम वन समितियों के माध्यम से औषधि रोपण :- औषधि पौधों एवं अन्य लघु वनोपज के संरक्षण, विकास, संग्रहण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन में सुधार संबंधी कार्य किया जाता है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 में 3300 हे. क्षेत्र में तैयारी एवं 2900 हे.क्षेत्र में रखरखाव कार्य किया गया। इस हेतु 700.00 लाख रुपये के विरुद्ध 718.47 लाख रु.का व्यय किया गया।

3.1.4 सामाजिक वानिकी :- इस योजना के अंतर्गत गैर वानिकी क्षेत्रों में रोपण कार्य तथा कृषकों को कृषि वानिकी हेतु प्रोत्साहन देने का कार्य किया जाता है। योजना अंतर्गत 2009-10 में 950 हेक्टेयर क्षेत्र में रखरखाव का कार्य एवं 970 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण एवं 800 हेक्टेयर क्षेत्र में तैयारी का कार्य किया गया। योजनान्तर्गत 209.04 लाख रुपये व्यय किया गया।

3.1.5 लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना :- प्रदेश की जैव विविधता को अक्षुण्ण रखते हुए उसके सतत् उपयोग से स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के सुदृढीकरण हेतु लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। योजना अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में औषधी पौधों एवं अन्य लघु वन उपज के संरक्षण, विकास, संग्रहण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन में सुधार संबंधी कार्य कराया जाता है। योजना अंतर्गत 2009-10 में 204.30 लाख रुपये व्यय किया गया है।

3.1.6 अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले रोपण :- इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1980 के पूर्व वन भूमि के अतिक्रमकों को पट्टा वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा लगाई गई वृक्षारोपण की शर्त की पूर्ति के लिए वृक्षारोपण एवं उसके रखरखाव का कार्य किया जाता है योजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 में 1650 हे. क्षेत्र में तैयारी 740 हे. क्षेत्र में रोपण तथा 3600 हे. क्षेत्र में रखरखाव का कार्य किया गया। इस हेतु आर्थिक लक्ष्य 250.00 लाख रुपये के विरुद्ध 245.86 लाख रुपये व्यय किया गया।

3.1.7 जैव विविधता का संरक्षण :- राज्य के विपुल जैव विविधता को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए वन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। योजना अंतर्गत जैव विविधता संरक्षण हेतु सभी संबंधित शासकीय विभागों, विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधानकर्ताओं के मध्य समन्वय स्थापित करने, जन सामान्य को इस महत्वपूर्ण विधा पर संवेदनशील बनाने के लिए सेमीनार, कार्यशाला का आयोजन किया जाता है।

3.1.8 सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य :- इस योजना के अंतर्गत वन विभाग के विभिन्न स्तर पर कार्यालय निर्माण, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु आवासीय भवनों का एवं

मार्गों का निर्माण कराया जाता है। विभाग का कार्य क्षेत्र दूरस्थ अंचलों तक फैला हुआ है। वहां कार्यालयीन एवं आवासीय भवनों एवं मार्गों का निर्माण कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक होता है। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में रु. 750.00 के विरुद्ध 754.23 लाख रुपये व्यय किया जाकर 195 भवनों का निर्माण किया गया।

3.1.9 वनोपज संग्रहण हेतु गोदामों का निर्माण :- इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लघु वनोपज संघ को गोदाम हेतु ऋण अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है।

3.1.10 क्षेत्र अभिमुख जलाऊ लकड़ी एवं चारा कार्यक्रम :- इस योजना के अंतर्गत जिन जिलों में कम वनक्षेत्र हैं, वहां जलाऊ लकड़ी एवं चारागाहों का विकास कार्य कराया जाता है।

3.1.11 प्रोजेक्ट टाईगर :- प्रदेश के अंतर्गत इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान, प्रोजेक्ट टाईगर घोषित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणियों के विकास एवं रखरखाव हेतु कार्य कराया जाता है।

3.1.12 लघुवनोपज कार्य हेतु लघुवनोपज संघ को अनुदान :- इस केन्द्र क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लघु वनोपज के संग्रहण एवं प्रसंस्करण हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान देने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है। योजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 हेतु 200.00 लाख रुपये व्यय किया गया।

3.2 ऊर्जा विभाग

3.2.1 सौर फोटोवोल्टाईक प्रणाली :- वर्ष 2009-10 में क्रेडा द्वारा सौर फोटोवोल्टाईक परियोजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में 120 होमलाईट सड़कबत्तियां, 40 सामुदायिक प्रकाश संयंत्र तथा 05 सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। आलोच्य वर्ष में मार्च 2010 तक 196 होमलाईट, सड़कबत्तियां, 12 सामुदायिक प्रकाश संयंत्र तथा 23 सोलर पंप का कार्य पूर्ण हो चुका है।

3.2.2 बायोगैस :- बायोगैस कार्यक्रम में वर्ष 2009-10 में लगभग 723 घरेलु बायोगैस संयंत्रों व दो संस्थागत बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का कार्य क्रेडा द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में किया गया है।

3.2.3 ग्रामीण विद्युतीकरण :- वनांचलो के आदिवासी क्षेत्रों में स्थित अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण सौर ऊर्जा के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2009-10 में कुल 129 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य क्रेडा द्वारा किया गया।

3.2.4 छात्रावास आश्रमों का विद्युतीकरण :- आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित 157 आदिवासी आश्रमों तथा छात्रावासों का सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण किया गया।

3.2.5 अनुसूचित जनजाति कृषकों के कुंओं तक विद्युत लाइन का विस्तार :- इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उनके कुंओं तक विद्युत लाइन के विस्तार हेतु राज्य शासन से अनुदान दिया जाता है योजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 में रु. 4000.00 लाख राज्य शासन से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को अनुदान प्राप्त हुआ शेष राशि मंडल के आंतरिक संसाधनों से व्यय की गई जिसके विरुद्ध 35210 अनुसूचित जनजाति के कृषकों को लाभान्वित किया गया।

3.3 महिला एवं बाल विकास विभाग

3.3.1 आयुष्मति योजना :- ग्रामीण क्षेत्र की भूमिहीन परिवार की गरीब महिलाओं एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली बीमार महिलाओं को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, खण्ड स्तरीय चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 1 सप्ताह तक उपचार हेतु भर्ती रहने पर 400 रुपये तथा एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने पर 1000 रुपये तक की चिकित्सा सुविधा व पौष्टिक आहार आदि उपलब्ध कराया जाता है वर्ष 2009-10 की स्थिति में 5701 अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया एवं 34.44 लाख की राशि का व्यय किया गया है।

3.3.2 महिला जागृति शिविर :- महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों तथा योजनाओं के प्रति जागरूक करने हेतु महिला जागृति शिविर आयोजित किये जाते हैं। योजना का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक एवं सक्रिय बनाना तथा विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को संगठित करना है। वर्ष 2009-10 में कुल 60600 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को लाभान्वित किया गया एवं 49.89 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

3.3.3 स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान :- महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक स्वयं सेवी संस्थाओं को विभिन्न महिला एवं बाल कल्याण की गतिविधियों के संचालन हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

3.3.4 दिशा भ्रमण कार्यक्रम :- इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सफल महिला स्व.सहायता समूह, सफल उद्यमियों, क्षेत्र विशेष की विशिष्ट उपलब्धियों का अवलोकन कराकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में योजनान्तर्गत 25527 महिलाओं

को लाभान्वित किया गया रू.4.00लाख के आवंटन के विरुद्ध रू. 4.00 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

3.3.5 पूरक पोषण आहार व्यवस्था :- पूरक पोषण आहार की चावल आधारित विकेन्द्रीकृत व्यवस्था 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई है जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6वर्ष के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन (चावल, दाल, सब्जी, गुड़ प्रोसेस्ड सोयाबीन) एवं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती व शिशुवती माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को सप्ताह में एक दिन टेक होम राशन पद्धति से पूरक पोषण आहार के रूप में चावल, दाल, गुड़ प्रोसेस्ड सोयाबीन दिया जा रहा है। वर्ष 2009-10 में लगभग 2362371 लाख हिताग्राहियों को कार्यक्रम का लाभान्वित किया गया है जिसमें 7853.99 लाख की राशि व्यय की गई।

आयरन फोर्टिफाईड साल्ट :- महिलाओं एवं बच्चों में आयरन की कमी को दृष्टिगत रखते हुए भारत शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग में संचालित पोषण आहार कार्यक्रम में आयरन फोर्टिफाईड साल्ट का प्रयोग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संबंध में त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए प्रत्येक हितग्राही को प्रतिमाह 500 ग्राम के मान से आयरन फोर्टिफाईड साल्ट, टेक होम राशन की पद्धति से प्रदाय किया जा रहा है।

3.3.6 राज्य की पोषण आहार नीति :- छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं तथा बच्चों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों से समन्वय करते हुए एक समग्र आहार नीति तैयार की गई है। जिसे मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। इसमें संबंधित विभागों के दायित्वों को निर्धारित किया गया है। राज्य की सुपोषण नीति के अंतर्गत छ0ग0 राज्य के पृष्ठ भूमि एवं स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी सकारात्मक पहलुओं को शामिल किया गया है। इस नीति का लक्ष्य 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के पोषण लक्ष्यों पर आधारित है। जिसमें महिलाओं एवं बच्चों के कुपोषण की स्थिति में सुधार लाने हेतु एक सशक्त प्रयास किया जाना है।

नेशनल न्यूट्रीशन मिशन अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं हेतु योजना (एनपीएजी) :- नेशनल न्यूट्रीशन मिशन के अंतर्गत योजना आयोग भारत शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में 35 किलोग्राम से कम वजन की किशोरी बालिकाओं को निःशुल्क प्रति माह 6 किलो अनाज प्रति हितग्राही के मान से प्रदाय किया जाना प्रारंभ किया गया था। राज्य शासन द्वारा मिनीमाता पोषण आहार योजना अन्तर्गत प्रति हितग्राही अतिरिक्त रूप से 4 किलो अनाज अर्थात् कुल 10 किलोग्राम अनाज प्रति हितग्राही प्रतिमाह दिए जाने का निर्णय लिया गया था। इसमें से 4 किलो अनाज पर होने वाले व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जावेगा। योजना का उद्देश्य हितग्राहियों के खानपान की आदतों में सुधार उन्हें पौष्टिक खाद्य पदार्थों का महत्व व उपयोग बताना, कुपोषण से मुक्त करना तथा स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर

हितग्राहियों के स्वास्थ्य स्तर में निरंतर निगरानी कर अपेक्षित सुधार लाना है। **छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005** :- महिलाओं को टोनही के रूप में चिन्हित कर उन्हें उत्पीड़ित किये जाने की घटनाओं को रोकने एवं इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन हेतु छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 लागू किया गया है।

छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या विवाह योजना :- यह अभिनव योजना राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना एवं सादगी पूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से निर्धनों के मनोबल/ आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन-देन की रोकथाम करना है।

योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को 4000/- रु. तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में दी जाती है। सामूहिक विवाह आयोजन के लिए प्रति कन्या राशि रु. 1000/- तक व्यय की जा सकती है। इस प्रकार योजना अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 5000/- रु. की सहायता राशि व्यय होगी। वित्तीय वर्ष 2009-10 में कुल 1689 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इसमें रु. 84.46 लाख की राशि व्यय की गई।

राज्य महिला आयोग :- प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है।

3.4 कृषि विभाग

जनजातीय अर्थ व्यवस्था प्रमुखतः कृषि आधारित होने के कारण जनजातीय विकास में कृषि विभाग के कार्यक्रमों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। विभाग का प्रमुख उद्देश्य प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि कर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है ताकि कृषक आर्थिक रूप से सम्पन्न हो सकें। कृषकों के समग्र विकास के लिए भूमि एवं जल प्रबंध, सिंचाई सुविधा में बढ़ोत्तरी, उपयुक्त प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत बढ़ाने, जैविक खाद की उपयोगिता बताने, फसलों की कीटव्याधि सुरक्षा का ज्ञान देने, उन्नत तकनीक का विकास करने एवं कृषकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने, कृषि विस्तार कर्मियों के साथ-साथ कृषकों को भी कृषि की नवीनतम तकनीक से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण देने आदि कार्यक्रम कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं।

3.4.1 अन्नपूर्णा योजना :- यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति के कृषकों को बीज अदला-बदली घटक में एक हेक्टेयर सीमा तक उन्नत बीज, बीज स्वावलंबन अंतर्गत 1/10 रकबे के लिये आधार बीज एवं बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत अनाज फसलों का बीज उत्पादन हेतु विभागीय कृषि प्रक्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

3.4.2 सूरजधारा योजना :- यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति के कृषकों को बीज अदला-बदली घटक में एक हेक्टेयर सीमा तक उन्नत बीज, बीज स्वावलंबन अंतर्गत 1/18 रकबे के लिये आधार बीज एवं बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत दलहन/तिलहन फसलों का बीज उत्पादन हेतु विभागीय कृषि प्रक्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

3.4.3 नाडेप विधि से कम्पोस्ट खाद बनाना :- यह राज्य पोषित योजना है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये अनुसूचित जनजाति के कृषकों को टाका निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अधिकतम 800 रूपया प्रति टाका अनुदान दिया जाता है।

3.4.4 वानस्पतिक ईंधन विकास कार्यक्रम :- यह राज्य पोषित योजना है। आदिवासी कृषकों को रतनजोत के पौधे लगाने हेतु 10 रू.प्रति पौधे अनुदान दिया जाता है।

3.4.5 राज्य गन्ना विकास योजना :- यह राज्य पोषित योजना है। इस योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति के कृषकों को भी उन्नत बीज क्य, टिश्यू कल्चर पौधे, पौध संरक्षण यंत्र, आदान सामग्री तथा कृषक भ्रमण एवं गन्ना बीज परिवहन हेतु अनुदान दिया जाता है।

3.4.6 बीज बैंक योजना :- यह राज्य पोषित योजना है। इस योजनांतर्गत स्वयं के बीज /अनाज के बदले उन्नत प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाता है।

3.4.7 बीज अनुदान योजना :- यह राज्य पोषित योजना है। इस योजनांतर्गत प्रमाणित बीज वितरण तथा उत्पादन पर अनाज फसलों के लिए रूपये 200/- रू प्रति क्विंटल अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।

3.4.8 अशासकीय संस्थाओं को सहायता अनुदान :- यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत रामकृष्ण मिशन आश्रम ब्रेहबेड़ा नारायणपुर द्वारा सुदूर अंचल में बसे आदिवासी कृषकों को कृषि संबंधी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण दिया जाता है।

3.4.9 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना :- राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत सूखे की स्थिति निर्मित होने पर बीमित हितग्राहियों को फसल की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है।

3.4.10 दंडकारण्य (बस्तर) में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना

:- यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत जगदलपुर में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित है। प्रयोगशाला में जिलों से प्राप्त मिट्टी नमूनों का परीक्षण कर परिणाम प्रेषित किया जाता है। साथ ही उचित उर्वरक उपयोग की अनुशंसा किया जाता है। रसायन यंत्र उपकरण आदि पर व्यय किया जाता है।

3.4.11 वृष्टि छायाक्षेत्र की इंदिरा खेत गंगा योजना :- यह राज्य पोषित

योजना है। योजनांतर्गत आदिवासी कृषकों को सफल/असफल नलकूप खनन पर रूपये 18,000 एवं सफल होने पर पंप प्रतिस्थापना हेतु रूपये 25,000 कुल राशि 43,000 रूपये अनुदान देय है।

3.4.12 शाकम्बरी योजना:- यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत लघु एवं

सीमांत (आदिवासी) वर्ग के कृषकों को कुआं निर्माण पर 50 प्रतिशत तथा 05 अश्व शक्ति तक के डीजल/विद्युत पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

3.4.13 लघु सिंचाई माइक्रोमाइनर सिंचाई योजनायें :- यह राज्य पोषित

योजना है। योजनांतर्गत परकोलेशन टैंक, लघु, सिंचाई तालाब तथा वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण किया जाता है।

3.4.14 नलकूप स्थापना पर अनुदान :- यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत

नाबार्ड द्वारा अनुमोदित दर पर नलकूप खनन (सफल/असफल) पर 50 प्रतिशत या रूपये 10,000 जो भी कम है अनुदान देय है। सफल नलकूप पर पंप प्रतिस्थापन पर 50 प्रतिशत या रूपये 15,000 अनुदान जो भी कम हो देय है।

3.4.15 भू-जल संवर्धन योजना :- यह योजना वर्ष 2008-09 से लागू है। यह योजना

जहां भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चला गया है वहां कूप एवं नलकूप के पुर्नभरण कार्य द्वारा भू-जल संवर्धन किया जाता है। यह योजना सभी श्रेणी के लघु सीमांत एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 5000 अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

3.4.16 आईसोपाम विकास योजना :- यह भारत सरकार की 75:25 अनुपात की योजना है। इसके अंतर्गत दलहन, तिलहन एवं मक्का फसलों के क्षेत्र में वृद्धि तथा उत्पादन उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित है। उन्नत बीज वितरण उन्नत तकनीकी प्रदर्शन, खंड प्रदर्शन, सिंचाई हेतु स्पिंकलर तथा पाईप आदि आदान सामग्री के उपयोग से कृषकों को इसकी खेती हेतु प्रोत्साहन किया जाना योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

3.4.17 सघन जिला कपास विकास कार्यक्रम :- यह भारत सरकार की 75:25 अनुपात की योजना है। राज्य में कपास की खेती को बढ़ावा देने हेतु योजना क्रियान्वित किया जाना है।

3.4.18 माईक्रोमैनेजमेंट वर्किंग प्लान :- यह भारत सरकार की 90:10 अनुपात की योजना है। योजनांतर्गत एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम, सतत गन्ना विकास कार्यक्रम, उर्वरकों के संतुलित एवं समन्वित उपयोग, राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र परियोजना, नदी घाटी एवं बाढ़ उन्मुख योजना, न्यु इंटरवेशन एवं कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित है।

3.4.19 सूक्ष्म सिंचाई योजना :- यह योजना सिंचाई पानी के बेहतर उपयोग एवं उद्यानिकी तथा नगदी फसलों को बढ़ावा देने हेतु सभी श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषकों को 70 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 5 हेक्टेयर हेतु अनुदान देने का प्रावधान है।

3.4.20 राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना :- यह भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता योजना है। योजनांतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभागीय कृषि प्रक्षेत्रों पर अ.जा./अ.ज.जा कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

नक्सलवाद से प्रभावित ग्रामों का फसल कार्यक्रम :- कृषि विभाग द्वारा नक्सलवाद प्रभावित अनुसूचित जनजाति के आर्थिक उत्थान हेतु नक्सलवाद से प्रभावित ग्रामों का फसल कार्यक्रम योजना क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2007-08 से दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में नक्सलवाद के कारण कृषक अपने गांव एवं अपनी कृषि भूमि से दूर विशेष शिविरों में रह रहे हैं उन्हें कृषि कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजनांतर्गत जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को निःशुल्क बीज एवं ट्रेक्टर जुताई हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 में धान एवं मक्का के कुल 2820.00 क्विंटल बीज

वितरण किया गया है तथा 2186.00 एकड़ में जुताई की गई है। वर्ष 2010-11 हेतु धान 3430 क्विंटल तथा मक्का 110 क्विंटल बीज वितरण तथा 2562 एकड़ में जुताई का कार्यक्रम है।

उद्यानिकी

3.4.21 घरेलू बागवानी की आदर्श योजना :- इस योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले कृषकों को उनके निवास के साथ उपलब्ध भूमि में रोपण हेतु 4 से 5 प्रकार के सब्जी बीज कुल रूपये 25 के उपलब्ध कराये जाते हैं।

वर्ष 2009-10 में 112000 परिवारों को इस योजनांतर्गत लाभान्वित किया जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए कुल राशि रु. 28.00 लाख का वित्तीय प्रावधान किया गया है, जिसके विरुद्ध 28.00 लाख व्यय हुए एवं कुल 109155 परिवार लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 32577 एवं अजा के 19624 परिवार लाभान्वित हुए हैं। योजनांतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत 52640 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

3.4.22 फलोद्यान विकास योजना :- प्रदेश में विभिन्न फलदार वृक्षों का रोपण कर फलोद्यान विकसित किये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2009-10 में राशि रु. 195.00 लाख के वित्तीय प्रावधान के साथ 1941.00 हे. क्षेत्र में फलोद्यान विकास का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें विरुद्ध 179.72 लाख व्यय हुए एवं 2373 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 580 कृषक एवं अजा के 428 कृषक लाभान्वित हुए हैं। योजनांतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत 1541 कृषक लाभान्वित हुए हैं।

3.4.23 सब्जी विकास योजना :- प्रदेश में जन सामान्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सब्जी उत्पादन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। विभिन्न किस्मों की सब्जियों के संकर (हाईब्रिड) बीज का उपयोग कर सब्जी उत्पादन की तकनीक से कृषकों को अवगत कराने के उद्देश्य से 50 प्रतिशत अनुदान पर संकर (हाईब्रिड) सब्जी बीज वितरण कार्यक्रम संचालित किया जाता है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2009-10 में 2733.00 हेक्टेयर क्षेत्र में राशि रु. 41.00 लाख के वित्तीय प्रावधान से संकर सब्जी बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य के विरुद्ध 40.73 लाख व्यय हुए एवं भौतिक लक्ष्य कि शतप्रतिशत पूर्ति हुई। योजनांतर्गत कुल 4700 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 2127 एवं अजजा के 640 कृषक लाभान्वित हुए एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत 2438 कृषक लाभान्वित हुए हैं।

3.4.24 आलू विकास योजना :- विभिन्न सब्जियों में आलू एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विगत वर्षों में आलू के मूल्य में अत्याधिक वृद्धि परिलक्षित हुई है। राज्य में किसानों में आलू फसल

के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आलू विकास योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2009-10 में प्रदेश के कृषकों के प्रक्षेत्र पर 20,000.00 आलू प्रदर्शन आयोजित किये जाने का लक्ष्य रखा गया। जिसके लिए राशि रू. 100.00 लाख का वित्तीय प्रावधान के विरुद्ध रू. 99.80 लाख राशि व्यय हुई एवं कुल 17580 परिवार लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 7498 एवं अजा के 2056 कृषक लाभान्वित हुए हैं। योजना में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत 10045 कृषक लाभान्वित हुए हैं।

3.4.25 नर्सरी में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम :- प्रदेश के अजजा क्षेत्रों के कृषकों को उन्नत सब्जी बीज उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2009-10 में राशि रू.66.00 लाख के विरुद्ध रूपये 65.97 लाख व्यय हुए। यह कार्यक्रम अजजा क्षेत्र के शासकीय विभागीय रोपणियों में संचालित किया जाता है। जिसमें आलू एवं अन्य उन्नत किस्म के सब्जी बीजों का उत्पादन किया जाकर क्षेत्र के कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है।

3.4.26 उद्यानिकी प्रशिक्षण योजना :-प्रदेश में अजजा क्षेत्र के कृषकों को उद्यानिकी के उन्नत तकनीकी से अवगत कराने के उद्देश्य से योजना संचालित है। वर्ष 2009-10 में राशि रू. 2.80 लाख के वित्तीय प्रवधान के विरुद्ध रूपये 2.59 लाख व्यय हुए।

3.4.27 राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना :- वर्ष 2005-06 से राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का संचालन प्रदेश के 11 जिलों में किया जा रहा है। यह योजना केन्द्र पोषित योजना है। जिसका संचालन 85 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 15 प्रतिशत राज्यांश राशि से होता है। इसके अंतर्गत पौध रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु रोपणियों का विकास, सब्जी बीज उत्पादन कार्यक्रम, फल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, पुष्प क्षेत्र विस्तार, मसाला एवं औषधी तथा सुगंधित फसल विकास योजना,सिंचाई हेतु जल स्रोतो का विकास एवं संरक्षित खेती का विकास कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं योजना अंतर्गत केन्द्र सरकार से रू. 8054.28 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई एवं रूपये 7621.31 लाख व्यय हुए।

3.4.28 सूक्ष्म सिंचाई योजना :- राज्य के कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग हेतु वर्ष 2006-07 से योजना प्राप्त है। योजना अंतर्गत 40 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 30 प्रतिशत राज्य सरकार से तथा शेष 30 प्रतिशत कृषक अंश से किया जाना प्रावधानित है। योजना का क्रियान्वयन कृषि बीज एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाता है योजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 हेतु ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रींकलर सिंचाई हेतु कुल 23802 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है जिसमें लिये रू.1642.32 लाख का वित्तीय आबंटन प्राप्त हुआ एवं 10321.529 लाख हेक्टेयर की पूर्ति

की गई जिसमें कुल 6708 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 480 कृषक लाभान्वित हुए एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र अंतर्गत 2069 कृषक लाभान्वित हुए ।

3.4.29 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :- वर्ष 2009-10 हेतु इस योजना अंतर्गत रू. 2130.95 लाख प्रावधानित हुए थे जिसके विरुद्ध रू. 2130.56 लाख व्यय हुए। योजना अंतर्गत सब्जी विकास हेतु 3125 हेक्टेयर, मसाला विकास हेतु 2460 हेक्टेयर, पुष्प विकास के अंतर्गत 131 हेक्टेयर, आई.पी. एम. में 6400 हेक्टेयर तथा जैविक खेती में 1400 हेक्टेयर तथा संरक्षित खेती के विकास हेतु 2710 यूनिट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है जिसकी शत प्रतिशत पूर्ति हुई है। साथ ही साथ शासकीय क्षेत्र में बाना प्रक्षेत्र रायपुर में प्लग टाईप वेजीटेबल सीडलिंग प्रोडक्शन हेतु उन्नतशील सब्जी पौध उत्पादन इकाई की स्थापना की जा रही है। योजना अंतर्गत 26337 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 14681 कृषक लाभान्वित हुए।

3.5 पशुपालन विभाग

3.5.1 गौवंश योजना – निजी संस्थाओं के माध्यम से जे.के.ट्रस्ट द्वारा जगदलपुर एवं सरगुजा संभाग विकास खंडों में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के माध्यम से नस्ल सुधार कार्यक्रम किया जा रहा है। जिससे अच्छे नस्ल के पशुओं से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। वर्ष 2009-10 में इस हेतु रू. 315.00 लाख की राशि व्यय का प्रावधान है।

3.5.2 बैल जोड़ी – ग्रामीण अंचल में निवासरत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों को कृषि कार्य में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे परिवारों जिनके पास कृषि भूमि उपलब्ध है, उन्हें निःशुल्क बैलजोड़ी प्रदाय की अभिनव योजना शासन द्वारा प्रारंभ की गई है।

3.5.3 बैकयार्ड कुक्कुट पालन – राज्य में कुक्कुट पालन एक पारंपरिक व्यवसाय है। जिसे और अधिक लाभप्रद बनाये जाने की मुहिम जारी है। कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने तथा बीपीएल परिवारों की आय में वृद्धि के लिए उक्त योजना अंतर्गत 20,000 परिवारों को लाभान्वित किया गया जिससे प्रत्येक आदिवासी परिवार को औसतन रू. 3,000 सालाना आय संभावित है। योजना अंतर्गत अभी तक 9097 इकाई का वितरण किया गया है।

3.5.4 सूकरत्रयी योजना :- अनुसूचित जनजाति के सूकर पालकों को विनिमय के आधार पर सूकरत्रयी एवं सूकर वितरित किये जाते हैं। योजना अंतर्गत 1122 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है। प्रत्येक हितग्राही को औसतन रू. 10,000 की सालाना आय होती है।

3.5.5 बकरी पालन योजना :- अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में बकरी पालको को विनिमय के आधार पर बकरी प्रदाय योजना अंतर्गत 3999 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है। इस योजना से औसतन रू. 5,000 सालाना की आय होती है।

3.5.6 एकीकृत पशुधन विकास परियोजना :- बस्तर संभाग में बस्तर एकीकृत पशुधन विकास परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में पशुपालन एवं उद्यानिकी से संबंधित प्रशिक्षण किया जाता है। जिससे आदिवासी परिवार आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर पशुपालन एवं उद्यानिकी में उन्नति कर रहे हैं।

3.5.7 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :- योजना अंतर्गत राशि रू. 723.25 लाख व्यय किया गया जिसके अंतर्गत जशपुर जिले में सुकर एवं कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र की स्थापना एवं आदिवासी बाहुल्य जिलों में भवनविहीन संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु राशि व्यय की गई है।

3.6 मत्स्योद्योग विभाग

3.6.1. जलाशयों तथा नदियों में मत्स्योद्योग विकास :- मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना तथा मत्स्य प्रजनन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से आदिवासी क्षेत्र के विभागीय जलाशयों का प्रबंधन एवं मत्स्य पालन विकास मत्स्योद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है। राज्य में प्रवाहित नदियों में प्रगहण मात्स्यिकी (केप्लर फिशरीज) अन्तर्गत अत्यल्प हो गये मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु इन नदियों में उत्तम गुणवत्ता वाले मत्स्य भण्डारण को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र के इन्द्रावती तथा सबरी नदी में प्रतिवर्ष मत्स्य बीज संचयन कार्यों के लिए अन्य प्रभार, अनुरक्षण एवं लघु निर्माण मद में व्यय करने का प्रावधान होता है। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में 37.39 लाख रू. का व्यय किया जाकर उन्नत किस्म के रू.71.07 लाख स्टेफाई का संचयन कर जलाशयों एवं नदियों में मत्स्योद्योग विकास किया गया।

3.6.2. मत्स्य बीज उत्पादन :- आदिवासी क्षेत्र के विभागीय मत्स्य बीज उत्पादन इकाईयों से वैज्ञानिक तकनीक पर मत्स्य बीज उत्पादन कर विभागीय व निजी क्षेत्र की मत्स्य बीज मांग पूर्ति करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। उत्पादित मत्स्य बीज का उपयोग विभागीय जलाशयों/नदियों में संचयन आदि के अतिरिक्त निजी मत्स्य पालकों, सहकारी संस्थाओं आदि को विक्रय हेतु किया जाता है। इसके अन्तर्गत अन्य प्रभार मद में मत्स्य बीज उत्पादन, संवर्धन, संचयन एवं प्रबंधन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अनुरक्षण मद के अन्तर्गत बिजली, पानी आदि की व्यवस्था की जाती है। लघु निर्माण मद में विभागीय हैचरियों, फार्म तथा फार्म पर स्थित अन्य अद्योसंरचना की मरम्मत आदि के लिए राशि व्यय की जाती है।

आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक पर विभागीय तौर पर मत्स्य बीज उत्पादन के लिए विभागीय मत्स्य बीज हैचरी फार्म तथा फार्म पर स्थित नवीन अद्योसंरचना निर्माण के लिए वृहद निर्माण मद अन्तर्गत राशि व्यय की जाती है । योजना अंतर्गत रू. 39.55 लाख स्पान तथा 1705 लाख स्टे फार्ई का उत्पादन कर अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।

3.6.3. मत्स्य सहकारी समिति के सदस्यों का दुर्घटना बीमा :- केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत केन्द्र:राज्य के 50 : 50 के आनुपातिक अंशदान से योजना संचालित होती है । योजनान्तर्गत मत्स्य जीवी दुर्घटना बीमा के संबंध में वार्षिक बीमा प्रीमियम राशि रू. 15.00 प्रति हितग्राही के मान से (केन्द्र व राज्य का बराबर-बराबर अंशदान अर्थात् रू. 15.00 केन्द्रांश तथा रू. 15.00 राज्यांश) व्यय का प्रावधान है । राज्यांश राशि रू. 15.00 प्रति हितग्राही के मान से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "फिशकोपफेड" नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है । फिशकोफेड केन्द्रांश राशि रू. 15.00 प्रति हितग्राही राज्यांश राशि में जोड़कर सीधे बीमा कम्पनी को जमा कराती है । अनुसूचित जन जाति वर्ग के मछुआरों का मत्स्य पालन/मत्स्याखेट के दौरान दुर्घटना की स्थिति में अस्थाई अपंगता पर रू. 50,000/- तथा स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु पर रू. 1,00,000/- का बीमा लाभ प्राप्त होता है । वर्ष में 29133 हितग्राहियों को बीमित किया गया ।

3.6.4 शिक्षण-प्रशिक्षण (राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण):- आदिवासी वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देश के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही मछली पालन तकनीकी से परिचित कराने के उद्देश्य से प्रति मछुआरा रू. 2500/- की लागत पर 10 दिवसीय अध्ययन भ्रमण प्रशिक्षण पर व्यय किया जाता है । स्वीकृत योजनानुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी रू. 750/- शिष्यवृत्ति रू. 1500/- आवागमन व्यय तथा रू. 250/- विविध व्यय का प्रावधान है । योजना अंतर्गत 40 उन्नत मछली पालकों को राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण हेतु भेजा गया ।

3.6.5. मत्स्य पालन प्रसार :- अनुसूचित जन जाति के मत्स्य पालकों को मीठे जल में पॉलीकल्चर झींगा पालन तथा आलंकारिक मत्स्योद्योग विकास के प्रसार योजनान्तर्गत नई योजना क्रियान्वित होगी जिसके तहत हितग्राहियों को वस्तुविषय के रूप में क्रमशः रू. 15,000/- एवं 12,000/- का तीन वर्षों में आर्थिक सहायता (अनुदान) देना प्रावधानित किया गया है इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों को जलाशय में मत्स्याखेट हेतु नाव-जाल एवं उपकरण हेतु आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रू तक की आर्थिक सहायता देना प्रावधानित है ।

योजना अंतर्गत 73.02 लाख रू. का व्यय किया जाकर 1124 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता/अनुदान दिया गया ।

3.6.6. मत्स्य पालन प्रसार (मीठा जल जीव पालन विकास अन्तर्गत म.

कृ.वि.अभिकरण कार्यक्रम):— केन्द्र प्रवर्तित योजना तहत् केन्द्र: राज्य (75:25) के आनुपातिक अंशदान से योजना संचालित है, जिसके तहत् ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आदिवासी हितग्राहियों को स्वरोजगार योजना हेतु प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, मत्स्य पालन हेतु तालाब पट्टे पर उपलब्ध कराना, स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण, हैचरी स्थापित करना, फीड-मिल स्थापित करना तथा एकीकृत मत्स्य पालन इकाई स्थापित करने के उद्देश्य से अनुमोदित इकाई लागत के मान से आर्थिक सहायता अनुदान मद से उपलब्ध कराई जाती है। स्थापना व्यय का वहन 100 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा किया जाता है जबकि योजना व्यय 75:25 (के:रा) के अनुपात में वहन किया जाता है। वर्ष 2009-10 में रु. 45.00 लाख व्यय किया जाकर योजना अंतर्गत हितग्राहियों को दीर्घावधि तालाब पट्टा आबंटन तथा 114 को ऋण एवं 60 हितग्राहियों को अनुदान वितरण कर लाभान्वित किया गया।

3.6.7 शिक्षण और प्रशिक्षण :- आदिवासी वर्ग के मछुआरों को मछली पालन की तकनीक एवं मछली पकड़ने जाल बुनने सुधारने एवं नाव चलाने का प्रशिक्षण के तहत 15 दिवसीय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत अन्य प्रभार मद में राशि व्यय की जाती है। प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण व्यय रु. 1250/- स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत रु. 50/- प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी के मान से शिष्यवृत्ति रु. 400/- की लागत मूल्य का नायलोन धागा तथा रु. 100/- विविध व्यय अंतर्गत शामिल है। वर्ष 2009-10 में 8.75 लाख व्यय किया जाकर 700 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया।

3.6.8. मछुआ सहकारिता :- आदिवासी मछुआरों की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु सहकारिता के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीर्घ अवधि के लिए पट्टे पर उपलब्ध तालाब की पट्टा राशि, मत्स्य बीज, क्रय एवं संचयन, नायलोन धागा, डोंगा क्रय पर आयटमवार अधिकतम सीमा के अध्ययन लगातार 3 वर्षों में रु. 25,000/- तक आर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदान किया जाने का प्रावधान है वर्ष 2009-10 में रु. 2.50 लाख व्यय किया जाकर 25 समितियों के सदस्यों को लाभान्वित किया गया।

3.7 संस्कृति विभाग

अनुसूचित क्षेत्र में पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय के निर्माण एवं प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुक्तांगन हेतु राज्य के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों यथा जगदलपुर, सरगुजा के अतिरिक्त समीपवर्ती राज्यों के आदिवासी/अनुसूचित जाति के कलाकारों को आमंत्रित कर निरन्तर कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत विभाग की महत्वाकांक्षी योजना "मुक्तांगन संग्रहालय" का कार्य प्रगति पर है इस संग्रहालय के माध्यम से राज्य के विभिन्न जनजातियों की सांस्कृति धरोहर, लोक नृत्य, भाषा एवं बोलियों, दृश्य कलाओं और पर्यावरण से संबंधित वातावरण बनाया जावेगा, इसमें विभिन्न हस्तशिल्प जनजातियों के विभिन्न वाद्यों उनकी वेशभूषा विभिन्न उत्सवों आयोजन तथा विभिन्न जनजातियों द्वारा निर्मित कलाकृतियों का प्रदर्शन भी किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य आदिम जाति की संस्कारधानी है संस्कृति विभाग इनके उत्तरोत्तर विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील है। विभाग द्वारा आ.जा. एवं अ.जा. का अन्तर्राज्यीय सम्मेलन एवं आयोजन प्रस्तावित है। इसके लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी।

3.8 गृह विभाग (पुलिस)

3.8.1 नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम 1955 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कई विधायी सुरक्षा के उपाय किये गये हैं। राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों के उत्पीड़न का त्वरित निवारण करने के लिए पुलिस मुख्यालय में अ.जा.क.प्रकोष्ठ गठित किया गया है। यह प्रकोष्ठ अति. पुलिस महानिदेशक के अधीन कार्यरत है।

3.8.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों के विचारण के लिए जिला रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर बिलासपुर एवं सरगुजा में विशेष न्यायालयों का गठन किया जाकर अ.जा.क. से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कर त्वरित निराकरण किया जा रहा है।

3.8.3 राज्य में 12 अ.जा.क. थाने क्रमशः जिला-रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, दन्तेवाड़ा, बिलासपुर, रायगढ़ एवं सरगुजा, सूरजपुर, कबीरधाम, महासमुंद, जांजगीर में स्थापित किए जाकर कार्यरत हैं, अन्य 6 जिलों में अ.जा.क. प्रकोष्ठ स्थापित होकर संचालित है, प्रत्येक अ.जा.क. थाना एवं प्रकोष्ठ में उप पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना की गई है।

3.8.4 अ.जा./ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 15 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों के लिए शासन द्वारा लोक अभियोजक नियुक्त किये गये हैं। साथ ही अ.जा./ज.जा. (अत्याचार निवारण) के नियम-4 (1) के अनुसार विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ताओं के पेनल भी घोषित किये गये हैं।

3.8.5 अ.जा./ज.जा.(अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 की धारा 21 में नये प्रावधान के अनुसार अपराधों के अन्वेषण और विवेचना के दौरान साक्षियों को यात्रा व्यय एवं भरण-पोषण व्यय की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा आकस्मिकता योजना नियम-1995 के नियम-15 के अंतर्गत की गई है।

3.8.6 पुलिस द्वारा अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक /सामाजिक एवं शैक्षणिक पुनर्वास एवं राहत हेतु आकस्मिकता योजना नियम 1995 जो मार्च 1996 से प्रभावशील है के अंतर्गत राहत प्रकरण तैयार कर स्वीकृति हेतु जिलाध्यक्षों को भेजे जाते हैं।

3.9 खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग :-

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रमुख कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन कर कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकना, कृषकों की कृषि उपज का समर्थन मूल्य पर उपार्जन, लेव्ही चावल का उपार्जन, नाप-तौल की कमी से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन कर उपभोक्ताओं को न्याय प्रदान करना है।

3.9.1 अन्त्योदय अन्न योजना :- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अति गरीब परिवारों को रुपये 3.00 प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह 35 किलो चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों के समस्त पात्र परिवारों को विशेष अभियान चलाया जाकर सम्मिलित किया जा चुका है।

3.9.2 अन्नपूर्णा योजना :-

इस योजना का उद्देश्य 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे वृद्ध निराश्रित व्यक्ति जो पेंशन हेतु पात्र हैं किन्तु उन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है, को 10 किलो निःशुल्क खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है।

3.9.3 अमृत नमक योजना :- छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक जनोन्मुखी बनाने तथा लक्षित समूह की दैनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए 26 जनवरी, 2004 से उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से बी.पी.एल. परिवारों को मात्र 25 पैसे प्रति किलो की दर से 2 किलोग्राम आयोडाईज्ड नमक वितरित करने की योजना लागू की गई है। इस योजना के लागू होने से जनजातीय परिवारों को नमक के बदले वस्तु विनिमय के नाम से किए जा रहे शोषण से मुक्ति मिली है। इस प्रकार यह योजना आयोडीन के अभाव में होने वाली घेंघा रोग जैसी घातक बीमारी से जनजातीय परिवारों की रक्षा के साथ-साथ उन्हें अतिरिक्त आय के अंतरण के रूप में भी दोहरा लाभ पहुंचा रही है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में रु. 17.22 करोड़ का बजट प्रावधान योजना अंतर्गत किया गया।

3.9.4 मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना :- वित्तीय वर्ष 2008-09 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग 23 लाख निर्धन परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है, जिसमें 7.19 लाख अंत्योदय अन्न योजना के अति गरीब परिवार भी सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए गरीब परिवारों की संख्या 18.75 लाख निर्धारित की गई है एवं इस संख्या के आधार पर ही खाद्यान्न का आबंटन दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान सभी परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न आबंटन में वृद्धि करने हेतु निरंतर अनुरोध करने के बावजूद वृद्धि नहीं की गई। ऐसी स्थिति में राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को स्वयं के व्यय से रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया एवं अप्रैल 2007 ये मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के द्वारा निम्न निर्धन वर्गों को लाभ हो रहा है :-

01. वर्ष 2002 के ग्रामीण बी.पी.एल. सर्वे में सम्मिलित सभी परिवार।
02. वर्ष 1991 एवं वर्ष 1997 के बी.पी.एल.सर्वे में सम्मिलित ऐसे राशनकार्डधारी परिवार जिनके नाम वर्ष 2002 के बी.पी.एल. सर्वे में आने से छूट गए हैं।
03. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राही जिन्हें बी.पी.एल. अंत्योदय अन्न योजना अथवा अन्नपूर्णा योजना का राशनकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है।

इस प्रकार मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अप्रैल 2007 से लागू होने से राज्य के शेष निर्धन परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न वितरण प्रारंभ हो गया है।

3.9.8 कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न प्रदाय :- राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों एवं आश्रमों में निवासरत छात्रों को बी.पी.एल दरों पर प्रति हितग्राही 15 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार की पूर्वानुमति से इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आबंटन से अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्रों को बी.पी.एल.उपभोक्ता दर पर चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।

3.9.9 सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण :- वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंत्योदाय अन्न योजना, बी.पी.एल. योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्डधारियों के चिन्हांकन उपरांत उन्हें राशनकार्ड जारी करते हुए, उनके नाम, निवास स्थान, बी.पी.एल. सर्वे सूची का क्रमांक, संलग्न उचित मूल्य दुकान की जानकारी सहित राशनकार्ड का पूरा डेटाबेस तैयार किया गया, जो कि विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध है।

3.9.10 धान खरीदी का कम्प्यूटरीकरण :- वर्तमान खरीफ वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत कर दिया है। धान खरीदी की व्यवस्था के कम्प्यूटरीकरण के कारण प्रतिदिन किसानों से होने वाली खरीदी की जानकारी राज्य शासन को तत्काल उपलब्ध हो रही है। राज्य के प्रत्येक जिले के किसान, जिसके द्वारा धान का विक्रय इस साफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है, उसकी जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाईट में हर नागरिक के अवलोकन हेतु उपलब्ध है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार शिकायत निवारण विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के खाद्य विभाग को आनलाईन धान खरीदी के प्रोजेक्ट के लिए **नेशनल ई-गवर्नेंस के कांस्य पदक का अवार्ड दिया गया है।**

3.10 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण :-

3.10.1 स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार :-राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुरूप स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु अल्माअटा घोषणा के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सेवा संरचना विकसित की गई है। जिसके अनुसार :-

- अ. आदिवासी क्षेत्र में 3000 की आबादी पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का मापदण्ड है।
- ब. आदिवासी क्षेत्र में 20,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का मापदण्ड है।
- स. आदिवासी क्षेत्र में 80,000 की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का मापदण्ड है।

3.10.2 संक्रामक रोगों की रोकथाम :-राज्य की भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर संक्रामक रोगों का प्रकोप विशेष रूप से डी.व्ही.डी. पीलिया एवं मस्तिष्क ज्वर हमेशा से रहा है जिस पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में एवं विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल के स्रोतों के अन्तर्गत कुओं, हेण्डपम्पों एवं पारंपरिक जल स्रोतों को चिन्हांकित कर ब्लीचिंग पावडर, क्लोरिन टेबलेट से जल

शुद्धिकरण करने का कार्य किया गया। प्रदेश के समस्त ग्रामों, मजरे/टोलों में डिपो होल्डर बनाकर उन्हें आकस्मिक उपचार हेतु प्रशिक्षित किया गया तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक जीवन-रक्षक औषधियां उपलब्ध करायी गईं। 18 जिलों के समस्या मूलक एवं पहुंच विहीन ग्राम को चिन्हांकित कर वर्षाकाल के पूर्व ही आवश्यक औषधियों का भण्डारण किया गया। सूचना तंत्र को सशक्त करने के उद्देश्य से लिंक वर्कर्स को प्रशिक्षित कर ग्रामों में सूचना एकत्र करने एवं संचित करने के लिए तैनात किया गया है। महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर एवं खण्ड स्तर पर काम्बेट टीमों का गठन एवं नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये एवं इसके परिणामस्वरूप आम लोगों में इन बीमारियों की रोकथाम एवं इलाज के प्रति जागरूकता पैदा हुई।

3.10.3 जीवन ज्योति चलित चिकित्सालय योजना :- इस योजना के तहत प्रदेश के 48 आदिवासी विकासखण्डों के लिए चलित चिकित्सालय स्वीकृत किये गये हैं। प्रायः देखा गया है कि आदिवासी हाट बाजारों में जरूर उपस्थित होते अतः बाजारों में ही चलित अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

3.10.4 इंदिरा स्वास्थ्य मितानिन योजना :- राज्य में भौगोलिक रूप से कई गांव इतने दूर दराज में हैं कि इन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुंचना कठिन है, राज्य में 20,379 गांव एवं लगभग 54,000 टोला और 3818 उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं। इनमें बरसात में कई अगम्य हो जाते हैं। अतः स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं को जनोन्मुखी बनाने के लिए इंदिरा स्वास्थ्य मितानिन योजना की शुरुआत की गई है। जिससे दूर दराज के मजरे टोले में रहने वाले बच्चे-बूढ़े, महिला, पुरुष तथा अन्य पिछड़े वर्गों तक स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ बन सकें। इस चिकित्सा व्यवस्था का उद्देश्य है कि लोगों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान गांव के स्तर पर गांव के द्वारा ही किया जाये। इस योजना अंतर्गत 60,000 मितानिन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन को मुख्यमंत्री दवा पेटी योजना अंतर्गत दवा किट उपलब्ध कराई जाती है जिसकी रिफ्लिंग प्रत्येक दो माह में की जाती है।

3.11 जनशक्ति नियोजन विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के समय संचालनालय के अधीन राज्य के 16 जिलों में 44 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें संचालित थी। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के उपरान्त वर्तमान में 18 जिलों में 91 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें संचालित है। इन संस्थाओं में भारत शासन श्रम मंत्रालय, महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नई दिल्ली शिल्पकार प्रशिक्षण योजनान्तर्गत 28 तकनीकी एवं 12 गैर तकनीकी व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि छः माह, एक वर्ष एवं दो वर्ष है। राज्य में संचालित 91 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थाओं में से 28 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में संचालित हैं जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 2044 आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

सेंटर ऑफ एक्सीलेस : उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप विश्व स्तरीय कुशल कामगार तैयार करने बहुकौशलीय प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से केन्द्र प्रवर्तित योजना 14 संस्थाओं का सेंटर ऑफ एक्सीलेस के रूप में उन्नयन किया गया है जिसमें से 05 संस्थायें क्रमशः बस्तर, डौंडी लोहारा, कोरबा, गौरेला, एवं अंबिकापुर अनुसूचित क्षेत्र में संचालित है उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2009-10 में 08 संस्थाओं का विश्व बैंक की सहायता से केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत उन्नयन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है जिनमें 05 संस्थायें क्रमशः गीदम, महिला कांकेर, गरियाबंद, केशकाल एवं डोंगरगढ़ अनुसूचित क्षेत्र में संचालित है।

3.11.1 तकनीकी शिक्षा :- शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के मानव संसाधन को सुनियोजित विकास एवं दिशा देने के लिए राज्य शासन कृतसंकल्पित है। इस दिशा में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना, पॉलीटेक्निक विहीन जिलों में पॉलिटेक्निकों की स्थापना का प्रस्ताव, सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिकतम उपकरणों को संस्थाओं में उपलब्ध कराना, प्रयोगशालाओं का उन्नयन, अधोसंरचना का विकास, उद्योगों से तालमेल जैसे कार्यक्रम प्रमुख है। राष्ट्रीय स्तर के संस्थान यथा आई.आई.टी. एवं आई.आई.आई.टी.की स्थापना करना। इण्डस्ट्री इंस्टीट्यूट को मूर्तरूप देना, एम.आई.एस. की स्थापना आदि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसमें राज्य, तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ आधार देने में सफल होगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए निम्न हितकारी योजनाएं प्रभावशील है :-

1. **बुक बैंक योजना :-** इस योजना के तहत छात्र-छात्राओं को विषय से संबंधित पाठ्य-पुस्तकें प्रदाय की जाती है।
2. **ड्राइंग स्टेशनरी :-** छात्र-छात्राओं को ड्राइंग सम्बन्धित एवं अन्य स्टेशनरी सामग्री प्रदाय की जाती है।
3. **विशेष कोचिंग व्यवस्था :-** इस योजना के अंतर्गत छात्रों हेतु संध्या कालीन कक्षाएं लगाई जाती है, ताकि छात्रों का अकादमिक स्तर उंचा उठ सके।
4. **मशीन उपकरण/भवन निर्माण :-** इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं को मशीन उपकरण क्रय करने एवं भवन निर्माण करने हेतु बजट प्रावधान किया जाता है।
5. **छात्रवृत्ति :-** शासकीय तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्र-छात्राओं के लिये बुक बैंक योजना, विशेष कोचिंग, ड्राइंग सामग्री एवं स्टेशनरी के प्रदाय की सुविधायें उपलब्ध है। इसके

अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों (जिनके माता/पिता की आय रु. 1.00 लाख तक) के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का प्रावधान है। बी.ई. पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रावासी छात्र-छात्राओं को 840 रु. प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी छात्र-छात्राओं को 430 रु. प्रतिमाह आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दी जाती हैं। इसी प्रकार पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रावासी छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 610 रु. प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी छात्र-छात्राओं को 430 रु. प्रतिमाह आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों को शिक्षण शुल्क में भी छूट है। राज्य शासन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्रों जिनके पिता/माता की आय रुपये दो लाख प्रतिवर्ष तक है, पूरी शिक्षण शुल्क में छूट तथा रुपये ढाई लाख तक की वार्षिक आय के लिए शिक्षण शुल्क में आधी छूट है।

6. **बेरोजगारी भत्ता :-** बेरोजगारी भत्ता योजना 2 अक्टूबर 1995 से म0प्र0 शासन द्वारा प्रारंभ की गई है जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से क्रियाविन्त की जा रही है। जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शिक्षित बेरोजगार आवेदकों को दो वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। पूर्व में रु. 300/- प्रतिमाह भत्ता दिया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के घोषणा के उपरांत दिनांक 01.04.2004 से रु. 500/- प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।

3.12 सहकारिता विभाग

आदिम जातियों के विकास तथा हितों के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

1. पैक्स/लेम्पस की अंशपूंजी में धनवेष्टन।
2. लैम्पस के अंश क्रय हेतु अनुसूचित/जनजाति के सदस्यों को अनुदान।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को उपभोग/सामाजिक उपभोग ऋण।
4. अल्पावधि कृषि ऋणों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को ब्याज अनुदान।
5. आदिम जाति संस्थाओं की शाखाएँ खोलना (प्रबंधकीय अनुदान)।
6. प्राथमिक विपणन समिति के अंश क्रय करने हेतु अनुसूचित जाति/ जनजाति के सदस्यों को अनुदान।

इस तरह आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों को सहकारिता के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें सहकारी बैंक, सहकारी विपणन समितियों, सहकारी संस्थाओं के सदस्य बनाना, समिति के माध्यम से अंशक्रय करने हेतु, सामाजिक उपभोग हेतु ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाकर उनका शोषण रोकना एवं उनका जीवन स्तर उठाने हेतु विभिन्न योजनाओं के लिये सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

3.13 समाज कल्याण विभाग

3.13.1 मद्य निषेध योजना :- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मद्य निषेध (नशाबंदी) योजना मूलतः प्रचार-प्रसार की योजना है। अनुसूचित क्षेत्रों में नशा सेवन की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए जन जागृति कार्यक्रम, रैली, नुक्कड़, नाटक, संगीत, प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं प्रश्नमंच तथा शासकीय/ अशासकीय कलापथक दलों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नशीले पदार्थों के दूष्परिणामों से समाज को अवगत कराकर नशाबंदी के पक्ष में वातावरण का निर्माण किया जाता है। राज्य में 2 नशा मुक्ति केन्द्र जिला रायपुर एवं दुर्ग में केन्द्रीय अनुदान से स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हैं।

3.13.2 समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क व्यक्ति अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन के तहत निःशक्त बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुर्नवास संबंधी कार्यक्रम एवं किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत विधि अवरुद्ध एवं देखरेख की अपेक्षा रखने वाले बच्चों के लिए कार्यक्रम एवं संस्थाओं की स्थापना की जाती है।

1. विभाग द्वारा आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, अंध, मूक, बधिर शालाओं को अनुदान मद में 477 हितग्राहियों के लिये अनुदान स्वीकृत कर कार्यवाही की गई है। एवं अंध, मूक, बाधिरों को वृत्तियां मद में निःशक्त बच्चों को कक्षा अनुसार रु.50/-प्रतिमाह से रु.240/-प्रतिमाह तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

2. सरगुजा जिले में बौद्धिक मंद बालिकाओं के लिये संचालित विशेष विद्यालय में अधिक से अधिक अनुसूचित जनजाति की बौद्धिक मंद बालिकाओं को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है। इस योजना के माध्यम से 50 हितग्राहियों को निःशुल्क वस्त्र, चिकित्सा के साथ-साथ शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था निर्धारित है।

3.14 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

3.14.1 स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना :- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता ऋण सहायता अनुदान के रूप उपलब्ध कराकर

उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना क्रियान्वित की जा रही है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत दिए जाने वाला अनुदान परियोजना के प्रावधान का 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह राशि अधिकतम 7500/- होगी, परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 50 प्रतिशत तक अधिकतम 10,000/- तक होगी। स्व-रोजगारी समूह के लिए अनुदान की राशि परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत हो सकेगी, जो 1.25 लाख से अधिक नहीं होगी। सिंचाई परियोजना के लिए अनुदान राशि की कोई सीमा नहीं होगी। लाभान्वित हितग्राहियों में कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होंगे। वर्ष 2009-10 में इस योजना अंतर्गत 891.808 लाख रु व्यय किये गये।

3.14.2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :-भारत शासन ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005-06 में पारित किया तथा उक्त अधिनियम में समस्त राज्यों को अपने राज्य हेतु ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तैयार करने कहा गया। इसके तहत 2 फरवरी 2006 से छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई है।

1. भूमि विकास।
2. बाढ़ नियंत्रण एवं ड्रेनेज सहित कार्यों का संरक्षण।
3. बारहमासी सड़क संपर्क।
4. कोई अन्य ऐसे कार्य जिसे केन्द्र सरकार राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित करें।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में योजना अंतर्गत 2971.632 लाख रु.व्यय किये गये।

3.14.3 इन्दिरा आवास योजना :- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे आवासहीनों व जिनके पास रहने के लिए उपयुक्त आवास नहीं होते हैं, उन्हें

आवास निर्माण हेतु शत-प्रतिशत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गयी है।

यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसमें भारत शासन तथा राज्य शासन द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्त पोषण किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत रु.3138.993 लाख के विरुद्ध रु. 3137.823 लाख की राशि व्यय की गई।

3.14.4 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :- गांव को सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराने से होने वाले सामाजिक आर्थिक लाभ को मद्देनजर रखते हुए, सड़क सम्पर्क को अधिक से अधिक महत्व देने की आवश्यकता महसूस की गई है। अतः इसका उद्देश्य बसाहटों की ऐसी बारहमासी सड़कों के माध्यम से संपर्क देना है जो सबसे सस्ती एवं कम से कम दूरी की हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य बसाहट को प्राथमिकता दी जाती है।

3.15 आबकारी विभाग

3.15.1 आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1997 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध लागू किए गए, जिसकी धारा 61-घ (2) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए आसवन द्वारा देशी मदिरा का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात्-

1. अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा देशी मदिरा का निर्माण उत्पादन केवल घरेलू उपयोग तथा सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर उपभोग के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
2. इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जाएगा।
3. इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा का कब्जे में रखने के प्रति गृहस्थी अधिकतम सीमा किसी भी समय 5 लीटर होगी।

3.15.2 इस प्रकार आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करने वाले आदिवासियों को स्वयं के उपभोग के लिए हाथभट्टी से शराब बनाने की छूट है। एक परिवार द्वारा एक समय में 5 लीटर स्वयं के द्वारा विनिर्मित मदिरा रखी जा सकती है।

3.15.3 यदि किसी आदिवासी परिवार के विरुद्ध निर्धारित सीमा से अधिक मदिरा रखने अथवा अवैध रूप से मदिरा विक्रय करने की शिकायत प्राप्त होती है तो तत्संबंधी कार्यवाही हेतु पुलिस अथवा आबकारी विभाग के किसी भी कर्मचारी अधिकारी द्वारा तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जब तक कि उनके द्वारा ऐसे क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा जिले के कलेक्टर से इस संबंध में लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली गई हो अर्थात् किसी भी आबकारी

अधिकारी/पुलिस अधिकारी द्वारा कलेक्टर अथवा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की पूर्व अनुमति के बिना किसी आदिवासी परिवार के विरुद्ध आबकारी अपराध के प्रकरण में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

3.15.4 आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा 61-ड (2) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति या अनुज्ञा के बिना कोई नवीन मदिरा दुकान नहीं खोली जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में मदिरा की नवीन दुकान खोलने के लिए संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति अथवा अनुज्ञा आवश्यक है।

3.16 ग्रामोद्योग विभाग

रेशम ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित संरक्षणात्मक योजना का उद्देश्य निम्नानुसार है:-

1. ग्रामीण गरीब परिवारों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराना।
 2. बुनकरों की आवश्यकता अनुरूप रेशम धागा उत्पादन कराना।
 3. उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों को आर्थिक रूप से सक्षम करना।
- प्रदेश में पालिक टसर प्रजाति एवं नैसर्गिक टसर प्रजाति पाई जाती है जिनके लिए निम्नानुसार योजनाएं संचालित है:-

पालित डाबा टसर ककून उत्पादन योजना-

टसर कृमिपालन का कार्य प्रदेश में परम्परागत है। इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा संरक्षण की निम्नानुसार नीति अपनाई गयी है:-

1. साजा एवं अर्जुन पौधों पर टसर कृमिपालन हेतु हितग्राहियों को टसर कृमि के स्वस्थ समूह न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराये जाते हैं।
2. हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन विभाग द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है।
3. हितग्राहियों द्वारा उत्पादित डाबा कोसाफल को विभाग द्वारा निर्धारित शासकीय दर पर क्रय कर लिया जाता है तथा उन्हें विपणन हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

नैसर्गिक प्रगुणन एवं कोसा उत्पादन योजना-

राज्य के साल वन खण्डों में नैसर्गिक रूप से टसर कोसा की एक प्रजाति पाई जाती है जिसे रैली कोसा के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रदत्त संरक्षणात्मक उपाय निम्नानुसार है:-

1. साल बाहुल्य वन खण्डों में विभाग द्वारा नैसर्गिक बीज प्रगुणन हेतु क्रमबद्ध छोड़े जाते हैं।

2. वित्तीय वर्ष में खुला बाजार विपणन व्यवस्था से हितग्राहियों को नैसर्गिक कोसाफलों की दरें गत वर्ष 0.80 पैसे की तुलना से रू. 1.00 से 1.20 प्रति कोसाफल प्राप्त हुए हैं।
3. स्थानीय स्व-रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु उत्पादित ककून से मूल्य अभिवृद्धि के अंतर्गत धागाकरण का कार्य स्व-सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश के साल बाहुल्य बस्तर संभाग में नैसर्गिक कोसाफल उत्पादित होता है। संभाग के गरीब आदिवासी इसे जंगल से तोड़कर स्थानीय बाजारों में विक्रय करते हैं, जिससे उन्हें रुपये 2,000 से 3,000 तक की अतिरिक्त आय प्राप्त हो जाती है।

कोसा उत्पादन में वृद्धि हेतु बस्तर जिले में कैम्प लगाकर टसर कृमि के अंडे तितलियों को छोड़ा गया है। जिससे इनका नैसर्गिक प्रगुणन हो सके।

4. इसके अतिरिक्त नैसर्गिक कोसा का प्रदेश में धागाकरण का कार्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा उन्नत तकनीकी के चरखों से प्रारंभ किया गया है।

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,

छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग में संचालित समस्त योजनाओं का संचालन शासन से प्राप्त अनुदान राशि से किया जाता है योजनावार संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1. **खादी वस्त्र उत्पादन पर रिबेट :-** योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि बुनकरों की मजदूरी से 10 प्रतिशत, कामगार कोष उत्पादन केन्द्रों द्वारा जमा किया जाता है, उक्त राशि में खादी बोर्ड द्वारा उतनी ही राशि सम्मिलित कर अलग से बचत खातों में जमा कराई जाती है। जिसका उपयोग बीमारी,, शादी या मकान-मरम्मत आदि पर किया जा सकता है। वर्ष 2009-10 में राशि रू. 12.10 लाख से 74 बुनकरों को लाभान्वित किया गया है तथा वर्ष 2009-10 में राशि रू. 13.30 लाख में से 96 बुनकारों को लाभान्वित किया गया है।
2. **स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान :-** बोर्ड द्वारा संचालित खादी उत्पादन केन्द्रों के कत्तीनों को निर्धारित मजदूरी के अतिरिक्त प्रति गुण्डी 75 पैसे की दर से अनुदान का लाभ दिया जाना है इस हेतु वर्ष 08-09 में राशि 3.30 लाख का व्यय कर 87 कत्तीनों को लाभान्वित किया गया तथा वर्ष 2009-10 में राशि रू. 3.70 लाख से 215 कत्तीनों को लाभान्वित किया गया है।
3. **खादी बोर्ड को कच्चा माल की सुविधा :-** बोर्ड को कच्चा माल की सुविधा हेतु सहायता मद में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के विभागीय उत्पादन केन्द्रों के लिए कच्चा माल कय किया जाता है। उसका प्रोसेस कर पक्का माल तैयार कर बिक्री किया जाता है। वर्ष 2008-09 में इस मद में राशि रू. 20.00 लाख का प्रावधान था एवं वर्ष 2009-10 में भी राशि रू. 22.00 लाख का व्यय किया गया है।
4. **खादी बोर्ड की परिवार मूलक इकाईयों की स्थापना :-** खादी बोर्ड की परिवार मूलक इकाईयों की स्थापना हेतु सहायता मद से एक लाख रुपये तक निर्धारित इकाई लागत रहती है।

उसके आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान जो अधिकतम रूपये 13500/- खादी बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदाय किया जाता है। वर्ष 09-10 हेतु राशि रूपये 132.00 लाख में 1034 इकाईयों की स्थापना की जाकर 2062 ग्रामीणों को रोजगार प्रदाय किया गया इसी प्रकार वर्ष 2009-10 में राशि रू. 145.20 लाख में 915 इकाईयों की स्थापना कर 2174 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

3.17 जलसंसाधन विभाग

3.17.1 आदिवासी उपयोजना :- आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत ऐसी सिंचाई योजनाएं शामिल की जाती है जिनसे कम से कम 50 प्रतिशत आदिवासी परिवारों को लाभ प्राप्त हो सके एवं उनका लाभान्वित होने वाला क्षेत्र योजना से कुल लाभान्वित होने वाले क्षेत्र का कम से कम पचास प्रतिशत हो। तदनुसार आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद में रू. 20920.50 लाख के विरुद्ध रू. 20740.44 लाख का व्यय वर्ष 2009-10 में किया गया।

3.18 लोक निर्माण विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य की सड़क नीति :-

छत्तीसगढ़ राज्य में अच्छी सड़कों का जाल स्थापित करने हेतु प्रदेश में "सड़क नीति" बनाई गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है :-

1. प्रदेश के ग्रामीण अंचलों को विशेषकर जिला एवं जनपद मुख्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, शिक्षण संस्थाओं, विभिन्न मंडियों, पर्यटन स्थलों तथा सांस्कृतिक विरासत स्थलों को सुगमता पूर्वक सड़क मार्ग से जोड़ना।
2. छ0ग0 राज्य को एक परिवहन विकसित क्षेत्र के रूप में स्थापित करने हेतु 2 उत्तर-दक्षिण एवं 4 पूर्व-पश्चिम तीव्रगामी आवागमन कारीडोर की स्थापना करना।
3. उत्पादन केन्द्रों एवं औद्योगिक केन्द्रों को सड़क मार्ग से जोड़ते हुए, प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देना।
4. औद्योगिक केन्द्रों को आपस में जोड़ने वाले मार्गों का विकास करना।
5. समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों को दो-लेन में परिवर्तित करना, तथा प्रदेश के व्यस्ततम 3 राष्ट्रीय राजमार्गों को चार-लेन सड़क के रूप में परिवर्तित करना।

रणनीति:-

नीति के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शासन निम्नानुसार 4 प्रमुख बिन्दुओं पर कारगर पहल करेगा।

1. समन्वित सड़क विकास एवं प्रबंधन :-

प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास का प्रमुख आधार, समूह आधारित विकास को क्रियान्वित करना है। शासन इसकी पूर्ति हेतु सड़क नेटवर्क में वृद्धि एवं आवश्यक सुधार का कार्य करेगा।

अ. तीव्रगामी आवागमन कारीडोर का विकास करना।

ब. आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों, जैसे औद्योगिक केन्द्रों, व्यापारिक केन्द्रों कृषि उपज मंडी इत्यादि को परस्पर जोड़ना।

2. निजी क्षेत्र की सहभागिता:-

सड़क विकास हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधनों की कमी की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्रों से सहभागिता की जायेगी। इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने हेतु शासन स्तर से निम्नानुसार पहल की जावेगी :-

अ. निजी क्षेत्रों की सहभागिता हेतु मार्गदर्शिका का निर्धारण।

ब. निविदा एवं चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

स. निजी क्षेत्र के प्रयासों को आवश्यकतानुसार वित्तीय सहयोग प्रदान करना।

3. वित्तीय संसाधनों का सृजन:-

शासन, प्रदेश के विकास हेतु समर्पित संसाधन सुनिश्चित करेगा, इससे न केवल सड़कों का व्यवस्थित संधारण होगा वरन् सड़क परियोजनायें समायावधि में पूर्ण भी हो सकेंगी।

4. शासकीय संस्थाओं की दक्षता/क्षमता का विकास

शासन संस्थानों एवं विभागीय परियोजना निर्माण, संविदा क्रियान्वयन एवं परियोजना प्रबंधन के कौशल में वृद्धि को सुनिश्चित करेगा।

आदिवासी उपयोजना :- आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में कुल 116 सड़क कार्य पूर्ण और 197 सड़क कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों के अंतर्गत 1112 कि.मी. सड़कों का निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया। इनके अलावा 57 पुल कार्य पूर्ण एवं 103 पुल कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार भवन कार्य के अंतर्गत 165 कार्य पूर्ण एवं 306 कार्य प्रगति पर है। उक्त सभी कार्य आदिवासी क्षेत्रों में किये जाने से वहां आवागमन की सुविधा सुलभ होती है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ सभी निवासियों को होता है, जिसमें क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। मंडी, उद्योग तथा

व्यापार की गतिविधि बढ़ने से आदिवासियों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। भवन कार्य के अंतर्गत स्कूल, आश्रम तथा अस्पताल बनने से आदिवासियों को सीधे लाभ मिलता है।

मुख्य योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

1.सड़क एवं पुल कार्य (मांग संख्या-42)

(अ) **नाबार्ड :-** इस योजना में 01 सड़क कार्य एवं 01 पुल कार्य पूर्ण किया गया। वर्ष 2009-10 में रू. 1.12 करोड़ व्यय किया गया।

(ब) **275(1) के तहत :-** इस योजना में 02 पुल कार्य पूर्ण एवं 01 प्रगति पर था। वर्ष 2009-10 में इस योजना के तहत मात्र रूपये 19.06 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है जिसके कारण व्यय नहीं किया गया है।

(स) **न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत :-** इस योजना में 56 सड़क कार्य पूर्ण किये गये तथा 93 सड़क कार्य प्रगति पर है इस योजना के अंतर्गत 801 कि.मी. सड़क कार्य किया गया। इस योजना के तहत रू. 97.26 करोड़ का व्यय किया गया है।

(द) **कॉरीडोर योजना के तहत :-** इस योजना के 01पूर्ण एवं 02 सड़क कार्य प्रगति पर रहें, जिसमें 41 कि.मी. निर्माण कार्य कराया गया, 06 पुल कार्य पूर्ण एवं 03 पुल कार्य प्रगति पर है। जिसमें रू. 11.36 करोड़ का व्यय किया गया है।

(इ) **राज्य मार्ग :-** इस योजना के अंतर्गत 01 सड़क कार्य पूर्ण किया गया। जिसमें रू. 0.93 करोड़ का व्यय हुआ है।

(ई) **मुख्य जिला मार्ग :-**इस योजना के अंतर्गत 02 सड़क कार्य पूर्ण किया गया, जिसमें मात्र रू. 0.53 करोड़ का व्यय हुआ है।

(ल) **वृहत पुलों का निर्माण :-** इस योजना के अंतर्गत 48 पुलों तथा 96 पुल का कार्य प्रगति पर है तथा रू. 69.83 करोड़ का व्यय किया गया है।

(व) **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वृहत पुलों का निर्माण :-**इस योजना के अंतर्गत 03 पुल का कार्य प्रगति पर है तथा इस पर रू. 0.49 करोड़ का व्यय किया गया है।

मांग संख्या -76 :-

(अ) **ए.डी.बी. सहायता के कार्य :-**इस योजना के अंतर्गत ए.डी.बी. बैंक से ऋण प्राप्त कर राज्य की महत्वपूर्ण सड़कों का उन्नयन का कार्य किया जा रहा है वर्तमान में 01 कार्य पूर्ण एवं 08 सड़कों का कार्य प्रगति पर है जिसमें 268 कि.मी. का सड़क कार्य किया गया है। इस वर्ष रू. 128.99 करोड़ का व्यय किया गया है।

2.भवन कार्य (मांग संख्या -68)

(अ) **मांग संख्या –68** :- मांग संख्या 68 में भवन कार्यों के तहत 165 नग भवन पूर्ण किये तथा 306 नग कार्य प्रगति पर है, इस योजना पर वर्ष 2009-10 में रू. 45.07 करोड़ व्यय किया गया है। महत्वपूर्ण भवन जो इस योजना के अंतर्गत पूर्ण हुए है वह निम्नानुसार है :-

- 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,
- 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
- 07 आदिवासी छात्रावास,
- 21 शिक्षक आवासगृह,
- 24 हाईस्कूल (शैक्षणिक संस्थान)
- 33नग विकासखंड शिक्षा अधिकारी भवन निर्माण

3.19 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

फर्जी जाति प्रमाण-पत्र रोकने के उपाय

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माधुरी पाटिल के निर्णय में दिए गए निर्देश के परिपालन में जाति प्रमाण-पत्रों की जांच हेतु अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र, उच्च स्तरीय छानबीन समिति को फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी करने संबंधी प्राप्त शिकायतें प्राप्त हुई है। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सेवाओं में नियुक्ति के पूर्व जाति प्रमाण-पत्रों की जांच एवं सत्यापन कराने पर विचार किया जा रहा है। ताकि वास्तविक अनुसूचित जनजाति के लोगों को सेवाओं में आरक्षण का लाभ मिल सके।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के परिपालन में छ.ग. राज्य में भी प्रमाण-पत्रों की जांच हेतु उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठित की गई है। समिति की संरचना निम्नानुसार है:-

जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | प्रमुख सचिव/सचिव
आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास | अध्यक्ष |
| 2. | आयुक्त/संचालक
आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था रायपुर | उपाध्यक्ष |
| 3. | आयुक्त/संचालक
आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास
छ.ग.रायपुर | सदस्य/सचिव |

4. संयुक्त संचालक (सोशियोलॉजी, एन्थ्रोपोलॉजी, इथनोलॉजी) सदस्य
आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
संस्थान, रायपुर
5. अनुसंधान अधिकारी/सहायक संचालक (अनुसंधान) सदस्य
(सोशियोलॉजी, एन्थ्रोपोलॉजी,)
आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
संस्थान, रायपुर

फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों की जांच की प्रक्रिया

फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों की जाँच हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के परिपालन में जाति प्रमाण-पत्र जाँच समिति द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाती है:-

1. शिकायत जनता से प्राप्त होने/विभिन्न विभागों तथा माननीय उच्च न्यायालय से जांच हेतु प्राप्त होने पर प्रकरण का पंजीयन किया जाता है।
2. तत्पश्चात् नियोक्ता विभाग से संबंधित व्यक्ति की जाति प्रमाण-पत्र नियुक्ति आदेश एवं सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति मंगाई जाती है।
3. उपर्युक्त अभिलेख प्राप्त होने पर प्रारंभिक जांच की जाती है। यदि प्रकरण फर्जी है तो प्रमाण-पत्र धारक के मूल निवास, जिला के पुलिस अधीक्षक को प्रकरण अन्वेषण हेतु भेजा जाता है। अन्वेषण में फर्जी प्रमाण-पत्र धारक के पिता/पूर्वजों के राजस्व अभिलेख, शैक्षणिक अभिलेख या पिता सेवा में थे तो सेवा अभिलेख, जन्म पंजी में दर्ज जाति का अन्वेषण व प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित ग्राम के कोटवार, सरपंच, पटेल तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के पंचों तथा फर्जी जाति प्रमाण-पत्र धारक के माता/पिता, रिश्तेदारों का बयान लेकर जाति प्रमाण-पत्र धारक से नृजातीय प्रपत्र अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा भराया जाता है।
4. यदि समिति के विशेषज्ञ के प्रारंभिक अन्वेषण में वास्तविक अनुसूचित जाति/जनजाति होना प्रतीत होता है तो नियोक्ता के माध्यम से नृजातीय अनुसूची संबंधित से भरवायी जाती है तथा पूर्वजों के मिसल अभिलेख या शैक्षणिक अभिलेख अथवा स्वयं के दाखिल-खारिज रजिस्टर की प्रमाणित प्रति साक्ष्य के रूप में मांगी जाती है।
5. पुलिस अधीक्षक के अन्वेषण रिपोर्ट एवं नृजातीय अनुसूची प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को कारण बताओं सूचना जारी की जाती है एवं जवाब प्राप्त किया जाता है।

6. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए संबंधित को समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का अवसर दिया जाता है। इस संबंध में संबंधित ग्राम/कस्बे में इशतहार भी जारी कराया जाता है।
7. समिति के समक्ष जाति प्रमाण—पत्र धारक तथा विपक्ष को मौखिक एवं लिखित में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अन्वेषण प्रतिवेदन संबंधित द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं नृजातीय जानकारी के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है। जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर उसे समिति द्वारा निरस्त किया जाता है।
8. नियोक्ता को समिति के निर्णय की प्रति भेजते हुए आरक्षित पद पर दी गई गलत नियुक्ति निरस्त करने के लिए लिखा जाता है।
9. फर्जी जाति प्रमाण—पत्र धारक व्यक्ति एवं फर्जी जाति प्रमाण—पत्र जारीकर्ता अधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु संबंधित कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है।

अत्याचार निवारण अधिनियम

ऐसा सवर्ण व्यक्ति जिसके द्वारा अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति पर उत्पीड़न व अत्याचार किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे प्रकरणों में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दण्डित किए जाने का प्रावधान है।

1. छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग की रिपोर्ट पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कर निर्धारित समयावधि में निराकरण किया जाता है, प्रकरण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त प्रभावित एवं पीड़ित वर्ग को राहत अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है, पुष्टि मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक प्रकरणों की मानीटरिंग की जाकर समय—समय पर निर्देशित किया जाता है, अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है।
2. राज्य में 8 अनुसूचित जाति कल्याण थाने क्रमशः जिला—रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, दन्तेवाड़ा, बिलासपुर, रायगढ़ एवं सरगुजा में स्थापित किया जाकर कार्यरत है, अन्य 8 जिलों में क्रमशः जिला—महासमुन्द, धमतरी, कबीरधाम, कांकेर, जांजगीर—चांपा, कोरबा, कोरिया एवं जशपुर में अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ स्थापित होकर संचालित है, प्रत्येक अनुसूचित जाति कल्याण थाना एवं प्रकोष्ठ में उप—पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना की गई है।
3. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में स्थित थानों में घटित अत्याचार के अपराधों के आंकड़ों के आधार पर प्रभावित क्षेत्र को चिन्हित किया जाकर परिलक्षित क्षेत्र की

सूची में शामिल किया जाता है, पुलिस द्वारा ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण करके निगाह रखी जाती है एवं स्थिति अनुसार प्रतिबंधक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

4. राज्य में कुल 7 विशेष न्यायालय क्रमशः जिला— रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ एवं सरगुजा में स्थापित किए जाकर कार्यरत है।

आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण

राज्य शासन द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के ग्रामों में निवासरत अनुसूचित जनजाति के पुरातन संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में देव स्थलों के विकास हेतु देवगुड़ी परिरक्षण योजना वर्ष 2006-07 से संचालित की गई हैं। वर्ष 2009-10 में इस योजना अंतर्गत कुल 15 जिलों के लिये 1440 देवगुड़ी की संख्या निर्धारित की जाकर ग्राम देवता के स्थलों के रखरखाव, मरम्मत, चबुतरा निर्माण तथा पुनर्निर्माण प्रति ग्राम रु. 25,000/- के मान से रु. 360.00 लाख का प्रावधान था, जिलों को राशि उपलब्ध कराई गई है। इसी योजना के अंतर्गत आदिवासी सांस्कृति दलों को वेशभूषा साजसज्जा आदि हेतु प्रति दल रु 10,000 की दर से सहायता दी जाकर उनकी परंपरागताओं को संरक्षित करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2009-10 में 421 दल लाभान्वित किये गये।

सायकल प्रदाय योजना :- आदिवासी क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति एवं विरल जनसंख्या के कारण छात्राओं की शिक्षा बाधित होती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिकाओं की हाईस्कूल तक की शिक्षा को सुगम बनाने हेतु सायकिल प्रदाय करने की योजना वर्ष 2004-05 से प्रारंभ की गई है। विभाग द्वारा सायकल प्रदाय योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की कक्षा 9वीं में अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क लेडिस सायकल प्रदाय की जाती है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2006-07 से विशेष पिछड़ी जनजाति के हाई स्कूल के बालकों को जेंट्स सायकल प्रदाय योजना प्रारंभ की गई हैं। वर्ष 2009-10 में निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना अंतर्गत 26445 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए। इनमें प्रदेश के नक्सल प्रभावित 07 जिलों की 22155 बालिकाओं को साइकिल प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :-कक्षा 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 700 अनुसूचित जनजाति एवं 300 अनु. जाति विद्यार्थियों को रूपये 10,000/- का एकमुश्त पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उच्च प्राप्तांकों के साथ कक्षा 10 वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं हेतु विद्यालयों में प्रवेश के समय आने वाली आर्थिक कठिनाइयों से सुरक्षा प्रदान करना है। वर्ष 2009-10 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 676 विद्यार्थियों को योजना में लाभान्वित किया गया है।

विशेष शिक्षण केन्द्र (कोचिंग) योजना :-

विभागीय छात्रावास/आश्रम में प्रवेशित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं वाणिज्य इत्यादि कठिन विषयों के लिये विशेष कोचिंग संचालित करके विषयवार प्रावीण्यता में वृद्धि एवं परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार लाना।

विशेष शिक्षण केन्द्र हेतु शिक्षक की व्यवस्था विकासखंड स्तर पर गठित समिति द्वारा। चयनित शिक्षकों को कक्षा 8वीं से 10 तक अध्यापन हेतु प्रति कालखंड (प्रति घंटा 75/- रु) एवं कक्षा 11वीं से 12वीं प्रति काल खंड (प्रति घंटा 100 रु) पारिश्रमिक देय।

वर्ष 2009-10 में 714 कोचिंग केन्द्र संचालित किये गये जिनमें अनु.जाति वर्ग के 8886 एवं अनु.जनजाति वर्ग के 24063 कुल 32949 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना:-विभाग द्वारा संचालित माध्यमिक आश्रम एवं प्री./पो.मैट्रिक छात्रावासियों को निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण केन्द्र पर कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सामग्री की व्यवस्था विभाग अथवा विभाग से अनुबंधित संस्था द्वारा की जाती है, एक शिक्षा सत्र में प्रशिक्षण की संचालन अवधि अधिकतम 6 माह के लिए है। वर्ष 2009-10 में 839 छात्रावास/आश्रमों में 40020 विद्यार्थियों को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया। तथा 182.90 लाख की राशि व्यय की गई।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना :- मेडिकल सुविधा अप्राप्त दूरस्थ क्षेत्रों में संचालित छात्रावासी विद्यार्थियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा गंभीर रोग/दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। योजना जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र विहीन मुख्यालय पर संचालित छात्रावास/आश्रमों में लागू है। चिकित्सक की व्यवस्था जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाती है। चिकित्सक द्वारा माह में कम से कम दो बार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। अनुबंधित चिकित्सक को 50 सीटर संस्था के लिए 500 रु प्रति भ्रमण एवं 100 सीटर संस्था के लिए 800 रु प्रति भ्रमण मानदेय का भुगतान किया जाता है। योजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 में 61 निजी चिकित्सकों को अनुबंध किया जाकर 2423 संस्थाओं में निवासरत 38809 विद्यार्थी लाभान्वित किये गये।

आगमन भत्ता :- विभागीय पो.मै. छात्रावासों में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को उनकी रूचि के अनुरूप दैनिक उपयोग की सामग्री (गद्दा, कंबल, चादर, मच्छरदानी, थाली, गिलास, कटोरी इत्यादी) क्रय करने के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना। पो.मै. छात्रावासों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को प्रथम तीन वर्ष तक योजना के लाभ की पात्रता। प्रथम वर्ष में 800 द्वितीय वर्ष 250 एवं तृतीय वर्ष में 200 रू की आर्थिक मदद स्वीकृत की जाती है। वर्ष 2009-10 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 7402 विद्यार्थियों को 40.00 लाख की राशि वितरित की गई।

जवाहर उत्कर्ष योजना :-

- (1) **योजना प्रारंभ वर्ष :-** जवाहर उत्कर्ष योजना वर्ष 2002-03 से प्रारम्भ की गई है।
- (2) **योजना का उद्देश्य :-** अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु उत्कृष्ट निजी आवासीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलाना है।
- (3) **चयन के मापदण्ड :-** पांचवी कक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले एवं दसवीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी योजना का लाभ लेने के पात्र हैं।
- (4) **अद्यतन प्रगति :-** वर्ष 2009-10 तक इस योजना से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या 830 थी। इसके लिए कुल 900.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध था। इसमें से 898.00 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2009-10 में कक्षा छठवीं में अनुसूचित जनजाति के 150 विद्यार्थी एवं **अनुसूचित जाति के 50 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया।** इसी प्रकार कक्षा ग्यारहवीं में 30 विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति के एवं 15 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया।

नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु अनुदान - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की युवतियों को नर्सिंग पाठ्यक्रम में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की 245 तथा अनुसूचित जाति की 155 युवतियों को प्रवेश दिलाने का प्रावधान है।

3.20 विधि एवं विधायी कार्य विभाग :-

राज्य शासन सभी नागरिकों को न्याय उपलब्ध कराने के संवैधानिक दायित्व को पूर्ण करने के लिए समाज के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता उपलब्ध कराती है।

1. **राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वर्तमान में संचालित मुख्य योजनाएं :-**
 1. लोक अदालत
 2. विधिक सहायता एवं सलाह
 3. विधिक साक्षरता शिविर

4. पेंशन लोक अदालत
5. जनउपयोगी स्थायी लोक अदालत
6. विधिक सेवा अधिवक्ता योजना
7. अभिरक्षाधीन बंदियों की पैरवी हेतु रिमाण्ड विधिक सेवा अधिवक्ता यासेजना
8. पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना
9. जिला विधिक परामर्श केन्द्र
10. आनलाईन विधिक सेवा योजना
11. कारागार परिसर में विधिक सेवा केन्द्र योजना
12. न्याय-सदन का निर्माण

2. ये योजनाएं मुख्य रूप से स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत, विधिक सहायता एवं सलाह तथा विधिक साक्षरता के रूप में संचालित की जाती है। जिसके अंतर्गत निम्न कार्य संपादित किए जाते हैं :-

(अ)लोक अदालत :- इसके अंतर्गत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अथवा न्यायालय में प्रकरण पेश होने के पूर्व पक्षकारों के आपसी राजीनामे के आधार पर दिवानी, मोटर दुर्घटना, फौजदारी (समझौता योग्य प्रकरण), सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन ग्रेज्युटी, बीमा इत्यादि के राशि विलंब से प्राप्त होने एवं अन्य प्रकरणों पर निराकरण किया जाता है।

(ब) विधिक सहायता एवं सलाह :- इसके अंतर्गत ग्रामीण/शहरी क्षेत्र एवं जेल परिसर शिविर आयोजित कर विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी, जनउपयोगी, कानूनी, महिलाओं बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए बनाये गये कानूनों, संरक्षण,प्रकोष्ठों तथा शासन के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त किये जाकर लोगों को अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाता है।

3. उक्त योजनाओं के अंतर्गत आयोजित लोक अदालत एवं विभिन्न शिविरों तथा निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि के साथ वर्गवार लाभान्वितों की संख्या संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

3.21 जनसंपर्क विभाग :- विभाग द्वारा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रांतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्रमों में प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार निम्नानुसार किया गया :-

3.21.1 संचालनालय द्वारा प्रशिक्षित नाचा दलों/कला मण्डलियों द्वारा शासन की योजनाओं से जुड़े प्रचार-प्रसार के कार्यक्रमों के माध्यम से छत्तीसगढ़ी, हलबी, गोंडी तथा सरगुजिया आदि स्थानीय बोलियों में नाचा तथा कठपुतली कार्यक्रमों के माध्यम से कराये गये। प्रति नाचा मण्डली को प्रति कार्यक्रम रूपये 2000/- पूर्वानुसार जिसमें वाहन किराया, माईक, भोजन एवं मानदेय शामिल है। के मान से 59 नाचा दलों पर कुल रू. 18,88,000/- (रू. अटठारह लाख अठासी हजार मात्र) व्यय किये गये। इस नाचा मण्डलियों से 944 कार्यक्रम कराये गये।

संचालनालय द्वारा प्रदेश स्तर पर 18 चलित छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिस पर 3911600/- (39 लाख,11 हजार,6 सौ व्यय किये गये) चलित छायाचित्र प्रदर्शनी में शासन की योजनाओं नीतियों और उपलब्धियों की जानकारी छायाचित्र एवं फलेक्स आदि के माध्यम से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में, एवं हाट बाजारों में प्रचार-प्रसार किया गया। चलित प्रदर्शनी के साथ शासन की योजनाओं को गीत के माध्यम से प्रसारित किया गया।

शासन की योजनाओं के पम्पलेट, फोल्डर मुद्रण कराये गये एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में वितरण कराये गये जिस पर कुल व्यय 1,98,670/- व्यय हुये। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2009-10 में आदिवासी उपयोजना मद में कुल रूपये 59,98,270/-(59 लाख 98 हजार 270 सौ रूपये) व्यय किये गये।

3.22. स्कूल शिक्षा विभाग

3.23. विभाग द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं का संक्षिप्त विवरण—

1. **कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय** :— यह केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं इस योजना अंतर्गत बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आवासीय विद्यालय संचालित किया जाता है
2. **नेपजेल (बालिकाओ की प्रारंभिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम)** :— यह केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं इस योजना अंतर्गत शत प्रतिशत बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा दिलाने, बालिकाओं के शिक्षा स्तर को सुधारने आदि के लिये सर्व शिक्षा अभियान से पृथक बालिकाओं के लिये एक अतिरिक्त योजना प्रारंभ की गई है।
3. **निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय** :— इस योजनांतर्गत कक्षा 01 से 08 तक के समस्त विद्यार्थियों को तथा कक्षा 9वीं एवं 10वीं की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रावाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती है।
4. **सर्वशिक्षा अभियान** :— यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इस योजना अंतर्गत 14 वर्ष के समस्त बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। इस योजना में शाला खोला जाना निर्माण कार्य व अन्य गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है।
5. **विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम – प्राथमिक** :— इस योजना में कक्षा 01 से 05 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।
6. **पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम—अपर प्राथमिक** :— इस योजना अंतर्गत कक्षा 06 से 08 कक्षा में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।
7. **निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का प्रदाय – हाईस्कूल** :— इस योजना अंतर्गत हाईस्कूल में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदाय की जाती है।
8. **पुस्तकालय योजना** :— इस योजना अंतर्गत हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं में लाईब्रेरी हेतु पुस्तकें प्रदाय किये जाने हेतु राशि का प्रावधान किया जाता है।
9. **सूचना शक्ति योजना** :— इस योजना अंतर्गत हाईस्कूल एवं उच्च, माध्य.शाला में अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
10. **सूचना एवं संचार तकनीकी** :— इस योजना अंतर्गत समस्त हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं में समस्त विद्यार्थियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है।
11. **सामाजिक शिक्षा कक्षाएं (साक्षरता)** :— इस योजना अंतर्गत साक्षरता को बढ़ावा देने के के लिये राज्य व जिला स्तरीय कार्यालय के व्यय हेतु राशि का प्रावधान किया जाता है।

12. **यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम** :- इस योजना में यूरोपियन कमीशन से शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त होता है। इस योजना में नवीन योजना तथा पूर्व से संचालित योजना जिसके राशि की कमी हो उस योजना की पूर्ति हेतु राशि का प्रावधान किया जाता है।

*** **

अध्याय – 4

विकास कार्यक्रमों की समीक्षा

शासन के विभिन्न विभागों के लिए “आदिवासी उपयोजना” (TSP) के अंतर्गत बजट में प्रावधानित राशि/प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2009-10)

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	विभाग का नाम	मांग संख्या	राज्य आयोजना			
			प्रावधान	आबंटन	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि विभाग	41	11483.14	9179.62	8398.22	
	योग		11483.14	9179.62	8398.22	91.48
2	उद्यानिकी	41	1315.02	848.16	846.45	
	योग		1315.02	848.16	846.45	99.79
3	पशुपालन एवं चिकित्सा सेवायें विभाग	41	1520.51	1538.51	1325.82	
		82	67.50	67.50	61.56	
	योग		1588.01	1606.1	1387.38	86.38
4	मत्स्योद्योग विभाग	41	526.87	526.87	458.04	
		82	145.00	145.00	129.27	
	योग		671.87	671.87	587.31	87.41
5	सहकारिता विभाग	41	4906.50	3558.78	3558.78	
	योग		4906.50	3558.78	3558.78	100
6	वन विभाग	41	10605.00	10605.00	10264.89	
	योग		10605.00	10605.00	10264.89	96.79
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	41	16459.50	16459.50	8238.14	
	योग		16459.50	16459.50	8238.14	50.05
8	ऊर्जा विभाग	41	10311.00	10011.00	8569.74	
	योग		10311.00	10011.00	8569.74	85.60
9	ग्रामोद्योग विभाग (अ) रेशम उद्योग	41	332.10	322.10	323.71	
	योग		332.10	322.10	323.71	100
	(ब) हाथकरधा	41	46.00	46.00	16.58	
	योग		46.00	46.00	16.58	36.04
	(स) खादीग्रामोद्योग	41	193.30	193.30	193.30	
	योग		193.30	193.30	193.30	100
10	जल संसाधन विभाग	41	20921.00	20920.50	20740.44	
	योग		20921.00	20920.50	20740.44	99.13
11	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	41	87620.54	86601.00	86958.82	
	योग		87620.54	86601.00	86958.82	100
12	स्कूल शिक्षा विभाग	41	33106.29	33106.29	22375.33	
		82	1.00	1.00	0.00	
	योग		33107.29	33107.29	22375.33	67.58
13	आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग	41	55152.34	55152.34	52768.00	
		82	42908.00	42908.00	36315.26	
		77	1500.00	1500.00	340.00	
	योग		99560.34	99560.34	89423.26	89.81

क्र.	विभाग का नाम	मांग संख्या	राज्य आयोजना			
			प्रावधान	आबंटन	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
14	उच्च शिक्षा विभाग	41	2338.20	2338.20	1402.56	
	योग		2338.20	2338.20	1402.56	59.58
15	जन शक्ति नियोजन विभाग	41	1987.00	1987.00	415.03	
	(अ) तकनीकी शिक्षा	41	1660.90	1649.10	758.54	
	(ब) रोजगार प्रशिक्षण					
	योग		3647.90	3636.10	1737.57	47.78
16	समाज कल्याण विभाग	41	217.48	217.48	126.69	
	योग		217.48	217.48	126.69	58.25
17	महिला एवं बाल विकास विभाग	41	14748.70	14748.70	9582.56	
		82	13.00	13.00	12.55	
	योग		14761.70	14761.70	9595.11	65.00
18.	लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग	41	15370.00	11485.56	9945.67	
	योग		15370.00	11485.86	9945.67	86.59
19.	लोक निर्माण विभाग	42	31822.58	20887.50	18211.56	
		68	11943.00	6725.00	4895.81	
		76	10000.00	12500.00	12899.33	
	योग		53765.58	40112.50	36006.72	89.76
20.	योजनाआर्थिक एवंसांख्यिकीय(राज्य योजना)	41	1792.00	1792.00	1729.50	
	योग		1792.00	1792.00	1729.50	96.51
21.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग	41	16237.52	16237.52	9547.57	
		82	382.50	382.50	312.50	
	योग		16620.02	16620.02	9860.07	59.32
22.	चिकित्सा शिक्षा विभाग	41	2990.40	2990.40	2141.25	
	योग		2990.40	2990.40	2141.25	71.60
23.	संस्कृति विभाग	41	250.00	250.00	240.71	
	योग		250.00	250.00	240.71	96.28
24.	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	41	1614.00	1614.00	260.00	
		83	1200.00	1200.00	1200.00	
	योग		2814.00	2814.00	1460.00	51.88
25.	वाणिज्य एवं उद्योग	41	1660.00	1660.00	1449.70	
	योग		1660.00	1660.00	1449.70	87.33
26.	विधि एवं विधायी कार्य	41	61.50	54.00	54.00	
	योग		61.50	54.00	54.00	100
27.	जनसम्पर्क	41	60.00	60.00	60.00	
	योग		60.00	60.00	60.00	100
28	आयुर्वेद, योग, एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग	41	260.60	260.60	2.05	
	योग		260.60	260.60	2.05	0.78
29	भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग	41	1710.00	1710.00	1539.00	
	योग		1710.00	1710.00	1539.00	90.00
	महायोग		417439.99	394453.42	339232.95	86%

4.1 कृषि एवं उद्यानिकी विभाग

4.1.1 छ0ग0 राज्य में विभिन्न स्रोतों से खरीफ मौसम में 12.82 हेक्टेयर सिंचाई उपलब्ध है जो निरा फसली क्षेत्र का 27.61 प्रतिशत है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। अनुसूचित क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर कृषि एवं फल उत्पादन अन्य विकसित कृषि क्षेत्रों की तुलना में कम है। अनुसूचित क्षेत्रों में धान, मक्का कोदो इत्यादि फसलें मुख्य रूप से उत्पादित की जाती हैं। अतः अनुसूचित क्षेत्रों में कृषि के विस्तार के लिए उन्नत कृषि उपकरण, तकनीक का प्रयोग, उन्नत बीजों तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

इस राज्य में कुल 32.55 लाख कृषक परिवार हैं जिसमें से 76 प्रतिशत लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक हैं। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति कृषकों की संख्या 32 प्रतिशत है।

4.1.2 वर्ष 2009-10 में कृषि विभाग को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत 9179.62 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसके विरुद्ध 8398.22 लाख रूपये व्यय किया गया। विवरण निम्नानुसार है :-

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग/ योजना का नाम	आवंटन	व्यय	लाभान्वित अनुसूचित जनजाति के हितग्राही
अ.	आदिवासी उपयोजना			
1.	कृषक समग्र विकास योजना	456.00	441.88	109891
2.	जनजागरण अभियान के लिये शिविरार्थियों को प्रोत्साहन	50.00	50.00	8271
3.	भू जल संवर्धन	20.00	19.84	394
4.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3916.79	3244.41	1597
5.	शाकम्बरी	523.00	522.60	4021
6.	सूक्ष्म सिंचाई स्पिंकलर	250.00	250.00	00
7.	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	704.14	704.14	00
8.	आइसोपाम विकास योजना	561.89	554.09	75743
9.	मैक्रोमैनेजमेंट वर्किंग प्लान	974.80	950.81	93016
10.	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	15.00	15.00	00
11.	मशीन ट्रेक्टर योजना	62.00	60.94	43
12.	दण्डकारण्य बस्तर में मिट्टी परीक्षण प्रयोग शाला की स्थापना	5.50	5.21	00

13.	इं.गां.कृ.वि. रायपुर को अनुदान	75.00	75.00	
14.	वृष्टि छाया क्षेत्र की इंदिरा खेत गंगा योजना	181.65	146.65	360
15.	लघु सिंचाई माइक्रोइनर सिंचाई योजना	820.00	819.98	2028
16.	नलकूप स्थापना पर अनुदान	385.35	381.66	1238
17.	कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	28.50	9.98	00
18.	मिनी राईस मिल को अनुदान	150.00	146.03	
	योग	9179.62	8398.22	296602

4.1.3 उद्यानिकी

विभाग को वित्तीय वर्ष में आदिवासी मद अंतर्गत राशि रु. 848.16 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरुद्ध राशि रु. 846.45 लाख का व्यय किया गया। योजनावार राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	मसाला विकास योजना	6.00	5.98
2.	आलू विकास योजना	38.00	37.90
3.	बड़े शहरों के आसपास साग-भाजी उत्पादन योजना	20.00	19.90
4.	घरेलु बागवानी की आदर्श योजना	8.00	8.00
5.	अधिकारियों/कर्मचारियों को उद्यानिकी प्रशिक्षण	2.80.	2.59
6.	सघन फलोद्यान विकास योजना	105.00	103.75
7.	नर्सरियों में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम	66.00	65.97
8.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	402.36	402.36
9.	स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान	200.00	200.00
	योग	848.16	846.45

4.2 पशुपालन विभाग

4.2.1 वर्ष 2009-10 में आदिवासी उपयोजना मद में पशु पालन विभाग को 1606.01 लाख का आबंटन प्रदाय किया गया था। जिसके विरुद्ध 1387.38 की राशि व्यय कर निम्न योजनायें संचालित की गईं।

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :-		
1.	गौवंशीय योजना	1.00	1.00
2.	नवीन गहन पशु विकास परियोजना की स्थापना	40.00	38.53
3.	कुक्कुट प्रक्षेत्रों का विकास	180.00	179.93
4.	सूकर वितरण अनुदान	80.00	79.78
5.	नस्ल सुधार हेतु सांडों का वितरण	25.00	24.88
6.	नस्ल सुधार हेतु बकरों का वितरण	108.00	106.69
7.	बस्तर जिले में पशुधन विकास	275.00	204.57
8.	पशु चिकित्सालय एवं औषधालय की स्थापना	97.01	28.75
9.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	800.00	723.25
	योग :-	1606.01	1387.38

4.2.2 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:-

क्रमांक	योजना का नाम	ईकाई	निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि	विशेष
1.	बैल जोड़ी का प्रदाय	संख्या			
2.	कुक्कुट प्रक्षेत्रों का विकास	कुक्कुट संख्या	20000	9097	शेष पशु/पक्षीधन का वितरण प्रक्रियाधीन है।
3.	सुकर वितरण अनुदान	सुकर 1 नर +2 मादा	1122	73	
4.	नस्ल सुधार हेतु बकरों का वितरण	बकरा संख्या	3999	0	
5.	नस्ल सुधार हेतु सांडों का वितरण	सांड संख्या	166	2	

4.3 मत्स्य विभाग

4.3.1 प्रदेश में जनजाति समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने और खाने के शौकीन हैं। प्रदेश में मत्स्य पालन बढ़ाने एवं उनमें अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कई सकारात्मक प्रयास किये गये हैं।

4.3.2 वर्ष 2009-10 में क्रियान्वित विकास की विभिन्न योजनाओं का विवरण तथा वित्तीय योजनाओं का विवरण तथा वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां तालिका में प्रदर्शित है :-

(रूपये लाखों में)

क्र.	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :-		
1	जलाशय एवं नदियों में मत्स्य विकास	39.00	37.39
2	मत्स्य बीज उत्पादन	82.50	82.35
3	राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	1.00	1.00
4	मत्स्य कृषकों को दुर्घटना बीमा	4.37	4.37
5	आदिवासी मत्स्य/पालकों को सहायता अनुदान	73.75	73.02
6	मत्स्य सहकारी समितियों को अनुदान	2.50	2.50
7	मत्स्य कृषकों का शिक्षण प्रशिक्षण	8.75	8.75
8	मत्स्य पालन प्रसार	60.00	45.00
9	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	4.00	332.95
	योग -	671.87	587.31

मछली पालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	अ.ज.जा. के लाभान्वितों की संख्या
1	जलाशय एवं नदियों में मत्स्य विकास	स्टेफाई संख्या (लाख में)	71.07	71.07	4590
2	मत्स्य बीज उत्पादन	स्पान (लाख में) स्टेफाई	4955 1705	4955 1705	21 2151
3	राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	हित. संख्या	40	40	40
4	मत्स्य कृषकों को दुर्घटना बीमा	हित. संख्या	29133	29133	29133
5	मत्स्य सहकारी समितियों को अनुदान	समिति संख्या	25	25	625
6	मत्स्य कृषकों का शिक्षण प्रशिक्षण	हितग्राही संख्या	700	700	700
7	मत्स्य पालन प्रसार	हित.संख्या	1124	1124	1124
8.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	हित संख्या	316	316	316

9	मत्स्य पालन प्रसार अभिकरणों को अनुदान	हितग्राही	454	454	174
---	---------------------------------------	-----------	-----	-----	-----

4.4 सहकारिता विभाग

4.4.1 जनजातियों में सहकारिता की भावना नैसर्गिक रूप से पायी जाती है। वनोपज संग्रहण, कृषि कार्य तथा गृह निर्माण कार्य में जनजाति समुदाय की सामूहिकता तथा सहकारिता की परंपरागत भावना आज भी परिलक्षित होती है। आधुनिक सहकारिता का स्वरूप व्यवसायिक है। यह जनजातियों की वर्तमान आर्थिक प्रतिस्पर्धा तथा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध हुआ है।

4.4.2 सहकारिता के अंतर्गत बैंकों तथा लैम्पस के माध्यमों से आदिवासियों को उनके सामाजिक उपभोग के लिए बिना ब्याज ऋण तथा अग्रिम प्रदान किया जाता है। भूमि विकास बैंक तथा अन्य सहाकारी संस्थाओं से ऋण एवं अनुदान की पात्रता सदस्यों को होती है, अतएवं जनजाति व्यक्तियों को समिति की सदस्यता/अंशपूजी क्रय करने हेतु ऋण तथा अनुदान दिया जाता है ताकि आधिकारिक संख्या में जनजाति के व्यक्ति सहकारिता क्षेत्र से समुचित लाभ प्राप्त कर सकें।

4.4.3 सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 के आदिवासी उपयोजना मद में विभाग को 3558.78 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध 3558.78 लाख व्यय किया गया। विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :-		
1	अनुसूचित जनजाति समिति को प्रबंधकीय अनुदान	5.00	5.00
2	विपणन समिति के अंश क्रय हेतु अनुदान	9.00	9.00
3	प्राथमिक कृषि साख सहाकारी समितियों की अंश पूजी में धनवेष्टन	100.00	100.00
4	केन्द्रीय सहाकारी बैंकों की अंशपूज में धनवेष्टन	90.00	90.00
5	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लैम्पस के अंश क्रय करने हेतु अनुदान	20.00	20.00
6	कृषक ऋण राहत योजना	1748.00	1748.00
7	सहाकारी शक्कर कारखाना ऋण	500.00	500.00
8	बैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा अनुसार आर्थिक सहायता	1086.78	1086.78
	योग	3558.78	3558.78

4.4.4 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1	अनुसूचित जनजाति समिति को प्रबंधकीय अनुदान	व्यक्ति संख्या	200	200
2	विपणन समिति के अंश क्रय हेतु अनुदान	सदस्य	9000	9000
3.	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की अंश पूजी का धनवेष्टन	संस्था	200	200
4.	केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अंशपूज में धनवेष्टन	संस्था	2	2
5.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लैम्पस के अंश क्रय करने हेतु अनुदान	सदस्य	40,000	40,000
6.	कृषक ऋण राहत योजना	सदस्य	1,28,000	1,28,000
7	शक्कर कारखाने हेतु अंशपूजी	संस्था	2	1
8	सहकारी शक्कर कारखाना ऋण	संस्था	2	1
9	बैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा अनुसार आर्थिक सहायता	संस्था	2	2
	योग			

4.5 वन विभाग :-

4.5.1 जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। जनजातियों को कृषि के पश्चात् सर्वाधिक आय वनों तथा वन उपजों से ही होती है। वन विभाग वन एवं वानिकी कार्य के अतिरिक्त वन ग्रामों की जनजातियों तथा विशेष जनजातियों के लिए कृषि, सिंचाई, पेयजल संबंधी कार्य भी क्रियान्वित करता है।

4.5.2 छत्तीसगढ़ में वनों के बेहतर प्रबंधन के लिए विभागीय ढांचे को पुनर्गठित किया गया है। उत्पादन वन मण्डलों तथा सामाजिक वानिकी मण्डलों को गुण दोषों के आधार पर औचित्यपूर्ण परीक्षण कर नया सेटअप तैयार किया गया है। इससे आशा की जाती है कि वन विभाग का स्थापना व्यय कम होगा तथा योजनाओं के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।

4.5.3 वन विभाग को आदिवासी उपयोजना/विशेष केन्द्रीय सहायता केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत मांग संख्या-41 में राशि 10605.00 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरुद्ध राशि 10264.89 लाख रूपये व्यय किया गया। विवरण निम्नानुसार है:-

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1	2	3	4
1	बिगड़े वनों का सुधार	3100.00	3057.67
2	सामाजिक वानिकी (स्थापना)	210.00	209.04
3.	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	225.00	212.90
4.	लघु वनोपज संघ को अनुदान (के.क्षेत्र.यो.)	200.00	200.00
5.	पर्यावरण एवं वानिकी	500.00	476.13
6.	नदी तट वृक्षारोपण योजना	360.00	356.76
7.	पौधा प्रदाय योजना	60.00	58.86
8.	ग्राम वन समितियों के माध्यम से औषधि रोपण	700.00	718.47
9	लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना	240.00	204.30
10	अतिक्रमण व्यवस्थापन हेतु वृक्षारोपण	250.00	245.86
11.	सड़के तथा मकान निर्माण	750.00	754.23
12	बांस वनों का पुनरोद्धार	1650.00	1476.59
13	संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढीकरण एवं विकास	180.00	188.94
14	लाख विकास योजना	250.00	250.00
15	लघु वनोपज संग्राहकों की सामूहिक बीमा योजना	300.00	300.00
16	वन मार्गों पर रपटा/पुलिया निर्माण	900.00	892.57
17	कर्मचारी कल्याण योजना	200.00	179.21
18	प्रसंस्करण इकाई	200.00	176.18
19	वन अधिकारों की मान्यता	100.00	97.84

20	हरियाली प्रसार योजना	100.00	87.59
21	भू-जल संरक्षण कार्य	130.00	121.75
	योग	10605.00	10264.89

4.5.4 वन विभाग द्वारा संचालित योजना की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.मां.क्र.	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	लाभान्वित अनु. जनजाति (मानव दिवस)
1.	राज्य की आयोजना बिगड़े वनों सुधार	हेक्टर	2,13,000	1,39,900	553544
2.	सामाजिक वानिकी स्था. व्यय	हे.	7.00	2720	37843
3.	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण का कार्य	हे.	8200	5990	40509
4.	सड़के तथा मकान निर्माण	नग	195	195	58518
5.	पौधा प्रदाय योजना	लाख पौधे	12.00	22.25	10656
6.	हरियाली प्रसार योजना	लाख पौधे	4.50	34.00	15587
7.	नदी तट वृक्षारोपण	लाख पौधे	35.25	25.75	4586
8.	बांस वनों का पुनरोद्धार	हे.	59000	92400	267314
9	ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघुवनोपज / औषधिरोपण	हे.	32300	32300	130068
10	पर्यावरण वानिकी	पौध तैयारी / रखखाव	3.75	2700	86196
11	भू-जल संरक्षण कार्य	हेक्टेयर	4000	4500	22041
12	वन मार्गों पर रपटा / पुलिया निर्माण	नग पुलिया	300	290	69251
13	लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना	हेक्टेयर	9000	9000	36985
14	तेजी से बढ़ने वाले वृक्ष	हेक्टेयर	7000	5575	38542
15	कर्मचारी कल्याण योजना	आवास	77	77	13904
16	प्रसंस्कारण इकाई	प्रसंस्करण इकाई	15.00	10.00	

4.6 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

4.6.1 इंदिरा आवास योजना :- योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले आवासहीन लोगों को आवास निर्माण के लिए शत-प्रतिशत

आवासीय सहायता देकर निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है। योजना अन्तर्गत नये आवास योजना के लिए 35 हजार रुपये एवं उन्नयन के लिए 15 हजार रुपये प्रति आवास के मान से शत-प्रतिशत राशि हितग्राही को अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। केन्द्र एवं राज्य का अनुपात क्रमशः 75/25 प्रतिशत है।

4.6.2 क्रेडिट कम सब्सिडी :- इस योजना के अन्तर्गत ऐसे ग्रामीण परिवार जिनकी वार्षिक आय रुपये 32,000 तक है लाभान्वित होते है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

4.6.3 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :- इस योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 75/25 का है इस योजना की विशेषता निम्नानुसार है :-

4.6.3.1 योजना के क्रियान्वयन में गुप/कलस्टर प्रोजेक्ट/एप्रोच अपनायी जायेगी।

4.6.3.2 योजना अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में उपलब्ध संसाधन, स्थानीय कौशल और बाजार की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य गतिविधियों का चयन किया जायेगा।

4.6.3.3 ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में उद्यमों की स्थापना कर गरीबी उन्मूलन करना इस योजना का लक्ष्य है।

4.6.3.4 योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले चयनित परिवार सहायता हेतु पात्र होंगे।

4.6.3.5 योजना अन्तर्गत जनजातियों के कार्यों को 10,000 और समूह के लिए 1.25 लाख अनुदान सीमा निर्धारित है सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुदान की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।

4.6.3.6 गठित समूहों में 50 प्रतिशत समूह महिलाओं के लिए होंगे।

4.6.4 राजीव गाँधी जलग्रहण विकास कार्यक्रम :- कृषि उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्थायी अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, इस योजना का संचालन प्रदेश में किया जा रहा है।

4.6.5 विभाग को वित्तीय वर्ष में आदिवासियों के विकास के लिए योजनाओं के संचालन हेतु 16459.50 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त था जिसके विरुद्ध रु. 8238.14 लाख व्यय किया गया। योजनावार विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :-		
1	इंदिरा आवास योजना	3138.993	3137.823
2	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	891.808	891.808
3	एकीकृत पड़त भूमि	107.51	55.413
4	राष्ट्रीय रोजगार गॉरेन्टी योजना	10403.189	2971.632
5	प्रशासन योजना जिला स्तर	105.00	64.942
6	सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम	300.00	300.00
7	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	904.00	816.52
8	ग्राम सड़क योजना	590.00	0.00
9	बेरोजगारी भत्ता	19.00	0.00
	योग -	16459.50	8238.14

4.7 ऊर्जा विभाग

4.7.1 आदिवासी उपयोजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत रूपये 10011.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ। आवंटित राशि के विरुद्ध रु 8569.74 व्यय किया गया। विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत व्यय तथा भौतिक उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	1748.00	461.74
2.	एकलबत्ती कनेक्शन	1903.00	1903.00
3.	ऊर्जा के गौर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत अक्षय उर्जा संस्था को अनुदान	2360.00	2205.00
4.	5 हार्स पावर के कृषि पंपों का निःशुल्क विद्युत प्रदान हेतु अनुदान	4000.00	4000.00
	योग-	10011.00	8569.74

4.7.2

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है

:-

योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	लाभान्वित अनु. जनजाति हितग्राही
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण	ग्राम संख्या	48	18	56305
एकल बत्ती कनेक्शन	हितग्राही	3,96,233	3,96,233	3,96,233
हार्स पावर के कृषि पंपों का निःशुल्क विद्युत प्रदान हेतु अनुदान	हितग्राही	35210	35210	35210
घरेलू बायो गैस	संख्या	1000	552	2760
संस्था मूलक बायोगैस संयंत्र	संख्या	2	2	400
आदिवासी छात्रावास व आश्रम का विद्युतीकरण	संख्या	250	110	3850
ग्रामीण विद्युतीकरण (होम लाईट व स्ट्रीट लाईट के द्वारा)	संख्या	110	82	6150
ग्रामीण विद्युतीकरण (सोलर पावर प्लांट के द्वारा)	संख्या	100	47	7050
सौर गर्म जल संयंत्र	लि./दिन	50,000	50,000	2500
सौर पेय जल संयंत्र	संख्या	5	23	2875
सौर सड़क प्रकाश संयंत्र	संख्या	120	196	3960
सौर सामुदायिक प्रकाश संयंत्र	संख्या	40	12	300
सौर घरेलू प्रकाश संयंत्र	संख्या	50	69	207
सौर घरेलू पावर प्लांट (1.28 किलोवॉट)	संख्या	50	46	230

4.8 रेशम एवं ग्रामोद्योग

4.8.1 राज्य के अनुसूचित जनजाति परिवारों को डाबा पालित टसर, ककून का उचित मूल्य प्रदाय करने हेतु गुणवत्ता आधारित टसर कोसा क्रय पद्धति लागू की गई है ताकि राज्य में

गुणवत्ता युक्त ककून के उत्पादन साथ-साथ वनवासी टसर कृमि पालक हितग्राहियों को उनके परिश्रम के अनुरूप उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

4.8.2 बस्तर, रायपुर एवं बिलासपुर संभाग में नैसर्गिक रूप से प्राप्त रैली एवं लरिया कोसा का उत्पादन लगभग 5.00 करोड़ नग होता है, जिसके संग्रहण से लगभग 27,000 जनजातीय एवं वनवासी परिवार लाभान्वित होते हैं।

4.8.3 वित्तीय उपलब्धियाँ

वर्ष 2009-10 में आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत मांग संख्या-41 एवं 82 में टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम में प्राप्त आवंटन रूपये 332.10 लाख के विरुद्ध रूपये 323.78 लाख व्यय किया गया। योजनावार विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :		
1	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	9.00	9.00
2	नैसर्गिक टसर, कोसा उत्पादन	156.80	156.54
3	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	55.80	53.85
4	पालित प्रजाति के कृषि पालको को ट्रेसर स्व समूह	80.00	75.35
5	अरण्डी रेशम विकास एवं विस्तार	30.50	28097
	योग-	332.10	323.71

4.8.4 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है

योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	लाभान्वित अनुसूचित जनजाति
1. पालित प्रजाति के पालको को टसर	हित संख्या	10108	10108	7547
2. प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	हित संख्या	100	125	125
3. नैसर्गिक टसर, कोसा उत्पादन	केम्प सं.	40	35	459
4. उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	हितग्राही सं.	372	372	274
5. अरण्डी रेशम विकास एवं विस्तार	एकड़ (पौध रोपण)	200 10,000	223.50 7888.00	408

ब. ग्रामोद्योग (खादी ग्रामोद्योग) वर्ष 2008-09 में आदिवासी उपयोजना मद अन्तर्गत विभाग को 193.30 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त था जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा रू 193.30 लाख का व्यय किया गया है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय	लाभान्वित अनु. जनजाति हितग्राही
1	खादी बोर्ड को कच्चा माल की सुविधा हेतु सहायता	22.00	22.00	—
2	खादी वस्त्रों पर उत्पादन पर रिबेट	13.30	13.30	96
3	खादी बोर्ड की परिवार मूलक इकाई की स्थापना हेतु सहायता	145.20	145.20	2174
4	खादी बोर्ड के कारीगरों को प्रशिक्षण	9.10	9.10	1010
5.	स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान सहायता	3.70	3.70	215
	योग—	193.30	193.30	3495

स. हाथकरघा :- वर्ष 2008-09 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 46.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था इसके विरुद्ध रूपये 16.58 लाख व्यय किया गया है।

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :		
1	एकीकृत हाथकरघा विकास योजना	21.00	0.00
2	बाजार अध्ययन	15.00	13.58
3	रिवाल्विंग फण्ड	10.00	3.00
	योग—	46.00	16.58

4.9 जल संसाधन विभाग

4.9.1 वर्ष 2008-09 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 20920.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था इसके विरुद्ध रूपये 20740.44 लाख व्यय किया गया है ।

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :-		
1.	हसदेव बांगा परियोजना	0.50	0.00
2.	सोंदूर परियोजना	3260.00	3251.76
	मध्यम परियोजना		
1.	खरखरा	800.00	799.99
2.	कोसारटेडा	1100.00	1096.78
3.	मोंगरा	250.00	250.00
4.	ल.सि.यो. नाबार्ड	3640.00	3551.91
5.	ल.सि.यो. (सामान्य)	5430.00	5450.00
6.	ल.सि.यो. सर्वेक्षण	240.00	240.00
7.	अपूर्ण सिं.यो. को पूर्ण करना अनुच्छेद 275 (1)	100.00	0.00
8.	एनिकट निर्माण	6100.00	6100.00
	महायोग	20920.50	20740.44

4.9.2 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :-

योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
वृहत परियोजना	हेक्ट.	2000	2000
मध्यम परियोजना (सामान्य)	हेक्ट.	2500.00	950.00

4.10 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा छ.ग. में मुख्यतः निम्नानुसार कार्य कराये जाते हैं:—

4.10.1 प्रदेश के उपभोक्ताओं को शक्कर, खाद्यान्न, मिट्टी तेल आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर उपलब्ध कराना अर्थात् सार्वजनिक वितरण प्रणाली लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन कराना।

4.10.2 आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अंतर्गत बने विभिन्न नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन एवं परिपालन कराना।

4.10.3 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 का क्रियान्वयन।

4.10.4 केन्द्रीय शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान, ज्वार, मक्का, बाजरा तथा गेहूँ का उपार्जन करना, ताकि कृषकों को उनकी कृषि उपज शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से कम दर पर न बेचना पड़े।

4.10.5 छत्तीसगढ़ चावल अधिप्राप्ति (उद्ग्रहण) आदेश 2001 के तहत शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार चावल मीलों से लेबी चावल का उपार्जन।

वर्ष 2009-10 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 86601.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था इसके विरुद्ध रूपये 86958.22 लाख व्यय किया गया है

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1	आदिवासी जिलो में रियायती दर पर नमक वितरण	703.00	1491.36
2	अन्नपूर्णा योजना	38.00	5.34
3.	अंत्योदय अन्न योजना	760.00	428.30
4.	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	54700.00	54633.82
5	नागरिक आपूर्ति निगम को रिवाल्विंग फंड हेतु ऋण	19000.00	19000.00
6	मार्कफेड को ऋण	11400.00	11400.00
	योग	86601.00	86958.82

4.11 स्कूल शिक्षा विभाग

4.11.1 वर्ष 2009-10 में स्कूल शिक्षा विभाग को आदिवासी उपयोजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 33107.29 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ था। इसके विरुद्ध 22375.33 लाख रुपये का व्यय किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	सर्व शिक्षा अभियान	15255.00	13080.00
2.	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक	1301.00	1300.00
3.	पुस्तकालय योजना	221.00	0.00
4.	सूचना शक्ति योजना	200.00	176.29
5.	सामाजिक शिक्षा कक्षाएं (राज्य+केन्द्र)	25.00	23.50
6.	कस्तूरबा गांधी आवासीय योजना	340.00	250.75
7.	एन.पी.ई.जी.एल.	180.00	119.60
8.	सूचना शक्ति योजना	200.00	176.29
10.	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	6250.00	4259.44
11.	यूरोपियन कमीशन	3606.55	1716.88
12.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	3108.95	790.46
13.	कन्या छात्रावास का निर्माण	1219.79	658.61
	योग -	33107.29	22375.33

4.11.2 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की उपलब्धियों निम्नानुसार है :-

योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
पुस्तकालय योजना	शाला सं.	128	128
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	छात्र	993453	993453
सूचना शक्ति योजना	छात्राएं	93100	93100
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का प्रदाय	विद्यार्थी	6,51,025	6,51,025

4.12 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, द्वारा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विभागीय कार्यक्रमों में शैक्षिक योजनाएं प्रमुख हैं। विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्रों में शालाओं के संचालन के साथ पूरक शैक्षिक योजनाएं, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण, आवासीय संस्थाओं का संचालन एवं शैक्षिक प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आर्थिक सहायता एवं सामाजिक विकास की कतिपय योजनाएं भी संचालित की जा रही है।

अनुसूचित जनजाति के उत्थान में स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसी संस्थाओं को विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है जो इन वर्गों के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करती है।

वर्ष 2009-10 में संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

4.12.1 शैक्षिक संस्थायें आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विभाग द्वारा कनिष्ठ प्राथमिक शाला से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शालाएं संचालित की जा रही है। इन शालाओं के अतिरिक्त शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए विशिष्ट आवासीय शैक्षिक संस्थाओं का संचालन भी किया जा रहा है।

विभाग द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	संस्थाओं का प्रकार	संस्थाओं की संख्या
1.	प्राथमिक शाला	16941
2.	माध्यमिक	6202
3.	हाईस्कूल	422
4.	उच्चतर माध्यमिक शाला	625
5.	आदर्श उच्चतर मा.शा. (बालक)	05
6.	कन्या शिक्षा परिसर	05
7.	एकलव्य आवासीय विद्यालय	08
8.	गुरुकुल विद्यालय	01
9.	खेल परिसर	13
10.	प्री-मैट्रिक जनजाति छात्रावास	1219
11.	पोस्ट मैट्रिक जनजाति छात्रावास	187
12.	आश्रम शालाएं अ.ज.जा. (प्राथमिक)	1031
13.	आश्रम शालाएं अ.ज.जा. (माध्यमिक)	79

जनजातियों के शैक्षिक उत्थान हेतु विभाग द्वारा निम्नानुसार शैक्षिक संस्थाएं संचालित की जा रही हैं :-

4.12.1.1 आवासीय संस्थाएं :- घर से दूर रहकर विद्या अर्जन करने वाले जनजाति के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से छात्रावास एवं आश्रम शालाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति हेतु 187 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, 1219 प्री मैट्रिक छात्रावास एवं 1110 आश्रम शालाएं संचालित की जा रही हैं जिनमें 1,32,345 अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी निवासरत हैं।

राज्य छात्रवृत्ति में हाईस्कूल स्तर तक प्रतिमाह 10 रु. की वृद्धि की गई है पूर्व की दर रु. 20 से बढ़ाकर अब रु. 30 की गई है। हाईस्कूल स्तर तक के छात्रावासी छात्र, छात्राओं को देय शिष्यावृत्ति में 100 रु. प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। अब छात्रों को 350 रु. एवं छात्राओं को रु. 360 प्रतिमाह की पात्रता है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के आगमन भत्ते की दर रु. 500 की जगह रु. 800 कर दी गई है।

4.12.1.2 खेल परिसर :-

अध्ययन के साथ-साथ जनजाति के छात्र-छात्राओं की खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिए विभाग द्वारा 12 खेल परिसर संचालित किए जा रहे हैं, इनमें से 5 परिसर कन्याओं के लिए हैं। प्रत्येक परिसर में 100 छात्र/छात्राएं आवासीय होकर खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिमाह रु. 350/360 शिष्यवृत्ति, 60 रु. पोषण आहार, वर्ष में एक बार रु. 350 गणवेश के लिए तथा रु. 500 खेल किट्स के लिए दिए जाते हैं।

4.12.1.3 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय :-

कक्षा 1ली से 8वीं तक अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं एवं कक्षा 9वीं एवं 10वीं की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय की जा रही है। वर्ष 2009-10 में पहली से 10वीं के 19.53 लाख छात्रा-छात्राएं लाभान्वित हुए हैं इनमें से नक्सल प्रभावित 07 जिलों में 1063853 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

4.12.1.4 अशासकीय संस्थाओं को अनुदान :-

छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के आर्थिक, परम्परागत मूल संस्कृति, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान से संबंधित गतिविधियों में अशासकीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अशासकीय संस्थाओं को अनुदान सहायता स्वीकृत करने हेतु अशासकीय संस्था अनुदान नियम बनाया गया है।

2. राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए कुल 33 अशासकीय संस्थाएं इस विभाग से अनुदान प्राप्त कर रही हैं। शिक्षण संस्थाओं में 29 संस्थाएं अनुसूचित जनजाति तथा 03 संस्थाएं अनुसूचित जाति एवं चिकित्सा क्षेत्र में 01 संस्था अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कार्य कर रही हैं। इन अशासकीय संस्थाओं के द्वारा प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, उ०मा० शालाएं, छात्रावास, आश्रम, बालबाड़ी, औषधालय आदि प्रवृत्तियां पर कार्य किया जा रहा है।
3. उक्त अशासकीय संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2009-10 में राशि रु. 2653.83 लाख अनुदान स्वीकृत किया गया है। शिक्षण संस्थाओं में कुल 21749 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति 19917 तथा अनुसूचित जाति 1832 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं। औषधालय से लाभान्वित हितग्राही की कुल संख्या 64197 है।

4.12.2 राहत योजनाएं

4.12.2.1 आकस्मिकता योजना :-

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों पर गैर अनुसूचित जाति/ जनजाति के लोगों द्वारा उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार, अपमानित करने, शारीरिक आघात पहुंचाने संपत्ति को हानि पहुंचाने आदि के मामलों में विभाग द्वारा पीड़ितों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही उत्पीड़ित व्यक्ति, उनके परिवार, आश्रितों को विभिन्न धाराओं में पुर्नवास के तहत मासिक निर्वाह भत्ता, रोजगार, पेयजल, कृषि भूमि बच्चों की शिक्षा, सामाजिक पुर्नवास, स्वरोजगार, विकलांगों को कृत्रिम अंग आदि हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

4.12.1.6 जवाहर उत्कर्ष विद्यार्थी योजना :-

राज्य में ऐसे प्रतिभावन आदिवासी छात्र जिन्होंने कक्षा 5वीं, 8वीं तथा 10 वीं की बोर्ड परीक्षाओं में क्रमशः 80 प्रतिशत, तथा 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों का चयन जिला स्तर पर किया जाकर विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक परिवेश में जिला मुख्यालय के निजी उत्कृष्ट आवासीय संस्थाओं में प्रवेश दिलाया जायेगा। विद्यार्थी आवास एवं पढ़ाई का सारा खर्च शासन वहन करेगी।

इसी तरह कक्षा 5 वीं, 8 वीं तथा 10 वीं बोर्ड परीक्षाओं में क्रमशः 85 प्रतिशत, 80 प्रतिशत, 75 प्रतिशत अंक पाने वाले विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय उत्कृष्ट आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाये जाने का प्रावधान है। विद्यार्थियों के आवास एवं पढ़ाई का सम्पूर्ण खर्च राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना से अनुसूचित जनजाति वर्ग के 900 बच्चे तथा अनुसूचित जाति के 100 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें नक्सल प्रभावित 7 जिलों के 411 विद्यार्थी शामिल हैं।

4.12.2.2 राहत योजना :-

इस योजना के तहत साधन विहीन कन्याओं के विवाह हेतु 1000/- एवं ऐसी कन्या जिनके माँ-बाप न हो के विवाह हेतु 2000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही आकस्मिक दुर्घटना अतिसंकटापन्न स्थिति में प्रकरण की परिस्थिति के अनुरूप रू. 100/- से 1000/- तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।

4.12.3 आर्थिक योजनाएं

4.12.3.1 स्वरोजगार के लिए विभाग की पहल :- छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए जिला कार्यालय से बैंकों के माध्यम से बैंक प्रवर्तित स्वरोजगार योजना संचालित है तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली की विभिन्न रोजगार योजनांतर्गत ऋण सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण मद से शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना संचालित है।

(अ) बैंक प्रवर्तित योजनांतर्गत :- अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे अथवा पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू. 19750/- एवं शहरी क्षेत्र में रू.27250/- के वयस्क लोगों को जिले के जिला अंत्यावसायी सहकार विकास समिति द्वारा ऋण वितरित किया जाता है। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय से ऋण कम्पोनेंट के साथ अनुदान समाप्त कर दिये जाने के कारण अब छ.ग. राज्य शासन के बजट में प्रावधान कर स्वीकृत ऋण के विरुद्ध अधिकतम रू. 10,000/- अथवा 50 प्रतिशत जो कम हो अनुदान प्रति हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाता है।

(ब) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली की संचालित योजनांतर्गत:- अनुसूचित जनजातियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु परियोजना प्रस्ताव तैयार कर छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर द्वारा राष्ट्रीय निगम को प्रेषित किया जाता है, जिसमें से परियोजना/प्रस्ताव लागत का 90 प्रतिशत तक राष्ट्रीय निगम द्वारा टर्म लोन उपलब्ध कराया जाता है एवं कम से कम 5 प्रतिशत अंश राज्य निगम तथा अधिकतम 5 प्रतिशत हितग्राही को देना होता है। योजना का क्रियान्वयन एवं ऋण का वितरण जिला स्तर पर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा जिले के मूल निवासी, वयस्क एवं अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा की दोगुनी आय वर्ग के लोगों को किया जाता है साथ ही हितग्राही चयन हेतु जिला स्तर पर राज्य शासन द्वारा गठित योजनाओं में हितग्राही चयन समिति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय निगम द्वारा छ.ग.राज्य निगम से दिये जा रहे ऋण वापसी की गारंटी लेता है एवं राज्य निगम हितग्राही से ऋण की

गारंटी हेतु जमानतदार एवं ऋण दस्तावेज पूर्ण कराता है। राष्ट्रीय निगम को प्राप्त ऋण पर निम्नानुसार ब्याज दिया जाता है :-

क.	प्रति परियोजना इकाई लागत	राष्ट्रीय निगम द्वारा राज्य निगम से ली जा रही ब्याज का प्रतिशत	राज्य निगम द्वारा हितग्राही से ली जा रही ब्याज का प्रतिशत
1.	रु. 50,000 /- तक	2 प्रतिशत	4 प्रतिशत
2.	रु. 5,00,000 /- तक	3 प्रतिशत	6 प्रतिशत
3.	रु. 10,00,000 /- एवं अधिक	4 प्रतिशत	8 प्रतिशत

(स) अनुसूचित जनजाति-शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना :- राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण से प्राप्त राशि से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को स्वावलंबी बनाने हेतु "शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन" के नाम से योजना संचालित की जा रही है। आर्थिक रूप से पिछड़े हुये अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे असहाय व्यक्ति जो स्वयं का व्यवसाय/उद्योग स्थापित करने के इच्छुक है किन्तु उनके पास कोई व्यावसायिक पृष्ठभूमि नहीं है अथवा स्वयं के साधन एवं पूंजी नहीं है, उन्हें आर्थिक योजनाओं में प्रशिक्षण, साधन एवं पूंजी उपलब्ध कराते हुए व्यवसाय में स्थापित कराना है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़े और व्यावसायिक की ओर प्रोत्साहित हो। स्वरोजगार स्थापना करने हेतु दुकान आबंटन करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें साज-सज्जा, कार्यशील पूंजी आदि हेतु भी ऋण की सहायता आवश्यक होगी। इस हेतु कुल राशि रु. 1,00,000 /- तक में योजना के अनुरूप 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण की व्यवस्था की जावेगी। ऋण के निर्धारित मासिक किश्तों का 5 वर्ष की अवधि में ब्याज सहित चुकाना होगा। नियमित किश्त तीन वर्ष ब्याज सहित अदायगी करने की स्थिति में दुकान का मालिकाना हक हितग्राही को दे दिया जावेगा। हितग्राहियों को इसके अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें रु.2000 /-राशि प्रति प्रशिक्षणार्थी की मान से व्यय किया जाता है। प्रोत्साहन लाभ योजना में नियमित तीन वर्ष तक मासिक किश्त अदा करने वाले को रु. 75,000 /- की राशि रियायती किश्तों एवं दुकान के मालिकाना हक के रूप में प्राप्त होगी। ब्याज दर कुल ऋण राशि पर मात्र 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज हितग्राहियों से लिया जायेगा।

4.12.4 क्षेत्रीय विकास योजनाए :-

4.12.4.1 स्थानीय विकास कार्यक्रम —योजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि से परियोजना सलाहकार मण्डल की सलाह एवं स्वीकृति से विभिन्न विकास विभागों द्वारा जिला के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, लघु अंचल क्षेत्र एवं माडा पाकेट में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर पेयजल सुविधा, पहुंच मार्गों, पुल-पुलियों एवं रपटों का निर्माण,

शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, स्वस्थ्य सेवाएं तथा चिकित्सक आवास गृह के निर्माण कार्य कराये जाते हैं तथा इस राशि से परिवार मूलक कार्य भी किये जाते हैं।

4.12.4.2 विभागीय संस्था भवनों का निर्माण :-

योजनान्तर्गत भवन विहीन विभागीय छात्रावासों/आश्रमों, उ.मा.शालाओं हाईस्कूलों के लिए भवनों के निर्माण एवं संधारण कार्य विभागीय एवं अन्य निर्माण एजेन्सियों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं।

4.12.5 आदिवासी उपयोजना अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं :-

वित्तीय वर्ष 2009-10 में विभाग को आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत 99560.34 लाख के आवंटन के विरुद्ध 89423.26 लाख व्यय किया गया। विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	उपलब्धियां	
		वित्तीय	भौतिक हितग्राही
शैक्षणिक योजनाएं -			
1	राज्य छात्रवृत्ति	534.80 24080.00	882509
2	कन्या शिक्षा प्रोत्साहन	586.93	61546
3	शिष्यवृत्ति छात्रावास	2290.60	51786
4	शिष्यवृत्ति आश्रम	3117.88	71240
5	छात्रगृह योजना	8.18	893 छात्र
6	आगमन भत्ता	49.51	7181
7	मा.शि.मण्डल परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	24.54	6479 छात्र
8	निःशुल्क गणवेश प्रदाय	634.00	423857
9	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	1740.64	72348
10	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	4604.50	1656249
11	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	1152.33	30 संस्थाएं
12	निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना	54.72	29916 विद्यार्थी

13	छात्रावास/आश्रम शैक्षणिक संस्था का निर्माण	4311.25	966
14	मेधावी छात्रों को उच्चतर शिक्षा	862.08	904 विद्यार्थी
15	छात्र भोजन सहाय योजना	120.56	10291 विद्यार्थी
16	विशेष कोचिंग योजना	118.14	320.00
17	कम्प्यूटर शिक्षा योजना	182.90	928.00
18	मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना	65.70	676
19	वाहन चालक प्रशिक्षण योजना	24.74	184
20	आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास	384.62	421 कार्य (750 ग्राम)
21	प्रवीण्य छात्रवृत्ति	2.40	465
22	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय	160.00	61185
23	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	23.38	02
24	बस्तर विकास प्राधिकरण	547.63	527
25	सरगुजा विकास प्राधिकरण	2164.35	640
26	पायलट प्रशिक्षण योजना	19.91	03
27	नर्सिंग प्रशिक्षण	81.94	115
28	स्वस्थ तन स्वस्थ मन	59.89	29658

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में क्रियान्वित विकास योजनाएं :-

4.12.7.1 अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देने के उद्देश्य से आदिवासी उपयोजना की अवधारणा स्वीकृत की गई है। प्रदेश में उन्नीस (19) एकीकृत आदिवासी परियोजनायें, 9 माडा पाकेट, एवं 2 लघु अंचल संचालित है।

4.12.7.2 परियोजना के गठन के साथ ही उनको क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से परियोजना सलाहकार मण्डलों का गठन किया गया है। परियोजना सलाहकार मण्डल के अनुमोदन पश्चात् ही अनुमोदित योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित विकास विभागों को उपलब्ध कराये गए आवंटन के अनुसार किया जाता है ताकि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उन्हें सामान्य वर्ग के समतुल्य लाना संभव हो सके।

4.12.7.3 परियोजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता, स्थानीय विकास कार्यक्रम एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में प्राप्त आवंटन व्यय तथा उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है :- (रूपये लाखों में)

क्रमांक	विवरण	प्राप्त आवंटन	व्यय	स्वीकृत कार्य
1.	ए.आ.वि. योजना	5252.7598	5252.76	1718
2.	माडा पाकेट	512.780	512.780	188
3.	लघु अंचल	29.04	29.04	26
4	विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण	528.30	528.30	

उपरोक्त योजनाओं में परियोजनावार/सेक्टरवार लिये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 4 – अ,ब,स,द में संलग्न है।

4.12.7.4 परियोजनाओं को प्रदत्त आवंटन दो भागों में विभक्त होता है, प्रथम राजस्व मद एवं द्वितीय पूंजी मद। राजस्व मद के अन्तर्गत परिवार मूलक आर्थिक विकास के कार्य लिए जाते हैं तथा पूंजीमद अन्तर्गत अधोसंरचना विकास एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राशि दी जाती है। केन्द्र शासन के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 25.05.2003 के अनुसार परियोजना मद की राशि 30 प्रतिशत पूंजीमद एवं 70 प्रतिशत राशि राजस्व मद में व्यय किया जाना है।

4.12.7.5 परियोजना सलाहकार मण्डल :-

परियोजना सलाहकार मण्डलों को और सक्षम बनाने के उद्देश्य से शासन के आदेश क्रमांक/एफ-23/4/96/3/25, दिनांक 19.05.97 अनुसार सलाहकार मण्डल का गठन किया गया है। परियोजना सलाहकार मण्डलों को रूपये 10 लाख के कार्य स्वीकृत करने के अधिकार सौंपे गए तथा सदस्य सचिव,परियोजना अधिकारियों को बनाया गया। इसका गठन निम्नानुसार किया गया है :-

1. अध्यक्ष – राज्य शासन द्वारा मनोनीत। अनुसूचित जनजाति वर्ग का मंत्री विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा जनपद अध्यक्ष।
2. सदस्य –
 - क. जिला पंचायत अध्यक्ष।
 - ख. परियोजना क्षेत्र के समस्त विधायक यदि कोई विधायक मंत्री हो तो वे सदस्य के रूप में अपना प्रतिनिधि नामांकित कर सकेंगे।
 - ग. परियोजना क्षेत्र के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष।

- घ. जिला पंचायतों के दो आदिवासी सदस्य जिनमें से एक महिला आदिवासी सदस्य होगी। यदि कोई महिला आदिवासी सदस्य न हो तो शासन द्वारा नामांकित आदिवासी महिला।
- ज. परियोजना क्षेत्र में कार्यरत दो प्रतिष्ठित अशासकीय संस्थाओं के अध्यक्ष जो आदिवासी समाज के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत अथवा दो प्रतिष्ठित समाज सेवी जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के हों।
- च. अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों के विशेषज्ञ।
- छ. कलेक्टर।
- ज. व्यवस्थापक, स्थानीय लीड बैंक।
- झ. अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी बैंक।
- ञ. अध्यक्ष भूमि विकास बैंक।

शासन के आदेश क्रमांक एफ-23725/95/3/25 ए, दिनांक 08.01.98 अनुसार परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि का उपयोग परियोजना स्तर पर परियोजना सलाहकार मण्डलों के निर्णय अनुसार ही शासन के दिशा निर्देश (1 मई 98) में निहित प्रावधानों पर उपयोग करने में प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे।

राज्य शासन चाहता है कि समस्त परियोजना सलाहकार मण्डल विशेष केन्द्रीय सहायता मद से राशि उपयोग में भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों को सदैव ध्यान में रखें। विशिष्ट रूप से राज्य शासन की अपेक्षा है कि कोई भी ऐसा कार्य हाथ में न लिए जायें जो विशेष केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य के विपरीत हों। इस परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नांकित कार्य इस मद से नहीं लिए जा सकेंगे :-

1. ऐसे कार्य जिनमें कोई आवर्ती व्यय निहित हो अथवा अमले पर किसी प्रकार का कोई भी व्यय अनावर्ती अथवा आवर्ती निहित हो।
2. कार्यालयीन सामग्री, कुलर, पंखे, वाहन, मशीनरी, टाइपराइटर अथवा साज-सज्जा पर किसी प्रकार का कोई व्यय।
3. विभाग के सामान्य बजट में स्वीकृत योजना में विद्यमान कमी को पूरा करने के लक्ष्य से किये जाने वाला व्यय।
4. किसी अन्य मद से लिए गए कार्य पर अनुपूरक व्यय।
5. शासन, वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित मदों में से किसी प्रकार का व्यय।

उपरोक्त व्यय प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन की अपेक्षा है कि परियोजना सलाहकार मण्डल कार्यों के चयन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हों और स्थानीय

आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करें। राज्य शासन का परामर्श है कि इस मद से केवल ऐसे ही कार्य लेना श्रेयष्कर होगा जो एक ही वित्तीय वर्ष के भीतर पूर्ण किये जा सकें।

4.12.7.6 परियोजना क्रियान्वयन समिति :-

जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को सदस्य बनाते हुए परियोजना क्रियान्वयन समिति का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 523/एमएस/76, दिनांक 21 जून 1976 में किया गया था। इसके पश्चात मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 98/7 प्र.स./आ.जा.क./90, दिनांक 19.11.98 में परियोजना अधिकारियों के दायित्व के संबंध में निर्देश जारी हुए। इस समिति के निम्न कार्य हैं:-

1. परियोजना क्षेत्र के आदिवासी विकास के लिए योजना/प्रोजेक्ट तैयार करना।
2. परियोजना क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा उसमें आने वाली कठिनाईयों को संबंधित विभागों के सहयोग से दूर किया जाना।
3. परियोजना क्षेत्र में किए गए कार्यों में आवश्यक विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।
4. परियोजना क्षेत्र एवं जनजातियों के विकास के लिए वार्षिक तथा पंचवर्षीय कार्य योजना बनाना। अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कार्य करना।

शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि परियोजना क्रियान्वयन समिति की नियमित बैठक हो ताकि परियोजना मद से किये जा रहे कार्यों में आवश्यक निगरानी रखी जा सकें।

4.12.7.7 आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन :- वर्ष 2004 में अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया।

प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य प्राधिकरण क्षेत्र के जनजातियों एवं उपयोजना क्षेत्र के लिये प्रावधानित राशियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय पर्यवेक्षण की नीति को अपनाना, क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप विकास कार्यों की त्वरित स्वीकृति एवं क्रियान्वयन, विकास कार्यों से जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना तथा आदिवासियों की संस्कृति का परिरक्षण है।

(अ) बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :- राज्य शासन द्वारा 3 आदिवासी बाहुल्य जिले क्रमशः बस्तर, उत्तर बस्तर, कांकेर तथा दक्षिण बस्तर दंतेवाडा को मिलाकर बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष 2004 में किया गया तथा वर्ष 2005-06 में राज्य के दक्षिण हिस्से की एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के क्षेत्रों को सम्मिलित कर इसका

विस्तार किया गया। वित्तीय वर्ष 2009-10 में इस प्राधिकरण हेतु 3500.00 लाख रु. का प्रावधान रखा गया। जिसके विरुद्ध 3436.13 लाख की राशि व्यय की गई एवं 564 कार्य कराये गये।

(ब) सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :- राज्य शासन द्वारा वर्ष 2004-05 में 3 आदिवासी बाहुल्य जिले क्रमशः सरगुजा, कोरिया तथा जशपुर को मिलाकर सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया तथा वर्ष 2005-06 में इसका विस्तार करते हुए राज्य के उत्तरी हिस्से के एकीकृत आदिवासी परियोजना के क्षेत्रों को शामिल किया गया। वित्तीय वर्ष 2009-10 में इस प्राधिकरण हेतु 3500.00 लाख रु. का प्रावधान रखा गया जिसके विरुद्ध 3446.65 लाख की राशि व्यय की गई एवं 640 कार्य कराये गये।

4.13 उच्च शिक्षा विभाग :-

4.13.1 उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 योजनाओं के संचालन के लिए 2338.20 लाख रु. का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरुद्ध 1402.56 लाख रु. व्यय किये गये। योजनावार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :		
1	महाविद्यालयों में खेलकूद प्रोत्साहन	12.00	11.30
2	कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	1772.20	958.42
3	आयोग से प्राप्त सहायता से महाविद्यालय का विकास	2.00	0.00
4	स्वशासी महाविद्यालय	2.00	0.00
5	आदिवासी छात्रों को पुस्तक/स्टेशनरी का प्रदाय	60.00	55.70
6	सरगुजा में वि. वि. की स्थापना	220.00	160.00
7	बस्तर विकास वि.वि. की स्थापना	220.00	217.14
8	महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण	50.00	0.00
	योग -	2338.20	1402.56

4.14 जनशक्ति नियोजन विभाग

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विशेष सुविधायें देने के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही थी अब इन संस्थाओं का संचालन तथा विभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन जनशक्ति नियोजन

विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभाग के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार प्रशिक्षण से संबंधित वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :-

4.14.1 तकनीकी शिक्षा विभाग :- तकनीकी शिक्षा द्वारा संचालित योजनाओं के लिए आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत वर्ष में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:-
(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1	इंजीनियरिंग महाविद्यालय विशेष कोचिंग	12.00	6.30
2	बुक बैंक योजना	8.00	5.81
3	वेतन भत्ते	767.00	63.59
4	पूँजी परिव्यय	600.00	0.00
5	मशीन/उपकरण	600.00	339.33
	योग	1987.00	415.03

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1	इंजीनियरिंग महाविद्यालय विशेष कोचिंग	महा.वि	17	14
2	बुक बैंक योजना	महा.वि.	17	15
3	मशीन/उपकरण	महा.वि	5	5

4.14.2 रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग :- विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:-
प्रशिक्षण प्रभाग (रूपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	मिनी आई.टी.आई. की स्थापना	1380.50	586.40
2.	बेरोजगारी भत्ता	172.50	95.64
3.	जनजागरण अभियान	69.00	62.10
4	नवीन जिला कार्यालय व्यय	27.10	14.40
	योग	1649.10	758.54

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	लाभान्वितों की संख्या
1.मिनी आई.टी.आई. की स्थापना	हितग्राही	2044	2044	574
2.बेरोजगारी भत्ता	हितग्राही	3335	2164	2164
योग-		5379	4208	2738

रोजगार प्रभाग – विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:-

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	क्र. योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	लाभान्वितों की संख्या
1	बेरोजगारी भत्ता	हितग्राही	3100	2033	2033
2	जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को प्रोत्साहन	हितग्राही	1500	350	350
3	अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र,जगदलपुर	हितग्राही	40	37	37
4	नवीन जिला नारायणपुर/बीजापुर में कार्यालय व्यय	जिला	02	02	0

4.15 समाज कल्याण विभाग:-

4.15.1 समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए आदिवासी उपयोजना मद अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:-

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	अंधमूक बधिर शालाओं को अनुदान	30.00	30.00
2.	अंधमूक बधिरों को वृत्तियां एवं छात्रवृत्ति	20.00	15.89
3.	विकलांग तथा अपंगों को विशेष सहायता	40.00	39.85
4.	बालिका किशोर गृह की स्थापना	54.20	0.00
5.	अंधे तथा बहरे के लिए शालायें	73.28	40.95
	योग	217.48	126.69

4.15.2 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है

क्र	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि	अनुसूचित जनजाति के लाभान्वितों की संख्या
1	अंधमूक बधिर शालाओं को अनुदान	हित.	800	477	215
2	अंधमूक बधिरों को वृत्तियां/ छात्रवृत्तियां	हितग्राही	3500	3468	2778
3	विकलांग तथा अपंगों को विशेष सहायता	हितग्राही	1500	1899	694
4	बालिका किशोर गृह का निर्माण	संस्था	3	00	00
5.	अंधे बहरे तथा गूंगों के लिये शालाएं तथा संस्थाएं	हितग्राही	250	24	12

4.16 महिला एवं बाल विकास

4.16.1 आदिवासी क्षेत्रों में विभाग द्वारा आदिवासियों के संरक्षण एवं विकास हेतु संचालित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

4.16.2 उपर्युक्त योजनाओं के लिए वर्ष. 2009-10 में विभाग को राशि रु.14761.70 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध राशि रु. 9595.11 लाख रूपये व्यय किये गये। योजनावार जानकारी निम्नानुसार है:-

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	निराश्रित बाल संस्थाओं को सहायक अनुदान	25.00	16.93
2.	ग्रामीण महिलाओं के लिए दिशा दर्शन एवं भ्रमण	4.00	4.00
3.	आयुष्मति योजना	45.00	34.44
4.	महिला जागृति शिविर	40.50	39.89
5.	निर्धन युवक युवतियों का विवाह	88.00	84.46
7.	शक्ति स्वरूपा योजना	25.00	3.65
8.	जिला प्रशिक्षण सह संसाधन केन्द्र	7.00	0.00
9.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार कार्यक्रम	315.60	126.35
10.	मिनीमाता पोषण आहार कार्यक्रम सरगुजा पैकेज	200.00	0.00
11.	आदिवासी क्षेत्रों में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	12464.00	7853.99
12.	समाज कल्याण के अंतर्गत कार्यरत संस्थाओं को अनुदान	1.00	0.00

13.	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सायकिल प्रदाय	323.00	321.58
14.	कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय	1223.60	1109.82
	योग:-	14761.70	9595.11

4.16.3 विभाग द्वारा संचालित उपर्युक्त योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है

क	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि	अनु.ज.जा. लाभान्वितों की संख्या
1	आयुष्मति योजना	हितग्रही	8345	8345	5701
2	दिशा दर्शन	हितग्रही	25527	25527	6991
3	आदिवासी क्षेत्र में विशेष पोषण आहार कार्यक्रम	छात्र सं.	2362371	2362371	888076
4	जागृति शिविर	हितग्रही	173697	173697	60600
5.	कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को मानदेय	हितग्रही	27259	27259	2450
6.	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साइकिल अनुदान	हितग्रही	13276	13270	13270
7	निर्धन युवक युवतियों का विवाह	हितग्रही	1689	1689	1640
8.	निराश्रित बाल कल्याण संस्थाओं को अनुदान	हितग्रही	118	118	24

4.17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

4.17.1 आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही जीवन ज्योति चलित चिकित्सालय योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना केन्द्रीय शासन की विशेष सहायता से प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उनके रहने के स्थान के करीब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी विकासखण्ड के लिए चलित चिकित्सालय स्वीकृत किये गये हैं। बहुधा देखा गया है कि आदिवासी हाट बाजार में जरूर उपस्थित होते हैं। अतः हाट बाजार में ही चलित अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

4.17.2 आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया निरोधी कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासियों को सहज उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मलेरिया लिंक कार्यकर्ता ऐच्छिक सेवा के आधार पर रखे गए हैं, जिन्हें समुचित मात्रा में दवाईयां उपलब्ध कराई जाती है।

4.17.3 विभाग अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में तथा सामान्य क्षेत्रों में पृथक प्रशासनिक व्यवस्था है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना में निम्नानुसार मापदण्ड अपनाये जाते हैं:-

क्रमांक	संख्या	सामान्य क्षेत्र (जनसंख्या पर)	आदिवासी क्षेत्र (जनसंख्या पर)
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
3.	उप-स्वास्थ्य केन्द्र	5,000	3,000

विभाग को वर्ष 2009-10 में 11485.86 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध 9945.67 लाख रूपयों का व्यय किया गया।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

(रूपये लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :-		
1	जिला चिकित्सालयों का उन्नयन	1125.49	830.35
2	एकीकृत बाल विकास सेवा (के.क्षे.यो.)	27.30	14.91
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3031.85	2581.79
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	1743.30	1572.23
5	उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (के.प्र.यो.)	479.65	223.80
6	जीवन ज्योति चलित औषधालयों की स्थापना	171.54	56.39
7	उप स्वा.केन्द्र की स्थापना	918.50	909.11
8	ग्वाइटर रोग नियंत्रण	1.10	0.66
9	शीत ज्वर (के.प्र.यो.)	665.03	493.05
10	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	1182.30	1182.30
11	स्वास्थ्य मितानिन योजना	69.00	69.00
12	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	75.42	16.22
13	यूरोपीयन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	1995.38	1995.38
	योग :-	11485.86	9945.67

4.18 लोक निर्माण विभाग

4.18.1 छत्तीसगढ़ तथा इसके अनुसूचित क्षेत्रों में अन्य विकसित राज्यों की तुलना में सड़क मार्गों की लम्बाई कम है। अनुसूचित क्षेत्रों में अब भी पहुँच विहीन ग्रामों की संख्या बहुत है। नवगठित छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का एक ऐसा "नेट वर्क" विकसित करने का निर्णय लिया है जिसके माध्यम से राज्य की उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की सीमाएँ चारों दिशाओं से आपस में जुड़ेगी। विभाग द्वारा

संचालित योजनाओं की वित्तीय उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है:-

(रूपये लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :-		
1.	वृहद पुल निर्माण	7845.00	6983.10
2.	नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत वृहद पुलों का निर्माण	132.00	88.52
3.	राज्यों के राज्यमार्ग	153.00	92.85
4.	चतुर्दिक दिशाओं को जोड़ने हेतु कारीडोर का निर्माण सड़क एवं पुल	1500.00	1136.42
5.	मुख्य जिला मार्ग	1000.00	53.77
6.	न्यूनतम आवश्यकता कार्य	100000.00	9725.52
7.	सर्वेक्षण कार्य	51.50	39.18
8.	पुलों का निर्माण अनुच्छेद 275 (1) सड़क एवं पुल	50.00	19.06
9.	भू-अर्जन मुआवजा	00	00
10.	मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम (आदिवासी राज्य आयोजना)	108.00	97.40
11.	माध्यमिक विद्यालय भवनों का निर्माण	139.00	37.82
12.	उच्च शिक्षा महाविद्यालय भवन निर्माण	400.00	382.74
13.	आयुर्वेदिक अस्पताल एवं औषधालय भवन निर्माण	147.50	92.58
14.	उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	500.00	376.90
15.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	700.00	788.04
16.	चिकित्सालयों में शैयाओं की वृद्धि	100.00	48.40
17.	न्याय प्रशासन (के.प्र.यो.)	1.00	0.00
18.	छात्रावास आश्रम भवन	213.50	264.11
19.	शिक्षक आवास गृह एवं चतुर्थ श्रेणी आवास गृह	10.00	7.20

20.	शैक्षणिक संस्थाओं के भवन निर्माण	1000.00	772.61
21.	सुरक्षित मातृत्व केन्द्र	13.00	10.14
22.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वृहत पुल	150.00	49.29
23.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण	160.00	18.47
24.	नाबार्ड ऋण सहायता अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	6.00	23.85
25.	छ.ग. स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट	12500.00	12899.35
27	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत अस्पताल भवन का निर्माण	55.00	18.82
28	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण मूलभूत सुविधाओं के लिए	900.00	825.21
29	शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय भवन का निर्माण	1000.00	663.61
30	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार संविधान के अनुच्छेद 275(1)	100.00	43.32
31	जिला/विकासखंड शिक्षा अधिकारी का भवन निर्माण	300.00	231.79
32	भाडागृह निर्माण	128.00	189.31
33	पुलिस निर्माण कार्य अतिरिक्त सहायता	500.00	0.00
34	विशेष अधोसंरचना विकास कार्य	250.00	27.34
	योग	40112.50	36006.72

4.18.2 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है

क.	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित	भौतिक उपलब्धि	अनु.ज.जा.के
----	------------------------	------	-----------	---------------	-------------

			लक्ष्य	पूर्ण	प्रगति पर	निविदा / प्रशासकीय स्वीकृति / बंद	लाभान्वितों की संख्या (लाखों में)
1.	वृहद पुल निर्माण	संख्या	248	38	81	129	29.58
2.	नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत वृहद पुलों का निर्माण	संख्या	4	1	—	3	0.37
3.	राज्यों के राज्यमार्ग	संख्या	4	1	—	3	0.39
4.	चतुर्दिक दिशाओं को जोड़ने हेतु कारीडोर का निर्माण सड़क एवं पुल	संख्या	4	1	2	1	4.81
5.	मुख्य जिला मार्ग	संख्या	16	2	—	14	0.23
6.	न्यूनतम आवश्यकता कार्य	संख्या	213	56	93	64	41.20
7.	सर्वेक्षण कार्य	संख्या	.	0	0	0	0
8.	पुलों का निर्माण अनुच्छेद 275 (1) सड़क एवं पुल	संख्या	3	2	—	1	0.08
9.	भू-अर्जन मुआवजा	संख्या	0	0	0	0	0
10.	मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम(आदिवासी राज्य आयोजना)	संख्या	7	1	1	5	0.41
11.	माध्यमिक विद्यालय भवनों का निर्माण	नग	8	2	3	3	0.16
12.	उच्च शिक्षा महाविद्यालय भवन निर्माण	नग	22	6	11	5	1.62
13.	इंजीनियरिंग तकनीकी महाविद्यालय भवन निर्माण	0	0	0	0	0	0
14.	आयुर्वेदिक अस्पताल एवं औषधालय भवन निर्माण	संख्या	21	6	2	13	0.39

15.	उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	संख्या	210	41	58	111	1.60
16.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का	संख्या	51	13	30	8	3.34

	निर्माण						
17.	चिकित्सालयों में शैयाओं की वृद्धि	नग	4	0	1	3	0.21
18.	न्याय प्रशासन (के.प्र.यो.)	0	0	0	0	0	0
19.	छात्रावास आश्रम भवन	नग	22	5	7	10	0.74
20.	शिक्षक आवास गृह एवं चतुर्थ श्रेणी आवास गृह	नग	80	21	4	55	0.03
21.	शैक्षणिक संस्थाओं के भवन निर्माण	नग	121	24	61	36	3.27
22.	सुरक्षित मातृत्व केन्द्र	नग	6	4	1	1	0.04
23.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वृहत पूल	संख्या	10	0	3	7	0.21
24.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण	संख्या	23	0	2	21	0.08
25.	नाबार्ड ऋण सहायता अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	संख्या	1	1	0	0	0.10
26.	छ.ग. स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट	संख्या	9	1	8	0	54.64
27.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत अस्पताल भवन का निर्माण	नग	7	0	4	3	0.08
28.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण मूलभूत सुविधाओं के लिए	नग	103	16	59	26	3.50
29.	शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय भवन का निर्माण	नग	1	0	1	0	2.81
30.	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार संविधान के अनुच्छेद 275(1)	नग	1	1	0	0	0.18

31.	जिला/विकासखंड शिक्षा अधिकारी	नग	56	32	16	8	0.98
-----	------------------------------	----	----	----	----	---	------

	का भवन निर्माण						
32	भाडागृह निर्माण	नग	8	3	2	3	0.80
33	पुलिस निर्माण कार्य अतिरिक्त सहायता	नग	5	0	1	4	0
34	विशेष अधोसंरचना विकास कार्य	संख्या	4	0	2	2	0.12

4.19 राज्य योजना मण्डल

4.19.1 राज्य योजना मण्डल द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना संचालित की जाती है। इस योजना हेतु प्रतिवर्ष रूपये 20.00 लाख प्रति विधानसभा क्षेत्र के मान से राशि जिला कलेक्टर को प्रदाय की जाती है जिससे क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा पर स्थानीय आवश्यकता के सार्वजनिक उपयोग हेतु पूँजीगत प्रकृति के निर्माण कार्य जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत कर जिला स्तरीय विकास विभागों/एजेन्सीयों के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते हैं। इस योजना अंतर्गत जिले को सामान्य एवं आरक्षित विधान सभा क्षेत्रों के लिए बराबर आवंटन दिया जाता है।

4.19.2 नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षित कुल 34 विधानसभा क्षेत्र हैं जिन्हें वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए रूपये 1792.00 लाख का आवंटन दिया गया था। जिसके विरुद्ध रूपये 1729.50 लाख रूपये व्यय किये गये।

योजनावार वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :-

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1	2	3	4
1.	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	1450.00	1428.60
2.	जनसहभागिता योजना	342.00	300.90
	योग	1792.00	1729.50

4.20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

4.20.1 वित्तीय वर्ष 2009-10 में इस विभाग रु. 16620.02 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध 9860.07 लाख रूपये व्यय किये गये। योजनावार वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :- (रूपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1	2	3	4
1.	ग्रामीण सर्वेक्षण और जांच पड़ताल	60.00	52.27
2.	समस्या ग्रस्त ग्रामों में पेयजल	460.00	458.13
3.	पाइपों द्वारा ग्रा.ज.ए.यो.	300.00	317.95
4.	माइक्रोप्रोजेक्ट	20.00	32.39
5.	शालाओं में शौचालय	50.00	50.00
6.	रिसर्च एवं डेव्हलपमेंट	30.00	23.67
7.	भू-जल संवर्धन	60.00	0.0
8.	नगरी नई जलप्रदाय योजना हेतु ऋण	300.00	0.00
9.	औजार एवं संयंत्र	120.00	0.99
10.	पाइपों द्वारा ग्रामीण जलप्रदाय योजना	4700.00	2978.75
11.	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	837.50	837.50
12.	शालाओं में पेयजल व्यवस्था	400.00	311.99
13.	शुद्ध पेयजल योजना	30.00	0.00
14.	बड़े बचेली जल प्रदाय	0.10	0.00
15.	जल गुणवत्ता समस्या निवारण	7622.42	3211.05
16.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना	1330.00	1307.65
17.	स्पॉट सोर्स द्वारा जल प्रदाय योजना	240.00	213.28
18.	250 से कम आबादी वाले क्षेत्र में नलकूप	60.00	64.45
	योग	16620.02	9860.07

योजनावार भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क.	योजना का नाम	इकाई	भौतिक उपलब्धि	लाभान्वित अनु. जनजाति संख्या
1	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	सेनेटरी काम्प्लेक्स व्यक्तिगत शौचालय आंगनवाडी स्वच्छता परिसर शालाओं में शौचालय	03 24283 287 384	330 145699 4268 82132
2	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम एवं जल संसाधन	नलजल योजना हैण्डपंप	8 पूर्ण 14 आंशिक पूर्ण 61 प्रगति पर 421 बसाहटें	39200 37890
3	स्पॉट सोर्स योजना	नग	15 पूर्ण 18 प्रगति पर	12750

4.21 चिकित्सा शिक्षा विभाग

विभाग को वित्तीय वर्ष में राशि रु. 2990.40 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध रु 2141.25 लाख व्यय किया गया।

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	चिकित्सा महा संबद्ध चिकित्सालय	1048.70	995.39
2.	चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर की स्थापना	1345.30	958.89
3.	नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	538.40	135.74
4-	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	58.00	51.23
	योग :-	2990.40	2141.25

4.22 संस्कृति विभाग

विभाग को पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय की स्थापना तथा कार्यशालाओं के आयोजन के लिए राशि रु. 250.00 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध राशि 240.71 लाख की राशि व्यय की गयी। वर्ष में 03 कार्य शालाओं का आयोजन एवं 07 लघु निर्माण कार्य किये गये।

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	मुक्तांगन संग्रहालय अन्य प्रभार	250.00	240.71
	योग –	250.00	240.71

4.23 नगरीय प्रशासन एवं विकास

विभाग को वित्तीय वर्ष 2009–10 में राशि रु. 2814.00 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध रु 1460.00 लाख व्यय किया गया।

क्र.	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	60.00	60.00
2	मूलभूत सेवाओं के लिये एकमुश्त अनुदान	1200.00	1200.00
3.	एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना	902.00	0.00
4.	लघु एवं मध्यम नगरों की अधोसंरचना विकास	452.00	0.00
5	झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में पेयजल तथा शौचालय इत्यादि की व्यवस्था हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान	200.00	200.00
	योग :-	2814.00	1460.00

4.24 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

विभाग को वित्तीय वर्ष 2009–10 में राशि रु. 1660.00.लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध रु 1449.71 लाख व्यय किया गया। योजनावार व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	ब्याज अनुदान	800.00	748.95
2	लागत पूंजी अनुदान	100.00	99.85
3.	नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना	760.00	600.90
	योग	1660.00	1449.70

4.25 विधि एवं विधायी कार्य विभाग

विधि एवं एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना मद में रू. 54.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध शत प्रतिशत राशि व्यय की जाकर 54.00 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया गया।

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय	अ.ज.जा.के लाभान्वितों की संख्या
1.	विधिक सहायता	23.00	23.00	1314
2.	लोक अदालत	12.50	12.50	2675
3.	विधिक साक्षरता	13.80	13.80	88174
4.	पेंशन लोक अदालत	0.80	0.80	06
5.	प्रचार-प्रसार	1.50	1.50	161
6.	अभिरक्षाधीन बंदियों के लिये विधिक सहायता	2.40	2.40	0
	योग	54.00	54.00	

4.26 भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग

भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना मद में रू. 1710.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रू. 1539.00 लाख राशि व्यय की गई।

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	गामीण क्षेत्रों के गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	1710.00	1539.00
	योग	1710.00	1539.00

4.27 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना मद में रू. 260.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रू. 2.05 लाख राशि व्यय की गई।

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	आयुर्वेद, होम्योपैथी / यूनानी औषधालय / चिकित्सालय	260.00	2.05
	योग	260.00	2.05

अध्याय – 5

विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास

5.1 छत्तीसगढ़ की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 66.16 लाख है। इसमें से 1.14 लाख (1.72 प्रतिशत) जनसंख्या भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की है। ये जनजातियां अबूझमाड़ियां, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और कमार है। प्रदेश में इन जनजातियों का वर्ष 2002 में किये गये सर्वेक्षण अनुसार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वि.पि.ज.जा. का नाम	जिला तह.	ग्राम संख्या	कुल परिवार	कुल जनसंख्या
1.	अबूझमाड़िया	बस्तर एवं दंतेवाड़ा जिला		3895	19,401
		नारायणपुर (तहसील)	152		
		दंतेवाड़ा (तहसील)	8		
		बीजापुर (तहसील)	41		
		योग-	201	3895	19,401
2.	बैगा	जिला कवर्धा	229	6319	29612
		जिला बिलासपुर	62	2828	13226
		योग -	291	9147	42,838
3.	पहाड़ी कोरबा	जिला जशपुर	88	2450	10725
		जिला अम्बिकापुर	260	4571	20,630
		जिला कोरबा	26	541	2025
		योग-	374	7562	33380
4.	बिरहोर	जिला जशपुर	11	110	401
		जिला रायगढ़	21	194	704
		योग	32	304	1105
5.	कमार	जिला रायपुर	182	2954	13,797
		जिला धमतरी	81	908	3962
		योग -	263	3862	17,759
		महायोग -	1161	24,770	1,14,483

5.2 भारत शासन द्वारा निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर किसी अनुसूचित जनजाति समुदाय को विशेष पिछड़ी जनजाति की मान्यता प्रदाय की जाती है।

1. कृषि में पूर्व प्रौद्योगिकी का चलन (झूम खेती)
2. साक्षरता का निम्न स्तर।
3. अत्यंत पिछड़े व दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करना।
4. स्थिर या घटती हुई जनसंख्या दर का होना।

5.3 विशेष पिछड़ी जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास अभिकरणों का गठन म.प्र. राज्य में रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत किया गया था। इन अभिकरणों से संबंधित कार्यकारिणी समिति में विशेष पिछड़ी जनजाति के ही अध्यक्ष एवं 5 सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित अभिकरण क्षेत्र के विधायक, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष को भी सदस्य मनोनीत किया गया है। यह कार्यकारिणी अभिकरण क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करती है। दस लाख से अधिक के कार्यक्रमों/योजनाओं की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान की जाती है।

क्र.	अभिकरण	स्थापना वर्ष	जनसंख्या सर्वेक्षण मई 2002 के अनुसार	ग्राम संख्या	टीप
1.	अबूझमाड़ विकास अभिकरण नारायणपुर	1978-79	19,401	201	अबूझमाड़िया
2.	बैगा एवं पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण बिलासपुर/कोरबा	1996	13,226	62	बैगा
3.	बैगा विकास अभिकरण कवर्धा	1996	29,612	229	बैगा
4.	पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण अम्बिकापुर	1996	2025 20630	26 260	पहाड़ी कोरवा
5.	पहाड़ी कोरबा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, जशपुर रायगढ़	1978	10,725 401 704	88 11 21	पहाड़ी कोरवा बिरहोर बिरहोर
6.	कमार विकास अभिकरण गरियाबन्द	1981-82	17,759	263	कमार

5.4 नया राज्य होने के कारण पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य के मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर वर्ष. 2009-10 में भी योजनाएं संचालित की गयी। प्रत्येक अभिकरण की समीक्षा बैठक आयोजित की जाकर योजनाओं तथा क्रियान्वयन की कमियों को दूर करने की दृष्टि से नयी कार्ययोजना बनायी जा रही है। वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन व्यय एवं स्वीकृति कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

क्र.	अभिकरण	प्रदत्त आवंटन	व्यय (लाखों में)	स्वीकृत कार्य संख्या
1.	अबूझमाड़ विकास अभिकरण नारायणपुर	89.545	89.545	11
2.	बैगा एवं पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण बिलासपुर	70.37	70.37	30
3.	बैगा विकास अभिकरण, कवर्धा	136.68	136.68	25
4.	पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण अम्बिकापुर	95.20	95.20	130
5.	पहाड़ी कोरबा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, जशपुर	54.575	54.575	12
6.	कमार विकास अभिकरण गरियाबन्द	81.985	81.985	60
	योग –	528.30	528.30	288

अभिकरणवार/सैंक्टरवार कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 4-द में संलग्न है।

5.5 इन अभिकरणों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निम्न कार्य किये जा रहे हैं :-

1. उन्नत बीज एवं खाद्य प्रदाय स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन, निःशुल्क दवाई वितरण, पशुपालन, मत्स्य पालन, बाड़ी विकास, कृषि उपकरण का प्रदाय, स्वरोजगार हेतु सहायता, वन ग्रामों का विकास, सिंचाई सुविधा से संबंधित योजनाएं आवास कुटीर निर्माण करना।
2. विशेष पिछड़ी जनजाति के भूमिहीन परिवारों को भूमि क्रय कर उपलब्ध कराना।
3. तालाब निर्माण संस्थाओं की मरम्मत, शैक्षणिक संस्थाओं, गोदामों का निर्माण, विस्तार हैण्डपम्प, विद्युतीकरण, पुल-पुलिया, रपटा, मार्ग निर्माण आदि कार्य।

5.6 राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002-03 में पंडों तथा भूंजिया जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के समतुल्य मानते हुए इनके लिए पृथक-पृथक विकास अभिकरणों का गठन किया गया।

5.6.1 पंडो विकास अभिकरण :- सरगुजा जिले में निवासरत पंडो जनजाति आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक दृष्टि से अन्य जनजातियों से पिछड़ी हुई है। पंडो जाति के पिछड़ेपन को दूर कर इनके सर्वांगीण विकास हेतु सरगुजा जिले के 14 विकासखण्डों में निवासरत पंडों जनजाति के लिए जिला मुख्यालय अंबिकापुर में पंडों विकास अभिकरण की स्थापना की गई

है। वर्ष 2009-10 में इसके लिए रू. 50.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। इस राशि से पंडो जनजाति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के कार्य लिए गए।

5.6.1 भुंजिया विकास अभिकरण की स्थापना :- राज्य के रायपुर, धमतरी एवं महासमुन्द जिले के गरियाबंद, छुरा, मैनपुर, फिंगेश्वर, नगरी, महासमुन्द, खल्लारी तथा बागबाहरा विकासखण्डों में निवासरत भुंजिया जनजाति आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ी हुई है। इनके सर्वांगीण विकास हेतु भुंजिया जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। वर्ष 2009-10 में इसके लिए रू 50.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। इस राशि से भुंजिया जनजाति के लिए सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास की योजनाएं संचालित की जा रही है।

5.7 शैक्षिक विकास हेतु पहल

1. राज्य की पहाड़ी कोरबा जनजाति शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ी हैं इन्हें शिक्षा की ओर आकर्षित करने तथा शिक्षा के लिए प्रेरित करने हेतु पहाड़ी कोरबा क्षेत्र में संचालित प्राथमिक शालाओं को आश्रम में परिवर्तित किया जा रहा है।
2. पहाड़ी कोरबा तथा बिरहोर जनजाति की कन्याओं को अच्छी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से अंबिकापुर जिले के राजपुर विकासखण्ड में एक कन्या शिक्षा परिसर की स्थापना की गई है।

5.8 जनश्री बीमा योजना

छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों यथा – पहाड़ी कोरबा, बिरहोर, कमार, बैगा एवं अबूझमाडिया परिवारों को सुरक्षा प्रदान कर लाभान्वित किए जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2004-05 से केन्द्र शासन की मंशा अनुसार जनश्री बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना 5 वर्षों के लिए संचालित है। जिसमें प्रति हितग्राही 100/- वार्षिक प्रीमियम निर्धारित है।

वर्ष 2009-10 तक रू. 123.68 लाख से 24602 विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों का बीमा कराया गया विवरण निम्नानुसार है :-

जनश्री बीमा योजनांतर्गत वर्तमान तक 174 विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों को रू. 36.00 लाख दावा राशि का भुगतान कराया गया।

5.9 विशेष पिछड़ी जनजातियों को शासकीय सेवा में (विशेष भर्ती

अभियान) में प्राथमिकता

छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन 5.एफ 9-8/2002/1/3 रायपुर दिनांक 18.07.2003 द्वारा राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि,छ.ग.राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति (प्रिमिटिव ट्राईब्स) जिसमें पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार, अबूझमाड़िया, बिरहोर, भुंजिया तथा पंडो जनजाति शामिल है के उम्मीदवार यदि तृतीय श्रेणी (गैर कार्यपालिक) एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूर्ण करते हो तो उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के समय चयन संबंधी निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना ही सीधे नियुक्ति प्रदान किये जाने की विशेष सुविधा दी जावे ।

वर्तमान में उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाकर विशेष पिछड़ी जनजाति के 96 अभ्यर्थियों को शिक्षाकर्मी 01 अभ्यर्थी को को सहायक ग्रेड-3, 01 अभ्यर्थी को वन संरक्षक, 311 चतुर्थ श्रेणी नियमित एवं 168 अभ्यर्थियों को कंटिनजेंसी चतुर्थ श्रेणी पद पर शासकीय सेवा में सीधे नियुक्ति दी गई।



अध्याय – 6

आदिम जाति मंत्रणा परिषद

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) भाग (ख) की चौथी कंडिका में दिए गए प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में नीतिगत विषयों पर राज्य शासन को परामर्श देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद गठित है। परिषद में माननीय मंत्री आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग उपाध्यक्ष है, परिषद के सदस्यों की सूची निम्नानुसार है :-

क्रमांक/एफ-20-2/25-2/आजाकवि/2009 आदिम जाति मंत्रणा परिषद नियमावली, 2006 के उप नियम 3 एवं 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिये विभाग के आदेश दिनांक 26.07.2006 द्वारा आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया था। उक्त आदेश को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा निम्नानुसार आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन करता है :

1.	मान. मुख्यमंत्रीजी	अध्यक्ष
2.	मान.प्रभारी मंत्रीजी,आ.जा.तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	उपाध्यक्ष
3.	मान.श्री बलीराम कश्यप, सांसद, बस्तर	सदस्य
4.	मान.श्री विष्णुदेव साय, सांसद, रायगढ़	सदस्य
5.	मान.श्री. सोहन पोटाई, सांसद, कांकेर	सदस्य
6.	मान.श्री राम विचार नेताम, विधायक,पाल (अनु.ज.जा.)	सदस्य
7.	मान.श्री सिद्ध नाथ पैकरा, विधायक सामरी (अनु.ज.जा.)	सदस्य
8.	मान.श्री ओम प्रकाश राठिया, विधायक, धरमजयगढ़ (अनु.ज.जा.)	सदस्य
9.	मान.श्री ननकी राम कंवर, विधायक,रामपुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
10.	मान.श्री फूलचंद सिंह, विधायक, भरतपुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
11.	मान.श्री जागेश्वर राम भगत, विधायक, जशपुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
12.	मान.श्री डमरूधर पुजारी,विधायक, बिन्द्रानवागढ़ (अनु.ज.जा.)	सदस्य
13.	मान.श्रीमती नीलिमा सिंह, टेकाम, विधायक,डौंडी लोहारा (अनु.ज.जा.)	सदस्य
14.	मान.श्री ब्रम्हानंद विधायक, भानुप्रतापपुर, (अनु.ज.जा.)	सदस्य
15.	मान.श्रीमती सुमित्रा मारकोले, विधायक,कांकेर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
16.	मान.श्री सेवकराम नेताम, विधायक,केशकाल, (अनु.ज.जा.)	सदस्य
17.	मान.सुश्री लता उसेण्डी, विधायक,कोण्डागांव (अनु.ज.जा.)	सदस्य
18.	मान.डॉ.सुभाउ कश्यप,विधायक,बस्तर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
19.	मान.श्री भीमा मण्डावी, विधायक,दंतेवाड़ा, (अनु.ज.जा.)	सदस्य
20.	मान.श्री महेश गागड़ा, विधायक, बीजापुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य

2. विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे विधानसभा के सदस्य रहेंगे, अन्य सदस्य परिषद में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद के सदस्य रहेंगे।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपालन के नाम से तथा
आदेशानुसार**

(डॉ. अनिल चौधरी)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग

छत्तीसगढ़ आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक दिनांक 28 जुलाई, 2009 का कार्यवाही विवरण

—0—

माननीय डॉ. रमन सिंह, मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, आदिम जाति मंत्रणा परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 28 जुलाई, 2009 को अपराह्न 2.00 बजे छत्तीसगढ़ आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संलग्न परिशिष्ट एक एवं दो में दर्शित माननीय सदस्यगण एवं अधिकारीगण उपस्थित हुए।

बैठक की शुरुआत करते हुए मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा मंत्रणा परिषद के अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी का तथा सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा मंत्रणा परिषद के उपाध्यक्ष माननीय विभागीय मंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया तदुपरांत बैठक में एजेण्डा अनुसार निम्नानुसार विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिए गए :

एजेण्डा क्रमांक एक :

दिनांक 5 सितंबर, 2008 की बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि -

दिनांक 5 सितंबर, 2008 की बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र क.-एफ-20-26/आजावि/25-2/08 दिनांक 19.09.08 द्वारा माननीय सदस्यों एवं संबंधित समस्त विभागों को प्रेषित की गई थी, की पुष्टि का अनुरोध परिषद से किया गया, जिस पर कतिपय सदस्यों द्वारा उक्त कार्यवाही विवरण की प्रति तत्समय प्राप्त नहीं होने की बात कही गई। निर्देशित किया गया कि भविष्य में समस्त सदस्यों को कार्यवाही विवरण की प्रति पहुंचे इसका ध्यान रखा जावे, उपरांत उक्त कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा क्रमांक दो :

दिनांक 5-9-2008 की बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा :

2.1 ओरछा विकास खंड के 5 ग्राम, कुरुसनार, कंदाड़ी, जिबलापदर, कुंदला तथा वांशिग का जमीनी सर्वेक्षण माह अक्टूबर-नवंबर तक पूर्ण करने के संबंध में राजस्व सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मात्र 2 ग्राम कुरुसनार एवं कंदाड़ी में जमीनी स्तर पर आंशिक रूप से खसरा नंबर आदि की प्रविष्टि अभिलेखों में की गई है। ओरछा विकासखंड राजस्व अमले की कमी के कारण उपरोक्त कार्य पूर्ण करना संभव नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि राजस्व सचिव स्थानीय लोगों में से सेवा निवृत्त पटवारी, राजस्व निरीक्षक तथा तहसीलदार आदि को संविदा नियुक्ति प्रदान कर इस कार्य को संपादित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा)

2.2 विगत बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्य ग्रामों में आवास बना कर देने संबंधी प्रगति की अद्यतन जानकारी कलेक्टरों से प्राप्त की जावे। इस संबंध में राजस्व सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि चयनित ग्रामों में 15-15 आवास गृह बनाए जा रहे हैं। दोरनापाल में कार्य प्रगति पर है, दुर्गकोंदल में कार्य पूर्णता पर है, कापसी में नीव स्तर से आगे जारी है। इसी प्रकार बस्तर में 60 आवासगृहों के लिए 215.40 लाख का प्राक्कलन प्रस्तुत हुआ था जिसमें से बस्तर विकास

प्राधिकरण द्वारा 54.00 लाख का आबंटन दिया गया था जिसके विरुद्ध 51.40 लाख व्यय हो चुका है, शेष आबंटन प्राप्त होना अपेक्षित है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बस्तर में निर्माणाधीन 60 आवासगृहों की भौतिक प्रगति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया तथा कहा गया कि विगत बैठक में चयनित ग्रामों में 15-15 आवास गृह बनाने का निर्णय नहीं हुआ था, स्तुतः 15-15 आवास गृह के लिए बस्तर विकास प्राधिकरण से राशि उपलब्ध कराने की बात उन्होंने की थी, प्रत्येक चयनित मुख्य ग्राम में एक ही परिसर में आवश्यकतानुसार कम से कम 40 से 60 आवास गृह बनाए जावे। आवास गृह भूतल + दो मंजिल पैटर्न में बनाए जाएं। इस हेतु राशि की व्यवस्था बस्तर विकास प्राधिकरण के अलावा बी.आर.जी.एफ. एरिया डेव्हलपमेंट फण्ड तथा डिपार्टमेंटल फण्ड आदि से भी की जावे। ऐसे आवासीय परिसर बाउण्ड्रीवाल के अंदर एक कैम्पस में स्थित हो जिनमें भूतल पर S.P.O. तथा उपरी दो मंजिलों पर अन्य विकास विभागों के समस्त कर्मचारी एक साथ रह सके। पूर्व चयनित ग्रामों के अतिरिक्त नये ग्रामों का भी चयन करने के निर्देश दिये गये।

उपरोक्त कार्य की समीक्षा संभागायुक्त स्तर से की जावे। तथा बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र की प्रगति एवं समस्याओं पर चर्चा हेतु मंत्रणा परिषद की आगामी बैठकों में बस्तर एवं सरगुजा के संभागीय आयुक्तों को भी आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही राजस्व विभाग/संभागीय आयुक्त सरगुजा एवं बस्तर संभाग एवं आ.जा.तथा अनु. जाति वि.वि.द्वारा)

2.3 विगत बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नक्सली गतिविधियों के कारण विस्थापित आदिवासी परिवारों के व्यवस्थापन हेतु निजी भूमि के अर्जन के लिए रूपये 53.20 लाख का प्रस्ताव राजस्व विभाग द्वारा वित्त विभाग को प्रेषित किया जावे। इस संबंध में राजस्व सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि निजी भूमि के अर्जन हेतु कलेक्टर, कांकेर को रूपए 50.00 लाख आबंटित किया जा चुका है।

राजस्व सचिव द्वारा यह बताए जाने पर कि कांकेर जिले में शासकीय भूमि नहीं है सदस्यगण द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि नक्सली समस्या के निराकरण हेतु समय लग सकता है, नक्सल पीड़ितों के व्यवस्थापन हेतु और भूमि की आवश्यकता पड़ सकती है, इसी संबंध में यह भी सुझाव दिया गया कि अभिलेखों में दर्ज "छोटे झाड़ का जंगल" का उपयोग कांकेर जिले में आवासीय उपयोग हेतु करने पर विचार किया जाना चाहिए तथा इस हेतु अभी से 10-12 एकड़ में आवासीय उपयोग करने हेतु विचार किया जाना चाहिए इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भूमि बैंक की स्थापना का भी सुझाव दिया गया।

(कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा)

2.4 विगत बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रवृत्त होने के पश्चात वन भूमि पर कब्जे एवं वृक्ष कटाई सुनियोजित तरीके से किए जाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावे। इस संबंध में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के सीतानदी, बेलगुडी, मनेन्द्रगढ़, कांगेर घाटी, गरियाबंद, महासमुंद, प्रतापपुर, प्रेमनगर, सेमरसोत, पश्चिम भानुप्रतापपुर तथा पंडरियापुर इत्यादि में जहां जहां पर अतिक्रमण के प्रयास किए गए थे, को बेदखल किया गया है।

इसी संबंध में सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की प्रगति से परिषद को अवगत कराया गया कि अब तक राज्य में 1,28,467 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। जिला कोरबा, सरगुजा और जगदलपुर की प्रगति अच्छी है तथा जशपुर जिले की रिपोर्टिंग संतोषप्रद नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जशपुर से उपस्थित माननीय सदस्य से इस बाबत जानकारी लेने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वहां वन अधिकार पत्र काफी कम संख्या में वितरित हुए हैं। इस संबंध में सचिव, आदिम जाति विकास द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में जिला समिति से अनुमोदित 27,309 वन अधिकार पत्र वितरण के लिए शेष है, तथा 1,50,000 से उपर प्रकरण प्रक्रियाधीन है। इस बाबत 27,305 प्रकरण तत्काल वितरित करने तथा प्रक्रियाधीन प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही 31 दिसंबर तक पूर्ण करने हेतु मुख्य सचिव की ओर से सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखने का निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा)

2.5 विगत बैठक में बांस के प्लांटेशन, बांस के निःशुल्क वितरण तथा बांस के पौधे तैयार करने के संबंध में वन विभाग को निर्देशित किया गया था, जिस पर वन सचिव द्वारा इस वर्ष बांस के 1.25 करोड़ पौधे रोपण क्षेत्र में रोपित किए जाने, 2.75 करोड़ पौधे निःशुल्क वितरण हेतु उपलब्ध होने तथा 4 करोड़ पौधे तैयार करने की जानकारी दी गई। विगत बैठक में बांस के पौधे सड़क किनारे लगाने संबंधी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा सुरक्षा संबंधी आशंका व्यक्त करने पर निर्देशित किया गया कि सड़क के किनारे छोटे पौधे न लगाकर बड़े पेड़ लगाए जाएं इसी तरह बांस के निःशुल्क वितरण के संबंध में वन विभाग को निर्देशित किया गया कि कटघोरा एवं सरगुजा वृत्त में जो मोटे बांस लगे हैं वे अच्छे और मोटे हैं अतः उसी प्रजाति के बांस ग्रामीणों को अपनी बाड़ी में लگانे हेतु निःशुल्क दिए जावें।

(कार्यवाही वन विभाग द्वारा)

2.6 विगत बैठक में मेंहदी का उपयोग फेंसिंग के लिए करने के निर्देश दिए गये थे जिस वन वन सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष 11 लाख मेंहदी पौधे विभिन्न वन मंडलों में रोपित करने का प्रस्ताव है तथा वर्तमान में 10 लाख पौधे वितरण के लिए उपलब्ध है। इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित कन्या छात्रावासों में बाउण्ड्रीवाल की आवश्यकता होती है, जिसमें कई बार बाउण्ड्रीवाल की लागत छात्रावास भवन से भी ज्यादा हो जाती है अतः कन्या छात्रावास भवनों में बाउण्ड्रीवाल की लागत छात्रावास भवन से भी ज्यादा हो जाती है अतः कन्या छात्रावास भवनों में बारबेट वायर के साथ मेंहदी पौधे का रोपण करके बाउण्ड्रीवाल तैयार की जा सकती है। इसके लिए वन विभाग को बाउण्ड्रीवाल विहीन कन्या छात्रावास/आश्रमों की सूची उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही वन विभाग/आ.जा.तथा अनु.जाति विकास विभाग द्वारा)

2.7 विगत बैठक में निर्णय लिया गया था कि विशेष पिछड़ी जनजाति के सदस्यों के लिए रोटेशन से विधानसभा में एक सीट मनोनयन से भरने के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिख जाये जिस पर सचिव, आदिम जाति विकास द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि दिनांक 30 सितंबर, 2008 को विषयांकित पत्र माननीय प्रधान मंत्री जी को प्रेषित किया गया था जिसका प्रति उत्तर भारत सरकार के माननीय जनजाति कार्य मंत्री द्वारा दिया गया है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों को भी अन्य जनजातियों के समान अनुच्छेद 332 के तहत विधान सभा में आरक्षण प्राप्त है अतः पृथक से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसी संदर्भ में भारत सरकार के माननीय मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा यह भी सुझाव दिया गया था कि विशेष पिछड़ी जनजाति के सदस्यों को मंत्रणा परिषद में विशेष आमंत्रित के रूप में आहूत किया जा सकता है। इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि दो विशेष पिछड़ी जनजाति समाज के अध्यक्षों को रोटेशन से मंत्रणा परिषद में आहूत किया जावे।

(कार्यवाही आ.जा.तथा अनु.जाति विकास विभाग द्वारा)

2.8 विगत बैठक में निर्णय लिया गया था कि समस्त विकासखंड मुख्यालयों में 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास खोले जाए। सचिव, आदिम जाति विकास द्वारा अवगत कराया गया कि 2008-09 में 10 तथा 2009-10 में 10 पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास खोले गए हैं इस प्रकार वर्तमान में 84 विकासखंड मुख्यालयों में 50 सीटर कन्या छात्रावास खोले जा चुके हैं। शेष 62 विकासखंडों के प्रस्ताव आगामी बजट के समय प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही आ.जा.तथा अनु.जाति विकास विभाग द्वारा)

2.9 विगत बैठक में बस्तर एवं सरगुजा में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहायक कार्यालय खोलने बाबत निर्णय हुआ था जिसके संबंध में आदिम जाति विकास सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि बस्तर तथा सरगुजा जिला मुख्यालय में 1 अप्रैल, 2009 से क्षेत्रीय कार्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा उक्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्य प्रारंभ करते हुए अब तक बस्तर में 1200 एवं सरगुजा में 797 जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जा चुकी है।

सदस्यों द्वारा जाति प्रमाण पत्रों के परीक्षण में होने वाली परेशानियों, लगने वाले समय आदि के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करने पर आदिम जाति विकास सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि संस्थान द्वारा 45 कर्मचारियों अमले के साथ विगत वर्ष 38,000 जाति प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जा चुका है। इस संबंध में चर्चा में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए यह सुझाव दिया गया कि यदि 8वीं और 10वीं पास करने के बाद ही छात्रों द्वारा छान-बीन समिति से स्थाई जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन करवा लिया जावे तो भविष्य में प्रवेश एवं नियुक्ति के समय असुविधा नहीं होगी। इस संबंध में सचिव आदिम जाति विकास द्वारा अवगत कराया गया कि अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार इस संबंध में पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जावे। साथ ही सितंबर माह

के पश्चात क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जागरूकता के लिए संभाग के जिला मुख्यालयों पर कैम्प लगाकर भी जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्य किया जाये।

(कार्यवाही आ.जा.तथा अनु.जाति विकास विभाग द्वारा)

2.10 विगत बैठक में निर्णय लिया गया था कि महामहिम राज्यपाल के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 में छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षाकर्मी के पद पर विशेष पिछड़ी जनजाति के सीधे नियुक्त उम्मीदवारों का विवरण शामिल करते हुए प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किया जावे। आदिम जाति विकास सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि निर्दिष्ट विवरण शामिल करते हुए उक्त प्रतिवेदन दिनांक 30.09.2008 को राजभवन प्रेषित किया जा चुका है।

2.11 विगत बैठक में निर्णय लिया गया था कि विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के लिए शिक्षाकर्मियों की सीधी नियुक्ति की कार्यवाही विशेष कार्यक्रम आयोजित कर की जावें तथा उक्त कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जावे। पंचायत विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि व्यापम के माध्यम से नियुक्ति होने के कारण विशेष पिछड़ी जनजाति को सीधी नियुक्ति नहीं दी गई है परंतु इस वर्ष लगभग 25 हजार शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति होना है जिसमें विशेष पिछड़ी जनजातियों के लोगों को सीधी नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि शिक्षाकर्मी के अलावा विशेष पिछड़ी जनजाति के 8वीं पास, 10वीं पास तथा 12वीं पास लोगों को अन्य विभाग में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के रिक्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती की कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही सा.प्र.वि./पंचायत विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा)

2.12 विगत बैठक में निर्णय लिया गया था कि स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के स्कूलों के आपसी स्थानांतरण संबंधी विषय का निराकरण मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा सचिव तथा आदिम जाति विकास सचिव कर लें। इस संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि दिनांक 15.01.2009 को बैठक हुई थी, जिसमें जिले को इकाई मान कर कार्यवाही करने पर सहमति बनी है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि स्कूलों के आपसी स्थानांतरण पर दोनों विभाग के कर्मचारी वर्तमान में एक दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर माने जावेंगे। बाद में संविलियन की कार्यवाही भी नियमानुसार की जायेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन जिलों में आदिवासी एवं सामुदायिक विकास खंड लगभग एक बराबर है वहां विभागवार शिक्षा जिला बनाने पर भी विचार किया जा सकता है। इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही पूर्ण की जावे।

(कार्यवाही आ.जा. तथा अनु.जाति विकास विभाग द्वारा)

2.13 विगत बैठक में क्रेडा द्वारा आदिम जाति विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों में निःशुल्क सी.एफ.एल. लगाने का निर्णय हुआ था। क्रेडा द्वारा बैठक में उक्त कार्य हेतु रुपये 1.50 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त होने की तथा सी.एफ.एल. शीघ्र प्रदाय किये जाने की जानकारी दी गई।

2.14 विगत बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों की भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं शारीरिक मापदण्ड को शिथिल करने संबंधी निर्णय के संबंध में गृह विभाग ने शैक्षणिक एवं शारीरिक माप में छूट संबंधी आदेश जारी होने की जानकारी दी गई।

2.15 विगत बैठक में निर्णय लिया गया था कि जल संसाधन विभाग की ऐसी योजनाएं जिनमें आदिवासी वर्ग के हितग्राहियों/सिंचित रकबा 50 प्रतिशत से अधिक हो उसे आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में था जहां 50 प्रतिशत से कम हो वहां सामान्य बजट से स्वीकृत किया जाये।

जल संसाधन विभाग द्वारा इस संबंध में तदनुसार कार्यवाही करने बाबत अवगत कराया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि चूंकि आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में कार्य करने पर केन्द्र सरकार से 90 प्रतिशत राशि प्राप्त होती है तथा राज्य सरकार को केवल 10 प्रतिशत ही व्यय करना पड़ता है, अतः सामान्य मद के बजट प्रावधान से भी उपयोजना क्षेत्र के लिये योजनाएं तैयार की जाकर 90 प्रतिशत राशि भारत सरकार से प्राप्त करने का प्रस्ताव भेजा जाये। इसी अनुक्रम में माननीय सदस्यगण द्वारा यह भी ध्यान में लाया गया कि सिंचाई योजनाओं के मुआवजा वितरण में काफी विलंब होता है, जिससे लोगों में असंतोष उत्पन्न होता है कई बार दर परिवर्तन एवं विलंब के कारण ज्यादा मुआवजा देना पड़ता है, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा ऐसे प्रकरणों को तत्परता से निपटारे का निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही राजस्व / जल संसाधन विभाग द्वारा)

एजेण्डा क्रमांक तीन :- राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्य की ओर से महामहिम राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 पर चर्चा एवं अनुमोदन।

3. छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्य की ओर से महामहिम राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा क्रमांक चार : अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से :

4.1 माननीय सदस्य श्री सोहन पोटाई, सांसद, कांकेर लोकसभा क्षेत्र द्वारा इस विषय पर ध्यान आकृष्ट किया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात राज्य की अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या की तुलना में शासकीय सेवाओं में आरक्षण का प्रतिशत कम है जबकि अनुसूचित जाति वर्ग का जनसंख्या की तुलना में शासकीय सेवाओं में आरक्षण का प्रतिशत ज्यादा है। इस विषय पर चर्चा उपरांत माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को नियमानुसार विषय का परीक्षण करके प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। माननीय सांसद महोदय द्वारा ऐसी अनुदान प्राप्त संस्थाएं जिनके द्वारा कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण नियम का पालन नहीं किया जाता है, को भविष्य में अनुदान नहीं देने का सुझाव दिया गया।

(कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग / आ.जा. तथा अनु.जाति विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग द्वारा)

4.2 माननीय सांसद महोदय द्वारा इस विषय पर भी ध्यान आकृष्ट किया गया कि छानबीन समिति की जांच उपरांत जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी प्रमाणित हुए थे उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही न किए जाने के कारण उन्हें उच्च न्यायालय से

स्थगन प्राप्त करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। इस संबंध में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा महाधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि छानबीन समिति की जांच उपरांत कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए विभागीय जांच प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसी तारतम्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन वाले सभी प्रकरणों की एक साथ सुनवाई हेतु दिनांक 18.08.09 को नियत की गई है। तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

(कार्यवाही आ.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा सर्वसंबंधित विभाग द्वारा)

4.3 माननीय सदस्यों ने इस विषय पर ध्यान आकृष्ट किया गया कि खनिज एवं परिवहन संबंधी गतिविधियों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, अतः उक्त क्षेत्र में भी शासन की ओर से दिए जाने वाले लीज एवं ठेके में नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण किया जाए।

(कार्यवाही खनिज संसाधन एवं परिवहन विभाग द्वारा)

4.4 माननीया सदस्या श्रीमती लता उसेंडी द्वारा आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फरसगांव, जिला-बस्तर का स्तर गिरने के प्रति चिंता व्यक्त की गई तथा सभी आदर्श विद्यालयों को चिन्हांकित करके उनके संचालन हेतु पृथक नीति बनाने का सुझाव दिया गया।

(कार्यवाही आ.जा. तथा अनु.जाति विकास विभाग द्वारा)

4.5 माननीय सदस्य श्री ओमप्रकाश राठिया द्वारा आदिवासी विकास समिति के कार्यों को चालू रखने की मांग की गई। इस संबंध में वित्त सचिव द्वारा उक्त मद की पूरी राशि ऋण के रूप में प्राप्त होने के कारण कार्यक्रम पूर्ववत् चालू रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा उक्त कार्यक्रम को क्रियान्वित किये जाने हेतु वित्त की व्यवस्था बी.आर.जी.एफ. नरेगा एवं अन्य विकास मदों से करने का निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही वित्त विभाग तथा आ.जा. तथा अनु.जाति विकास विभाग द्वारा)

4.6 माननीय सदस्यों ने मुख्य मंत्री जी को यह अवगत कराया कि वर्तमान में केवल कक्षा 01 से 05 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गणवेश दिया जाता है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रमों में बालक/बालिका दोनों निवास करते हैं तथा वे वहीं रहकर अध्ययन भी करते हैं। अतः विभाग द्वारा संचालित आश्रमों में निवासरत बालक/बालिकाओं को गणवेश, स्वेटर, बैग एवं जूता-मोजा दिये जाये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने विभागीय आश्रमों में यह कार्यक्रम लागू किये जाने पर कितना व्यय आयेगा जानकारी ली। विभागीय सचिव ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि वर्तमान में विभाग द्वारा 1143 आश्रम संचालित हैं तथा इसमें 72,000 छात्र/छात्राएं निवास कर रही हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम में लगभग प्रति छात्र रु 700/- के मान से रु. 5.04

करोड व्यय भार प्रतिवर्ष आयेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम हेतु आगामी बजट में वित्तीय प्रावधान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही आ.जा.तथ अनु.जाति विकास विभाग द्वारा)

4.7 माननीय सदस्यों ने सरगुजा, जशपुर, कोरिया तथा रायगढ़ में पंडों जनजाति के कुछ लोग परिहा के नाम से जाते हैं, पण्डों जाति तथा परिहा एक जनजाति के हैं, परंतु नाम अलग दर्ज होने से उन्हें पण्डों जाति को मिलने वाली सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार जशपुर जिले में भुईहार तथा भुइंहा दोनों एक जाति के अंतर्गत है परंतु भुइंहा जाति के लोगों को भुइंहार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। माननीय सदस्य श्री फूलसिंह ने भी अपने विधान सभा क्षेत्र के बल्दा, बल्दी एक जाति के होने के बावजूद बल्दी जाति को, बल्दा जनजाति की भांति सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रही है तथा उनका प्रमाण पत्र भी नहीं बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की अन्य सभी जातियों में पाई जानेवाली विसंगतियों की परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया ताकि भविष्य में दिल्ली प्रवास के समय केन्द्रीय जनजाति मंत्रालय को भी ज्ञापन सौंपा जा सके।

(कार्यवाही आ.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं आ.जा.तथा अनु.जाति विकास विभाग द्वारा)

4.8 माननीय सदस्य श्री रामविचार नेताम, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया कि एस.पी.ओ. को वर्तमान में प्राप्त होने वाला मानदेय रूपये 1500/- उनके जीविकोपार्जन के लिये पर्याप्त नहीं है। अतः उन्हें कम से कम रु. 3000/-की मानदेय राशि दिया जाये।

(कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा)

4.9 इसी प्रकार अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासी द्वारा आदिवासियों की जमीन खरीद-फरोख्त में कलेक्टर द्वारा दी गई अनुमति में अंबिकापुर, राजपुर, लखनपुर, मैनापाट इत्यादि क्षेत्रों में काफी धोखाधड़ी हुई है, जिसका परीक्षण किया जाकर, नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा)

5 आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगीकरण के फलस्वरूप विस्थापित परिवारों को सही ढंग से व्यवस्थापन तथा मुआवजा आदि समय पर नहीं पाता जिससे उनके जीवन-यापन में कठिनाई हो रही है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि विस्थापित परिवार के सदस्यों को संबंधित उद्योगपति पढ़ा-लिखा कर शिक्षित करें ताकि वे अच्छे पदों पर काबिज हो सकें। विस्थापित परिवारों को मुआवजा के अतिरिक्त संबंधित उद्योगों में शेयर होल्डर भी बनाया जाय।

(कार्यवाही राजस्व विभाग तथा उद्योग विभाग द्वारा)

5.1 स्थानांतरण नीति की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होने यह सुझाव दिया कि नीति के अनुसार सभी वर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम 0.5 वर्ष तक आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थ किया जाय।

(कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा)

5.2 पर्यटन विभाग की वेबसाइट में "घोटुल " प्रथा के संबंध में जानकारी ठीक से नहीं दी गई है। इसमें तत्काल सुधार करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया गया।

(कार्यवाही पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा)

5.3 माननीय सदस्यों ने नरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में लगे मजदूरों की मजदूरी भुगतान में हो रहे विलंब की ओर चिंता जाहिर करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर यह अनुरोध किया गया कि भुगतान व्यवस्था में सुधार किया जावे।

(कार्यवाही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/सड़क निर्माण विभाग द्वारा)

5.4 माननीय सदस्य भीमा मंडावी से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उनके क्षेत्र में कार्य तो स्वीकृत हो परंतु वह कार्य 3-4 वर्षों से लंबित हैं। पुल-पुलिया बन रहे हैं परंतु सड़क निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है जिससे ग्रामीणों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छे ठेकेदार को लगाकर कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा)

5.5 माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 12वीं के छात्रों को रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर के उत्कृष्ट कोचिंग केन्द्रों पर IIT/AIEEE/PET/PMT के लिए कोचिंग की व्यवस्था किये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया। माननीय विभागीय मंत्री जी ने इसके लिए भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर तथा रायपुर में छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यकतानुसार छात्रावास निर्माण किये जाने की आवश्यकता बताई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही आ.जा.तथा अनु.जा.विकास विभाग द्वारा)

5.6 सचिव,आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जवाहर उत्कर्ष विद्यार्थी योजना अंतर्गत अशासकीय संस्थाओं को भुगतान की जा रही फीस की दरें अधिक होने के कारण दो-तीन स्थानों पर विभागीय उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्था में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। विषय पर चर्चा उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव से असहमति व्यक्त करते हुए विभिन्न अशासकीय संस्थाओं की बैठक बुलाकर उनके द्वारा ली जाने वाली फीस की दरों में एकरूपता लाने का निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही आ.जा. तथा अनु.जा.विकास विभाग द्वारा)

अंत में परिषद के माननीय उपाध्यक्ष, मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा बैठक में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

सही
(आर.पी. मंडल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

अध्याय – 7

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

—0—

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं। ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 बनाये गये। यह नियम भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 01 जनवरी 2008 से प्रभावशील है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2007 के क्रियान्वयन बाबत दिनांक 08.02.2008 के द्वारा समस्त कलेक्टर को निर्देशित किया जाकर दिनांक 06.10.2008 को आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, छ.ग.रायपुर को नोडल अधिकारी घोषित किया गया।

अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नानुसार छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्र./987/25-3/2008/आजावि दिनांक 07.07.2008 के द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 की कंडिका 9 के प्रावधान अनुसार निम्नानुसार राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया।

1. मुख्य सचिव, छ.ग. शासन — अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग — सदस्य
3. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व विभाग — सदस्य
4. सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग — सदस्य
5. सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्राम विकास विभाग — सदस्य
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक — सदस्य
7. जनजातीय सलाहकार परिषद के 3 अनुसूचित जनजाति सदस्य, (माननीय अध्यक्ष, आदिम जाति मंत्रणा परिषद द्वारा मनोनीत) — सदस्य
8. आयुक्त/संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ.ग. — सदस्य/सचिव

मुख्य सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य/सचिव को अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग का दायित्व सौंपा गया।

....2

छ.ग.राज्य में अधिनियम के क्रियान्वयन के अंतर्गत कुल 15,147 ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित की जाकर 14,871 वन अधिकार समितियों का गठन किया गया है। इस संबंध में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं पंचायत विभाग से समन्वय करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत पात्रता रखने वाले 209693 अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं 4940 अन्य परंपरागत वन निवासी आवेदकों को 204141.533 हेक्टेयर ,वनभूमि के अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2007 के अंतर्गत छ.ग.राज्य में कुल 486101 दावा आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें से 214633 वन अधिकार पत्रों का शत-प्रतिशत वितरण किया जाकर 204141.533 हेक्टेयर भूमि का वितरण किया गया। वन अधिकार नियम के प्रावधान अनुसार 271468 अपात्र आवेदकों के प्रकरण निरस्त किये गये। जिलावार स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	कुल प्राप्त दावा आवेदन पत्रों की संख्या	वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या	वितरित भूमि का रकबा (हेक्टेयर)	निरस्त प्रकरण	निराकरण का प्रतिशत
1.	सरगुजा	90882	26584	14298.507	64294	100.00
2.	कोरिया	26824	6643	6045.13	20181	100.00
3.	बिलासपुर	40580	11237	5912.03	29343	100.00
4.	कोरबा	46367	24674	12371.739	21693	100.00
5.	जांजगीर	2926	754	361.864	2172	100.00
6	रायगढ़	19391	4248	2477.008	15143	100.00
7.	जशपुर	13319	3554	1769.67	9765	100.00
8	राजनांदगांव	16785	5791	6809.84	10994	100.00
9	कबीरधाम	8424	4440	4421.052	3984	100.00
10	दुर्ग	1368	784	511.84	584	100.00
11	रायपुर	26442	12855	12984.51	13287	100.00
12	महासमुंद	16399	5420	4028.12	10979	100.00
13	धमतरी	11166	9321	15558.513	1845	100.00
14	जगदलपुर	108711	64180	90822.00	44531	100.00
15	कांकेर	27646	17831	21897.99	9815	100.00
16	दंतेवाड़ा	22969	11496	11199.61	11473	100.00
17	बीजापुर	3425	2298	2618.81	1127	100.00
18	नारायणपुर	2777	2523	3037.81	254	100.00
	योग	486101	214633	217126	271468	100.00

अध्याय-8

अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान

संविधान के 73 वां संशोधन एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिये पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार) केन्द्रीय अधिनियम-1996 में किये गये प्रावधानों का अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों में जागरूकता लाने हेतु राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के लिये किये गये विशेष उपबंध/प्रावधान का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) केन्द्रीय अधिनियम-1996 के उपबंध 4 का छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा कियान्वयन/पालन-

क्र.	केन्द्रीय अधिनियम में प्रावधान	राज्य शासन द्वारा किये गये प्रावधान
4(क)	पंचायतों पर कोई राज्य विधान जो बनाया जाये रूढ़िजन्य, विधि, सामाजिक और धार्मिक पद्धतियों और सामुदायिक संपदाओं की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा।	<p>छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम के अध्याय 14 क में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशेष उपबंध के रूप में पंचायतराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 एवं पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम-1999 में रूढ़िजन्य, विधि, सामाजिक और धार्मिक पद्धतियों और सामुदायिक संपदाओं की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप पंचायतों पर निम्नानुसार राज्य विधान बनाया गया है-</p> <p>कडिका-129 क</p> <p>(क) "ग्राम सभा" से अभिप्रेत है ऐसा निकाय जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनगा जिनके नाम ग्राम स्तर पर या उसके ऐसे भाग में जिसके लिये उसका गठन किया गया हो पंचायत क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित है।</p> <p>(ख) "ग्राम" से अभिप्रेत है अनुसूचित क्षेत्रों में कोई ऐसा ग्राम जिसमें साधारणतया आवास या आवासों का समूह अथवा छोटागांव या छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो।</p> <p>कडिका-129 ख</p> <p>1. राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये किसी "ग्राम" को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।</p> <p>2. साधारणतया, ग्राम के लिये, जैसे कि उपधारा (1) में परिभाषित है, एक ग्राम सभा होगी, परन्तु ग्राम सभा का गठन ऐसा चाहें तो किसी ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा का गठन ऐसी रीति में किया जा सकेगा, जैसा कि</p>

	<p>विहित किया जाए और ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा के क्षेत्र में आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हों और जो परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलों का प्रबंध करेगा।</p> <p>3. "ग्राम सभा" के सम्मिलन के लिये "ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई से गणपूर्ति होगी जिसमें से कम से कम एक-तिहाई महिला सदस्य होगी।</p> <p>4 "ग्राम सभा" के सम्मिलन की अध्यक्षता ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो पंचायत का सरपंच या उप सरपंच या कोई सदस्य न हों और उस सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों की बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिये निर्वाचित किया गया हो।</p> <p>कंडिका 129-ग</p> <p>ग्राम सभा की शक्तियों और कृत्यों का उल्लेख करते हुए निम्न प्रावधान रखे गये हैं:-</p> <p>(एक) व्यक्तियों को परंपराओं तथा रूढ़ियों उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रूढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करना।</p> <p>(तीन) ग्राम के क्षेत्र के भीतर के, प्राकृतिक स्रोतों को, जिनके अंतर्गत भूमि, जल तथा वन आते हैं, उसकी परंपरा के अनुसार और संविधान के उपबंधों के अनुरूप और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों की भावना का सम्यक् ध्यान में रखते हुए प्रबंध करना।</p> <p>(पांच) ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशु मेला सम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएं, ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रबंध करना।</p> <p>(छह) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप योजनाएं सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना, तथा</p> <p>(सात) ऐसी अन्य भाक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना ऐसी राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करें या न्यस्त करें।</p> <p>धारा 129 घ</p> <p>अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा के साधारण अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देश के अधीन शक्तियां प्रदत्त की गई हैं-</p> <p>(दो) ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशु मेला</p>
--	--

	<p>सम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएं, प्रबंध करना।</p> <p>(सात) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप-योजनाएं सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना।</p> <p>(आठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करें, या न्यस्त करें।</p> <p>कंडिका 129-ड</p> <p>1. अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान का आरक्षण उस पंचायत में उनकी अपनी-अपनी जनसंख्या के अनुपात में होगा।</p> <p>परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा परन्तु यह और भी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायतों के यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित रहेंगे।</p> <p>2. राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी जिनका अनुसूचित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, परन्तु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दशमांश से अधिक नहीं होगा।</p> <p>2. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत में अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित किये जायेंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यदि कोई हो के लिये आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस पंचायत के समस्त स्थानों तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे।</p> <p>कंडिका 129-च</p> <p>अनुसूचित क्षेत्रों में यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत को निम्नलिखित शक्तियां भी होगी-</p> <p>(एक) किसी विनिर्दिष्ट जल क्षेत्र तक के लघु जलाशयों की योजना बनाना, उन पर स्वामित्व रखना तथा उनका प्रबंध करना।</p> <p>(दो) समस्त सामाजिक सेक्टरों में उनको अंतरित संस्थाओं तथा कृत्यकारियों पर नियंत्रण रखना।</p> <p>(तीन) स्थानीय योजनाओं पर जिनमें जनजातीय उप योजनाएं सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना।</p>
--	--

		(चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृते का पालन करना जिससे राज्य सरकार, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदान करें, या न्यस्त करें।
4 (ख)	“ग्राम साधारणतया आवास या आवासों के समूह अथवा छोटागांव या छोटेगांवों के समूह से मिलकर बनेगा। जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो।”	छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के अध्याय-14 “क” अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की कडिका 129-क (ख) में निम्न प्रावधान किया गया— “ग्राम” से अभिप्रेत है अनुसूचित क्षेत्रों में कोई ऐसा ग्राम जिसमें साधारणतया आवास या आवासों का समूह अथवा छोटागांव या छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो।
4 (ग)	“प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी, जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नामों का समावेश ग्राम स्तर पर पंचायत के लिये निर्वाचक नामावलियों में किया गया है।”	छ.ग. पंचायतराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम – 1997 के अध्याय-14 “क” अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की कडिका-129 (ख) 3 में प्रावधान अनुसार साधारणतया, ग्राम के लिये, एक ग्राम सभा होगी। परंतु ग्राम सभा के सदस्य यदि ऐसा चाहें तो किसी ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा का गठन ऐसी रीति में किया जा सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए और ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा के क्षेत्र में आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हों और जो परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करेगा। छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय-14 “क” अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की धारा 129-क (क) में निम्न प्रावधान अनुसार “ग्राम सभा” से अभिप्रेत है, ऐसा निकास जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिनके नाम ग्राम स्तर पर या उसके ऐसे भाग में जिसके लिये उसका गठन किया गया हो पंचायत क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित है।
4 (घ) (19)	“प्रत्येक ग्राम सभा जनसाधारण की परंपराओं और रूढ़ियों उनकी सांस्कृतिक संपदाओं और विवाद निपटाने के रूढ़िक ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने में सक्षम होगी।”	छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय-14 “क” अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की कडिका 129-ग (एक) के अंतर्गत व्यक्तियों की परंपराओं तथा रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रूढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करने की शक्तियां और कृत्य ग्राम सभा की है।

<p>क (ड) (i)</p> <p>प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये योजनाओं कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन इसके पूर्व की ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा ऐसी योजना, कार्यक्रम और परियोजना कार्यान्वयन के लिये ली जाती है, करेगी।</p> <p>गरीबी उन्नमूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या चयन के लिये उत्तरदायी होगी।</p>	<p>छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय-14 "क" अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की धारा 129-ग (दो) प्रावधान है कि- समस्त सामाजिक सेक्टरों में ऐसी संस्थाओं तथा ऐसे कृत्यकारियों पर जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत किये गये हैं, उस पंचायत के माध्यम से नियंत्रण करने की शक्तियां और कृत्य ग्राम सभा की है।</p> <p>धारा 129-घ में प्रावधान है कि- अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा के साधारण अधीक्षण, नियंत्रण तथा निदेश के अधीन शक्तियां प्रदत्त की गई है अर्थात् प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन करने के लिए सक्षम होगी।</p> <p>छ.ग. पंचायतराज अधिनियम की धारा 7 (च) में गरीबी उन्नमूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना तथा चयन करने की शक्तियां एवं कृत्य ग्राम सभा को दी गई है।</p> <p>पंचायतराज अधिनियम की धारा 7 (छ) में हिताधिकारियों को निधियों या आस्तियों के समुचित उपयोग तथा वितरण को सुनिश्चित करने की शक्तियां और कृत्य ग्राम सभा को दी गई है।</p> <p>अधिनियम की धारा 49 क में ग्राम पंचायत के लिये अन्य कृत्य का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है- (तीन) ग्राम सभा के अनुमोदन से विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों को चुनना (दस) ग्राम सभा द्वारा की गई अनुशंसाओं और किये गये विनिश्चयों को ग्राम पंचायत कार्यान्वित करने का प्रावधान किया गया है।</p>	
<p>4(च)</p>	<p>ग्राम स्तर की प्रत्येक पंचायत से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ग्राम सभा से खंड (ड) में निर्दिष्ट योजनाओं कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उक्त पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाणन प्राप्त करें,</p>	<p>छ.ग. पंचायतराज अधिनियम की धारा 7 (ख) एवं (ड) में उल्लेखित सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिये ऐसी योजनाएं जिनमें समस्त वार्षिक योजनाएं सम्मिलित हैं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओं कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का क्रियान्वयन आरंभ करने से पूर्व अनुमोदित करने तथा निधियों के समुचित उपयोग को अभिनिश्चित करने तथा प्रमाणित करने की शक्तियां और कृत्य ग्राम सभा को दी गई है।</p>
<p>4(छ)</p>	<p>प्रत्येक पंचायत पर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण उस पंचायत में उस समुदायों की जनसंख्या</p>	<p>छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय-14 "क" अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की धारा 129-ड में निम्न प्रावधान रखे गये हैं-</p>

	<p>के अनुपात में होगा, जिनके लिये संविधान के भाग-9 के अधीन आरक्षण दिया जाना चाहा गया है।</p> <p>परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा,</p> <p>परन्तु अनुसूचित जनजातियों के अध्यक्षों के सभी स्थान सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित होंगे।</p>	<p>अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान का आरक्षण उस पंचायत में उनकी अपनी-अपनी जनसंख्या के अनुपात में होगा।</p> <p>परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा।</p> <p>परन्तु यह और भी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायतों के यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित रहेंगे।</p>
4 (ज)	<p>राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व नहीं है, नाम निर्देशन कर सकेगी, परन्तु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा।</p>	<p>छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय-14 "क" अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की कड़िका 129-ड (2) एवं (3) में निम्न प्रावधान रखे गये हैं-</p> <p>3. राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी जिनका अनुसूचित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, परन्तु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दशमांश से अधिक नहीं होगा।</p> <p>4. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत में अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित किये जायेंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यदि कोई हो के लिये आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस पंचायत के समस्त स्थानों तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे।</p>
4(झ)	<p>ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों से विकास परियोजनाओं के लिये अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन करने से पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभारित व्यक्तियों को पुनर्व्यस्थापित या पुनर्वास करने से पूर्व परामर्श किया जायेगा, अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक</p>	<p>धारा 170-ख-आदिम जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अंतरित की गई थी प्रतिवर्तन-</p> <p>(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1980 (जो इसमें इसके पश्चात संशोधन अधिनियम, 1980 के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रारंभ की तारीख को किसी ऐसी कृषि भूमि का कब्जा रखता है जो 2 अक्टूबर 1959 से प्रारंभ होने वाली और संशोधन अधिनियम, 1980 के प्रारंभ होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि के बीच, किसी ऐसी जनजाति के सदस्य की रही हो जिसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, ऐसे प्रारंभ से (दो वर्ष) के भीतर, उपखंड</p>

	<p>योजना और उनका कार्यन्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जायेगा।</p>	<p>अधिकारी को ऐसे प्ररूप से और ऐसे रीति में, जैसी कि विहित की जाय इस संबंध में समस्त जानकारी अधिसूचित करेगा कि ऐसी भूमि उसके कब्जे में कैसे आई।</p> <p>(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार जानकारी, उसमें विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर, अधिसूचित नहीं करता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसी कृषि भूमि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के रही है और वह कृषि भूमि पूर्वोक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर उस व्यक्ति को प्रतिवर्तित हो जायेगी जिसकी वह मूलतः थी और यदि वह व्यक्ति मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों को प्रतिवर्तित हो जाएगी।</p> <p>(2-क)—यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है, कि आदिम जनजाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जनजाति के भूमि स्वामी की भूमि के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिसों को प्रत्यावर्तित करेगी।</p> <p>परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह मामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी, जो ऐसी भूमि का कब्जा, निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा।</p> <p>(3) उपधारा (1) के अधीन जानकारी प्राप्त होने पर, उपखंड अधिकारी अंतरण के ऐसे समस्त संव्यवहारों के बारे में ऐसी जांच करेगा, जैसी कि आवश्यक समझी जाय और यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि आदिम जनजाति के सदस्य को उसके विधि सम्मत अधिकार से कपट वंचित किया गया है तो वह उस संव्यवहार को अकृत और शून्य घोषित करेगा और उस कृषि भूमि को अंतरण में और यदि वह मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों में पुनः निहित करने वाला आदेश पारित करेगा।</p>
4 (ज)	<p>अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों का योजना और प्रबंध समुचित स्तर पर पंचायतों को सौंपा जायेगा।</p>	<p>छ.ग. पंचायतराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के अध्याय-14 "क" अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की कंडिका 129-च(1) में निम्न प्रावधान रखे गये हैं :-</p> <p>किसी विनिर्दिष्ट जल क्षेत्र तक के लघु जलाशयों की योजना बनाना उन पर स्वामित्व रखना तथा उनका प्रबंध</p>

		करने की जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत की अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई है।
4(ट)	ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों की सिफारिशों को अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिये पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्रदान करने के पूर्व आज्ञापत्र बनाया जाएगा।	छ.ग. खनिज गौण-नियमावली 1996 के अध्याय-3 उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान करने संबंधी शक्तियों के नियम-18(2) में प्रावधान किया है कि उत्खनन अनुज्ञापत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वे उचित समझे तथा संबंधित ग्राम पंचायत की राय प्राप्त करने के पश्चात आवेदक को उत्खनन पट्टा प्रदान कर सकेगा या उसे नवीनीकृत कर सकेगा या मंजूरी से इंकार कर सकेगा।
(ठ)	नीलामी द्वारा गौण खनिजों के समुपयोजन के लिये रियायत देने के लिये ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों की पूर्व सिफारिश को आज्ञापत्र बनाया जाएगा।	
4ड (i)	मद्यनिषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभोग को विनियमित या निर्बन्धित करने की शक्ति	(अ) छ.ग. आबकारी (संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय 8 (क) अनुसूचित क्षेत्रों के लिये विशेष उपबंध की कंडिका 61 (ख) 61 (ग) 61 (घ) 61 (ड) एवं 61 (च) में निम्नलिखित प्रावधान रखे गये है। (1) अनुसूचित क्षेत्र वे क्षेत्र है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड-1 में विनिर्दिष्ट किये गये है। (2) इस अधिनियम के उपबंध में आसवन द्वारा देशी मदिरा के विनिर्माण उसके कब्जे तथा उपयोग के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे। तथापि अनुसूचित जनजातियों के सदस्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन आसवन द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण कर सकेंगे- (अ) अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण केवल घरेलू उपभोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर उपभोग के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा। (ब) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जायेगा। (स) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा के कब्जे की अधिकतम सीमा प्रति व्यक्ति 4.5 लीटर और प्रति परिवार 15 लीटर तथा विशेष परिस्थितियों में सामाजिक तथा धार्मिक समारोह क अवसर पर प्रति परिवार 45 लीटर होगी परंतु ग्राम सभा देशी मदिरा के कब्जे की

		<p>सीमा को कम कर सकेगी।</p> <p>(3) ग्राम सभा को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों के विनिर्माण, कब्जे, परिवहन, विक्रय और उपभोग को विनियमित करने तथा प्रतिसिद्ध करने की शक्ति होगी परंतु ग्राम सभा द्वारा पारित किया गया प्रतिबंध का कोई आदेश ऐसी विनिर्माण शाला को लागू नहीं होगा जो किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण में लगी हुई है तथा उपबंध के पूर्व से स्थापित है।</p> <p>(4) ग्राम सभा की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर राज्य सरकार द्वारा बगैर ग्राम सभा की सहमति या अनुज्ञा के बिना मादक द्रव्य/विनिर्माण शाला स्थापित नहीं की जायेगी तथा विक्रय के लिये नया निकास नहीं खोला जायेगा।</p> <p>(5) यदि कोई ग्राम सभा अपने क्षेत्र में किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण कब्जे, विक्रय और उपभोग को प्रतिसिद्ध करती है, तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे—</p> <p>(क) ग्राम सभा की अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों की कोई भी नई विनिर्माण शाला स्थापित नहीं की जायेगी।</p> <p>(ख) किसी मादक द्रव्य के विक्रय के लिये कोई नया निकास नहीं खोला जायेगा और विद्यमान निकास, यदि कोई हो प्रतिषेध के आदेश के जारी होने के ठीक पश्चात आने वाले आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से बंद कर दिये जायेंगे।</p> <p>(ग) कोई भी व्यक्ति, किसी ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण कब्जा, परिवहन विक्रय या उपभोग नहीं करेगा।</p> <p>(ब) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम सभा द्वारा किये गये विशिच्यों तथा पारित किये गये आदेशों को ग्राम पंचायत द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावी किया जायेगा। जहां, राज्य सरकार के प्रवर्तन अभिकरण की सहायता आवश्यक समझी जाये, वहां ग्राम पंचायत, क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी ऐसे अधिकारी के पास जाने की कार्यवाही करेगी जो अपेक्षित सहायता देने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा।</p>
4ड (ii)	गौण वन उपज का स्वामित्व	<p>राज्य में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार) अधिनियम 1996 के अनुरूप आदिवासियों को लघु वनोपज के संग्रहण पर पूरी छूट (बिना रॉयल्टी दिये) उपलब्ध है। आदिवासी समुदाय राज्य के वनों से वनोपज का संग्रहण निःशुल्क कर उसका विक्रय करने के लिये स्वतंत्र है। राज्य में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण के लिए</p>

	<p>897 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां कार्यरत हैं और इनका सामान्यतः कार्यक्षेत्र पंचायत स्तर पर ही है। अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य राज्य शासन द्वारा सहाकारी अधिनियम के अंतर्गत रास्त स्तर पर गठित एक शीर्ष सहकारी संस्था, राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघा मर्यादित के द्वारा किया जाता है। इससे संग्राहकों को उनके वनोपज का वाजिब मूल्य प्राप्त होता है। इसके अलावा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां आदिवासी समुदाय के संग्राहकों से अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय संग्रहण एवं विपणन के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार पेसा कानून की मंशा अनुरूप राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत क्षेत्र से लघु वनोपज के संग्रहण, विक्रय आदि पर स्थानीय आदिवासी समुदाय के अधिकार पूर्व से ही सुरक्षित किये गये हैं।</p> <p>छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता, सालबीज, हर्षा, कुल्लू, धावड़ा, खैर के गोंद वनोपज हैं। इनकी संग्राहकों से क्रय दरों का निर्धारण शासन द्वारा किया जाता है।</p> <p>प्रदेश में तेंदुपत्ता का व्यापार छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 से तथा अन्य वनोपजों का व्यापार छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) 1969 से नियमित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधान भी लागू हैं।</p> <p>छत्तीसगढ़ राज्य की वर्ष 2001 की वन नीति के अंतर्गत राज्य लघु वनोपज संघ को लघु वनोपज के व्यापार तथा दीर्घकालीन संरक्षण का कार्य सौंपा गया है। इसके अंतर्गत गठित जिला वनोपज सहकारी यूनियन तथा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां कार्यरत हैं। जिनके माध्यम से लघु वनोपज का संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विक्रय का कार्य किया जाता है।</p> <p>ग्राम सभा/ग्राम पंचायत सीधे लघु वनोपज के व्यापार से सम्बद्ध नहीं है। परंतु जब भी राष्ट्रीयकृत वनोपज के संग्रहण मूल्य या प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) का भुगतान किया जाता है तो पंच/सरपंच को भी उपस्थित रहने की सचूना दी जाती है।</p> <p>अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2007 तथा उसके अधीन प्रस्तावित नियमों में भी लघु वनोपज पर ग्राम सभाओं के अधिकार का उल्लेख किया गया है।</p>
--	---

4ड (iii)	अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रमण के निवारण की ओर किसी अनुसूचित जनजाति की किसी विधिविरुद्धतया अन्य संक्रामित भूमि को प्रत्यावर्तित करने के लिये उपयुक्त कार्रवाइ करने की शक्ति	(अ) उक्त प्रावधान के प्रकाश में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 05.01.98 को संहिता की धारा-170-ख में संशोधन किया गया है। संशोधन द्वारा उक्त धारा में एक नई उपधारा (2-क) जोड़ी गई है, जो निम्नानुसार है- (2-क) यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है कि आदिम जाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जाति के भू-स्वामी की भूमि के कब्जों में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिस को प्रत्यावर्तित करेगी: (ब) परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह मामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी जो ऐसी भूमि का कब्जा निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा।
4ड (iv)	ग्राम बाजारों को चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, प्रबंधन करने की शक्ति	छत्तीसगढ़ पंचायतराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 की धारा 129 (घ) की कंडिका (दो) में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध के रूप में ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशु मेला सम्मिलित है चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाए। प्रबंध करने संबंधी प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम की धारा 49 की कंडिका (18) में सार्वजनिक बाजारों तथा सार्वजनिक मेलों से भिन्न बाजारों तथा मेलों की स्थापना प्रबंध और विनियमन संबंधी कृत्य ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। धारा 49 "क" की कंडिका (दस) में यह भी प्रावधान कर दिया गया है, कि ग्राम सभा द्वारा की गई अनुशंसाओं और किये गये विनिश्चयों को ग्राम पंचायत कार्यान्वित करेगा।
4ड (v)	अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण करने की शक्ति	छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-4-52/राजस्व/2006, दिनांक 16.10.08 में संलग्न टी/अभिमत अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में साहूकारों को धन उधार देने हेतु पंजीयन कराने तथा पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।
4ड (vi)	सभी सामाजिक सेक्टरों में संस्थाओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण करने की शक्ति	छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम की धारा 129 च (दो) अनुसूचित क्षेत्रों में समस्त सामाजिक सेक्टरों में उनको अंतरित संस्थाओं तथा कृत्य कार्यों पर नियंत्रण रखने की शक्तियां जनपद तथा जिला पंचायतों को दी गई है।

4ड (vii)	“स्थानीय योजनाओं और ऐसी योजनाओं के लिये जिनमें जनजातीय उप-योजनाएं हैं स्त्रोतों पर नियंत्रण रखने की शक्ति”	छ.ग. पंचायतराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय-14-क अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की कंडिका-129-च (3) में निम्न प्रावधान किये गये हैं :- “स्थानीय योजनाओं पर जिनमें जनजाति उप-योजनाएं सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्त्रोतों के लिये स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना”
4(ढ)	ऐसे राज्य विधानों में, जो पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करें जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, यह सुनिश्चित करने के लिये रज्जोपाय अन्तर्विष्ट होंगे कि उच्चतर स्तर पर पंचायतें, निम्न स्तर पर किसी पंचायत को या ग्राम सभा की शक्तियां और प्राधिकार हाथ में न ले।	छत्तीसगढ़ प्रदेश में पंचायतराज अधिनियम की धारा 3 के तहत राज्यपाल लोक अधिसूचना (Notification) द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को पंचायतराज अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट (To specify) किया गया है। धारा 8 के अधीन पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है— (क) अधिसूचित प्रत्येक ग्राम के लिये एक ग्राम पंचायत होगी। (ख) खण्ड के लिये जनपद पंचायत। (ग) जिला के लिये जिला पंचायत का गठन किया जायेगा। अर्थात् प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू है। पंचायतराज प्रणाली की महत्वपूर्ण आधारभूत इकाई (Foundation Unit) ग्राम पंचायत और उसके क्षेत्र के भीतर समाविष्ट ग्राम सभा की स्थापना से पंचायतराज प्रणाली में विनिर्दिष्ट ग्राम की प्रशासनिक एवं विकास कार्य में भागीदारी सुनिश्चित की गई है और ग्राम पंचायत को जनपद पंचायत से तथा जनपद पंचायत को जिला पंचायत से जोड़ा गया है। किंतु इनकी स्वतंत्र सत्ता है, अलग-अलग कानूनी निकाय है, अलग-अलग कृत्य है। धारा 11 के अनुसार पंचायतों को निगमित किया गया है। जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत एक निगमित निकाय (Body Corporate) होंगी, उनका शाश्वत उत्तराधिकार (Perpetual Succession) होगा और उनकी एक सामान्य मुद्रा (Seal) होगी तथा निगमित निकाय के नाम से या उसके विरुद्ध मामले/वाद चलाये जा सकेंगे। साथ ही उन्हें जंगम या स्थावर (चल या अचल) संपत्ति अर्जित करने, धारण करने या अंतरित करने, संविदा करने और अधिनियम के प्रयोजन के लिये आवश्यक अन्य समस्त बातें करने की शक्ति होगी। प्रदेश में तीनों स्तर के पंचायतराज संस्थाओं को स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कृत्य करने के लिए समर्थ

		<p>बनाने के लिए पंचायतराज अधिनियम की धारा 7 में ग्राम सभा धारा 49 "क" में ग्राम पंचायत, धारा 50 में जनपद पंचायत, धारा 52 में जिला पंचायत के कृत्य निर्धारित करते हुये प्रावधान किये गये है। धारा 53 में पंचायतों के कृत्य के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति का भी प्रावधान स्पष्ट रूप से किया गया है।</p>
4(ण)	<p>राज्य विधान मण्डल अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरों पर पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परिकल्पना करने की छठी अनुसूची के पेटर्न का अनुरक्षण करने का प्रयास करेगा।</p>	<p>प्रदेश में पंचायतीराज अधिनियम की धारा 46 में ग्राम पंचायत की पांच स्थायी समितियां तथा धारा 47 में जनपद और जिला पंचायत की न्यूनतम पांच अधिकतम दस स्थायी समितियां गठित करने का प्रावधान किया गया है।</p> <p>जनपद पंचायतों के तथा ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का समन्वय, मूल्यांकन, मॉनिटर करना और उनका मार्गदर्शन करना, जनपद पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समग्र पर्यवेक्षण, समन्वय तथा समेकन सुनिश्चित करने, जिला के आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक योजना तैयार करना और पंचायतों को ऐसी योजना के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, पंचायतों को अंतरित किये गये कृत्यों, संकर्मों, स्कीमों तथा परियोजनाओं के संबंध में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों को जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को पुर्नआबंटित करने हेतु जिला पंचायतों को पंचायतराज अधिनियम की धारा 52 (1) (एक) (दो) (तीन) (चार) एवं (सात) में प्रावधान किया गया है।</p> <p>प्रदेश में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) को जिला पंचायत में संविलियन किया गया है।</p> <p>प्रदेश में पंचायतराज संस्थाओं (ग्रामीण एवं शहरी) के कार्य योजना अनुमोदन एवं समीक्षा हेतु जिला योजना समिति (District Planning Committee) का भी गठन किया गया है।</p>

अध्याय-9

औद्योगिक नीति -2009

राज्य शासन एतद् द्वारा घोषित औद्योगिक नीति 2009-14 दिनांक 01 नवंबर 2009 में अनुसूचित जनजातियों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु छुट एवं रियायतें

1- ब्याज अनुदान

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम श्रेणी के पात्र उद्योगों को लिये गये सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

क-सूक्ष्म एवं लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रू.10 लाख वार्षिक।</p> <p>अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रू. 20 लाख वार्षिक।</p>	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत -अधिकतम सीमा रू. 15 लाख वार्षिक।</p> <p>अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रू. 25 लाख वार्षिक।</p>
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रू. 20 लाख वार्षिक।</p> <p>अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रू. 40 लाख वार्षिक।</p>	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रू. 30 लाख वार्षिक।</p> <p>अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रू. 50 लाख वार्षिक।</p>

ख-मध्यम उद्योग		
क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 25 प्रतिशत- अधिकतम सीमा रू. 10 लाख वार्षिक। अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक।	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रू. 20 लाख वार्षिक। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रू. 40 लाख वार्षिक।
क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक। अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रू. 40 लाख वार्षिक।	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रू. 40 लाख वार्षिक। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रू. 60 लाख वार्षिक।

2-स्थायी पूंजी निवेश अनुदान -

पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योगों एवं मेगा प्रोजेक्टस एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस को निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा -

क-सूक्ष्म एवं लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रू. 30 लाख।	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत अधिकतम रू. 60 लाख

	का 30 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 90 लाख अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 100 लाख	निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 110 लाख अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु.120 लाख
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 100 लाख अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 120 लाख	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम रु. 120 लाख अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम रु 140 लाख

घ- मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट -

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक क्षेत्र से विकासशील क्षेत्रों में	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 300 लाख रु.	स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 350 लाख रु
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 350 लाख,	स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 500 लाख,

3-विद्युत शुल्क छूट-

केवल पात्र नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी :-

क-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े विकासशील क्षेत्रों में	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक छूट अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक छूट अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक छूट अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक छूट
---------------------------------------	--	---

ख- वृहद/मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा/प्रोजेक्ट-		
क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 03 वर्ष तक छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक छूट
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक छूट

4. स्टाम्प शुल्क से छूट -

स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट निम्नांकित प्रकरणों में दी जायेगी-

1. पात्र सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम, वृहद और मेगा प्रोजेक्टस एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट।
 - 1.1 भूमि, शेड तथा भवनों के क़य/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर।
 - 1.2 ऋण-अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृत दिनांक से तीन वर्ष तक।
2. औद्योगिक क्षेत्रों / औद्योगिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भू-खंडों/ औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित भूमि के प्रभावित भू-स्वामियों द्वारा भू-अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा से प्राप्त होने वाली राशि की सीमा तक भू-अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि प्राप्ति के 02 वर्ष के भीतर कृषि भूमि क़य करने पर,
3. राज्य शासन द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र/पार्क
4. औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक भू-खण्ड/औद्योगिक प्रयोजनों हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट षडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.द्वारा क़य किये गये जाने वाली भूमि पर

टीप- यह स्पष्ट किया जाता है कि स्टाम्प शुल्क की छूट औद्योगिक इकाईयों द्वारा क़य/पट्टे पर ली जाने वाली माईनिंग लीज पर प्राप्त नहीं होगी

5- औद्योगिक क्षेत्रों में भू आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत

पात्र उद्योगों को उद्योग विभाग/सी.एस.आई.डी.सी. के औद्योगिक क्षेत्रों में भू आबंटन में भू-प्रीमियम पर निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी-
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग -

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में	निरंक अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट भू-भाटक की दर पर 1 रुपये एकड़ वार्षिक	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू-प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट भू-भाटक की दर 01 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट एवं भू-भाटक की दर 01 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट एवं भू-भाटक की दर 01 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक

वृहद उद्योग/मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट-

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 10 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट एवं भू-भाटक की दर 01 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 10 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट एवं भू-भाटक की दर 01 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 10 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट एवं भू-भाटक की दर 01 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 10 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट एवं भू-भाटक की दर 01 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक
---------------------------------------	---	---

- टीप –(1)** वृहद/मेगा प्रोजेक्टस के प्रकरणों में कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को भू-प्रीमियम में प्राप्त नहीं होगी।
- (2) उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक व्यवसायिक एवं सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी एवं भू-भाटक की दर 1 रु प्रति एकड़ होगी।-
- (3) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में (उद्योग, व्यवसाय व सेवा क्षेत्र में) निःशुल्क प्लॉट आबंटन की सुविधा प्राप्त हो सके, इस हेतु औद्योगिक नीति 2009-14 के दिनांक के पश्चात राज्य शासन/ छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में 50 तक भू-खण्डों का इन वर्गों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।
- आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात का हो, से दो वर्ष तक होगी। इसके उपरांत आरक्षण समाप्त कर नियमानुसार आबंटन की जायेगी।
- (4) शासन की अनुसूचित जनजाति उप योजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत बजट प्रावधान कर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु लघु शेड बनाये जायेंगे, जो उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (5) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भूखण्ड/भूमि की मात्रा छत्तीसगढ़ उद्योग भूमि नियमों की पात्रता अनुसार निर्धारित की जायेगी।

6- परियोजना प्रतिवेदन अनुदान -

केवल पात्र नवीन सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों को उद्योग स्थापना उपरांत परियोजना प्रतिवेदन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित विवरण अनुसार अनुदान दिया जाएगा-

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग –

क्षेत्र	सामान्य एवं प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेदन का 1 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 1 लाख अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 2 लाख
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रू. 3 लाख अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 4 लाख

7. भूमि उपयोग में परिवर्तन –

केवल पात्र नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (सामान्य एवं प्राथमिकता उद्योग) को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिये भू-व्यपवर्तन शुल्क में पूर्ण छूट दी जाएगी।

8. औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू-आबंटन सेवा शुल्क –

(1) औद्योगिक प्रयोजनार्थ निजी भूमि के अर्जन पर एवं शासकीय भूमि के हस्तांतरण से संबंधित प्रकरणों में उद्योग विभाग/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योगों को निजी भूमि के अर्जन/शासकीय भूमि के आबंटन के लिए प्राप्त किए जाने वाले सेवा शुल्क नियत दिनांक 01 नवंबर 2009 से निम्नानुसार लागू किया जायेगा –

क- निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन को देय भू-अर्जन मूल्य की 5 प्रतिशत राशि

ख- औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योगों को उद्योग विभाग/सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निजी/शासकीय भूमि आबंटन पर भूमि अर्जन के मूल्य के बराबर की राशि पर 20 प्रतिशत राशि

टीपः-यह स्पष्ट किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर किये जाने वाले निजी/शासकीय भू-आबंटन प्रकरणों में भूमि मूल्य में उद्योग विभाग/सी.एस.आई.डी.सी. को देय 20 प्रतिशत भू-आबंटन सेवा शुल्क जोड़ा जायेगा। जिला प्रशासन को देय 5 प्रतिशत भू-अर्जन शुल्क भू-प्रब्याजि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

9. गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान –

राज्य में स्थापित होने वाले पात्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों (सामान्य एवं प्राथमिकता उद्योग) को आई.एस.ओ.9000, आई.एस.ओ.,14000 या अन्य समान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 50 प्रतिशत राशि

अधिकतम रू.1 लाख की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम सीमा रू.1.25 लाख होगी।

10. तकनीकी पेटेन्ट अनुदान—

राज्य में स्थापित होने वाले पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (सामान्य एवं प्राथमिक उद्योग) को पेटेन्ट प्राप्ति हेतु किये गये व्यय की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रू. 5 लाख, की प्रतिपूर्ति जाएगी। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम सीमा रू.6 लाख होगी।

11. मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान –

राज्य में फुट प्रोसेसिंग से संबंधित सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों को (केवल पोहा मिल,ऑयल मिल एवं ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट को) उद्योग हेतु आवश्यक कच्चा माल कृषि उपज मंडी समितियों से किये जाने पर मंडी शुल्क में 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा रू.5 लाख वार्षिक होगी। यह छूट वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्षों की अवधि हेतु होगी।

12. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान –

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा 5 करोड के पूंजीगत लागत तक के उद्योग स्थापना हेतु वित्त पोषण की एक पृथक योजना भी तैयार की जायेगी, जिसमें 25 प्रतिशत मार्जिन अनुदान, राज्य शासन के आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित जनजाति विशेषांश योजना से दिया जाये।

13. औद्योगिक पुरस्कार योजना –

- वर्तमान में राज्य में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में बेहतर कार्य प्रोत्साहित करने **“छत्तीसगढ़ राज्य लघु उद्योग पुरस्कार योजना”** क्रियान्वित है जिसके अंतर्गत राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की राशि बढ़ाकर क्रमशः रूपये 1,00,000, 51,000 एवं 31,000 की जायेगी।
- सूक्ष्म लघु उद्योगों द्वारा किये गये निर्यात एवं पर्यावरण संरक्षण पर किये गये उल्लेखनीय कार्य की महत्ता प्रदान करने **“लघु उद्योग निर्यात पुरस्कार”** एवं **“लघु उद्योग पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार”** भी दिये जायेंगे जिसकी राशि क्रमशः 1,00,000, 51,000 एवं 31,000 दी जायेगी। पुरस्कार राशि के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जायेगा।
- राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को औद्योगिक विकास की प्रमुख धारा में लाने हेतु केवल वर्ग के उद्यमियों हेतु ही **“छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति/जनजाति पुरस्कार योजना”** प्रारंभ की जावेगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों के तहत क्रमशः रूपये 1,00,000, 51,000 एवं 31,000 का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।
- ऐसे उद्योग जिनमें 500 से अधिक श्रमिक कार्यरत है, एवं उद्योग मे बायरल/

हेवी मशीनरी स्थापित है, में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा निर्धारित किये गये मापदंड अनुरूप औद्योगिक सुरक्षा की प्रक्रिया सुनिश्चित की है, उन्हे राज्य सरकार की ओर से **“औद्योगिक सुरक्षा पुरस्कार”** रू., 1,00,000 लाख नगद एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।

5 राज्य में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु एक **“महिला उद्यमी पुरस्कार”** योजना प्रारंभ की जायेगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों के तहत क्रमशः रूपये 1,00,000, 51,000 एवं 31,000 का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।

टीप-1-

उपरोक्त समस्त पुरस्कार एक गरिमामय कार्यक्रम में दिये जायेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन संतृप्त श्रेणी के उद्योग को प्राप्त नहीं होगी।

2- कोर सेक्टर के उद्योगों को परियोजना हेतु भूमि क्रय करने/लीज पर (माईनिंग लीज को छोड़कर) लिये जाने से केवल स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त होगी।

परिशिष्ट 1- (अ)

प्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-दो, अनुभाग-तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी, 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रकाशित अनुसूचित क्षेत्र संबंधी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्र :-

छत्तीसगढ़

- (1) सरगुजा जिला
- (2) कोरिया जिला
- (3) बस्तर जिला
- (4) दन्तेवाड़ा जिला
- (5) कांकेर जिला
- (6) बिलासपुर जिले में मरवाही, गोरिल्ला-1, गोरिल्ला-2 आदिवासी विकास खण्ड, और कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल
- (7) कोरबा जिला
- (8) जशपुर जिला
- (9) रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया जनजाति विकासखण्ड।
- (10) दुर्ग जिले में डौण्डी जनजाति विकासखण्ड
- (11) राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकासखण्ड
- (12) रायपुर जिला में गरियाबंद, मैनपुर, और छुरा जनजाति विकासखण्ड
- (13) धमतरी जिले में नगरी, (सिहावा) जनजाति विकासखण्ड

परिशिष्ट – 1 (ब)

प्रदेश का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	परियोजना	माडा	लधु अंचल
1.	बस्तर	1- जगदलपुर		
		2- कोण्डागांव		
		3- नारायणपुर		
2.	कांकेर	4- भानुप्रतापपुर		
3.	दन्तेवाड़ा	5- दन्तेवाड़ा		
		6- कोन्टा		
		7- बीजापुर		
4.	रायपुर	8- गरियाबंद	1- बलोदाबाजार	1- धुरीबांधा
5.	धमतरी	9- नगरी	2- गंगरेल	
6.	महासमुन्द		3- महासमुन्द-1	
			4- महासमुन्द-2	
7.	दुर्ग	10-डोण्डीलोहारा		
8.	राजनांदगांव	11- राजनांदगांव	5- नचनियां	
9.	कवर्धा		6- कवर्धा	2- वछेराभाटा
10.	सरगुजा	12- अंबिकापुर		
		13- सूरजपुर		
		14-पाल(रामानुजगंज)		
11.	कोरिया	15- बैकुण्ठपुर		
12.	कोरबा	16- कोरबा		
13.	बिलासपुर	17- गौरैला		
14.	जांजगीर-चांपा		7- रूकजा	
15.	रायगढ़	18- धरमजयगढ़	8- सारंगढ़	
16.	जशपुर	19- जशपुरनगर	9- गोपालपुर	

परिशिष्ट – 2 (अ)

छत्तीसगढ़ – उपयोगना क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र का परिदृश्य

(अ) छत्तीसगढ़

1. प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	1,35,133 वर्ग किमी.
2. प्रदेश की कुल जनसंख्या	208.33 लाख
3. प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	66.16 लाख
4. प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	31.76 प्रतिशत

(ब) आदिवासी उपयोगना :-

1. आदिवासी उपयोगना का क्षेत्रफल	88.000वर्ग किमी.
2. आदिवासी उपयोगना का प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत	65.12 प्रतिशत
3. कुल उपयोगना क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र	93.02 प्रतिशत
4. उपयोगना क्षेत्र की कुल जनसंख्या	91.45 लाख
5. उपयोगना क्षेत्र की जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या से प्रतिशत	43.90 प्रतिशत
6. अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या	80.03 लाख
6.1 अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या से अनु. जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत	61.03 प्रतिशत
6.2 प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	73.82 प्रतिशत
6.3 उपयोगना क्षेत्र की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या से अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत	89.88 प्रतिशत

*** **

परिशिष्ट – 2 (ब)

छत्तीसगढ़, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र की तुलनात्मक स्थिति

क्र.	विवरण	छत्तीसगढ़	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. से)	135133	88000	81861
	कुल प्रतिशत	100.00	65.12	60.58
2.	कुल जनसंख्या (लाखों में)	208.33	91.45	80.03
	कुल से प्रतिशत	100.00	43.90	38.41
3.	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या लाखों में	66.16	54.34	48.84
	कुल से प्रतिशत	100.00	82.13	73.82
4.	उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनु. जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत	—	59.42	—
5.	अनु. क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनु. जनजाति जनसंख्या	—	—	61.03
6.	अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनजाति जनसंख्या का उपयोजना क्षेत्र की अनु. जनजाति संख्या में प्रतिशत	—	—	89.88

परिशिष्ट -3 (अ)

अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं

1 अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश

राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ सभी श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष में मिलने वाले सामान्य आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त 7 दिन का अतिरिक्त अवकाश निम्न शर्तों के अधीन प्राप्त होता है। यह अवकाश स्वीकृत करने के लिये वही अधिकारी सक्षम है जो सामान्य अवकाश मंजूर करने के लिये सक्षम है। इसकी गणना कैलेण्डर वर्ष के अनुसार की जायेगी।

अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का लाभ शासकीय सेवकों को केवल अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ होने की दशा में ही प्राप्त होगा बशर्ते कि वह इस क्षेत्र में कम से कम 6 माह की सेवा पूरी कर चुका हो।

इसका लाभ केवल उन्हें ही मिलेगा जो अपने निवास स्थान से कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर नियुक्त हो।

ऐसे कर्मचारियों को जो उसी जिले के रहने वाले न हों, जहां कि वे पदस्थ हैं, एक साथ 10 दिन तक का आकस्मिक अवकाश मंजूर किया जा सकता है।

अनुसूचित क्षेत्र से आशय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये गये अनुसूचित क्षेत्र से है।

(सामान्य प्रशासन क.314/1103/1(3)/81, दिनांक 25.7.1981
तथा क. सी-3/41/83/3/1, दिनांक 11.1.1984)

2 10 दिन का अतिरिक्त अर्जित अवकाश

म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 11-3-83/नि-2/चार, दिनांक 11 जनवरी, 1984 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ सभी विभागों तथा सभी श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष में 10 दिन का अतिरिक्त अर्जित अवकाश देय है।

3. बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं

अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों के दो बच्चों तक को निकटतम आदिवासी आश्रम तथा छात्रावास में रहने की सुविधा होगी तथा शिष्यवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

उपरोक्त के अलावा आदिवासी, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक डी-113-242-25-3-83, दिनांक 4 फरवरी, 1983 के अंतर्गत जिन जिला मुख्यालयों में उच्चतर माध्यमिक स्तर के तथा महाविद्यालय स्तर के दो-दो छात्रावास खोलने की जो मंजूरी दी गई थी, उसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चों को इन छात्रावासों में प्रवेश मिल सकेगा (अधिकतम दो बच्चों तक) तथा आदिवासी छात्रों के समान और उन्ही नियमों के अंतर्गत शिष्यवृत्ति मिल सकेगा।

(वित्त विभाग क.सी-3/41/83/3/1, दिनांक 11.1.1984)

4 गृह भाड़ा भत्ता

सभी विभागों तथा सभी श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों को देय होगा—

- | | |
|--|------------|
| (1) वर्ग 1 के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये मूल वेतन का | 10 प्रतिशत |
| (2) वर्ग 2 के विकासखण्डों के लिये मूल वेतन का | 7 प्रतिशत |
| (3) वर्ग 3 के विकासखण्डों के लिये मूल वेतन का | 5 प्रतिशत |

(वित्त विभाग क्र. 11-3-83/नि-2/चार, दिनांक 25.1.1986)

गृह भाड़ा भत्ता तभी देय होगा जब संबंधित शासकीय कर्मचारी को शासन की ओर से आवास सुविधा उपलब्ध न कराई गई हो।

शासन द्वारा 1-4-2005 से पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में शासकीय सेवकों को 4 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया गया है।

अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों के मामले में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को वर्तमान गृह भाड़ा भत्ता अथवा जनसंख्या के आधार पर ज्ञापन दिनांक 19.04.2005 के अनुसार देय गृह भाड़ा भत्ता, इनमें से जो भी अधिक हो, की दर से गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश दिनांक 1.4.2005 से लागू माना गया है।

(वित्त विभाग क्र.302/622/वि/नि/चार/2005, दिनांक 27.7.2005)

5. लायसेंस शुल्क

यदि संबंधित कर्मचारी को शासन की ओर से आवास गृह आवंटित किया जाता है तो उससे आवास गृह का लायसेंस शुल्क निम्नानुसार दर से वसूल होगा—

- | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
| (1) वर्ग 1 व 2 के क्षेत्रों के लिए | — | कुछ नहीं |
| (2) वर्ग 3 के क्षेत्रों के लिए | — | निर्धारित दर से 2-1/2 प्रतिशत कम |

टिप्पणी— आवास गृह भत्ता एवं विशेष भत्ता केवल उन्हीं शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को देय होगा जो—

- (क) उस विकासखण्ड के मूल निवासी न हों, जहां वह पदस्थ है, तथा

(ख) अपने स्थाई निवास के ग्राम या नगर से कम से कम 20 किमी. दूर पदस्थ हों।

6 अनुसूचित क्षेत्र भत्ता (01.07.2006 से लागू)

क्र०	वेतन रेंज	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1	2	3	4	5
1	रूपये 2600/-प्रतिमाह तक	120/-	80/-	40/-
2	रूपये 2601/-से 3000/-प्रतिमाह तक	180/-	120/-	60/-
3	रूपये 3001/-से 4600/-प्रतिमाह तक	240/-	160/-	80/-
4	रूपये 4601/-से 5900/-प्रतिमाह तक	300/-	200/-	100/-
5	रूपये 5901/-से 7100/-प्रतिमाह तक	360/-	240/-	120/-
6	रूपये 7101/-से 10000/-प्रतिमाह तक	450/-	300/-	150/-
7	रूपये 10000/-से अधिक	600/-	400/-	200/-

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग क्रमांक 218/ सी-235/ वित्त/ नियम/चार/2006, दिनांक 29 जून 2006 द्वारा दरें घोषित की गई। ये संशोधित दरें दिनांक 1.7.2006 से लागू। म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 11.03.96 की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

अन्य शर्तें-

- 1 इन आदेशों के अंतर्गत देय निश्चित अनुसूचित क्षेत्र भत्ता परिशिष्ट 3''ब'' अनुसार वर्गीकृत विकास खण्डों में देय होगा।
- 2 उपरोक्त पुनरीक्षण के कारण फलस्वरूप यदि किसी कर्मचारी को पूर्व की तुलना में कम राशि प्राप्त होती है तो उसे पूर्व में प्राप्त हो रही राशि के बराबर राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- 3 विकासखण्डों के परिशिष्ट 3''ब'' अनुसार वर्गीकरण के फलस्वरूप जो विकास खण्ड इन आदेशों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र विशेष भत्ता प्राप्त करने के लिये अपात्र हो गये हैं, उन विकासखण्डों को एक पृथक श्रेणी के रूप माना जाकर वहां पदस्थ कर्मचारियों को वर्तमान दर से देय भत्ते की सीमा पर सीमित करते हुए यह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- 4 अनुसूचित क्षेत्रों में उपलब्ध अन्य सुविधायें पूर्ववत् रहेंगी।

(वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ-आर-17-01/96/चार/ब-9, दिनांक 11.3.1996)

इन आदेशों के अंतर्गत देय विशेष भत्ता केवल उन्हीं शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को देय होगा जो अपने गृह नगर/ग्राम से 8 (आठ) कि.मी. से अधिक दूरी पर पदस्थ हों। परन्तु

आवास गृह भत्ता सभी कर्मचारियों को देय होगा भले ही वे अपने गृह नगर/ग्राम से 8 किमी.के अन्दर ही पदस्थ हों।

गृह नगर/ग्राम वही माना जावेगा जो कर्मचारी द्वारा दिनांक 11.01.84 से पूर्व घोषित किया गया है। साथ ही गृह नगर/ग्राम से आशय न केवल घोषित गृह नगर/ग्राम से है वरन् ऐसे स्थान से भी है जहां कर्मचारी ने अपने अथवा, अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम अचल सम्पत्ति (भूमि अथवा भवन) अर्जित कर ली हो।

स्पष्टीकरण- वह स्थान जहां भूखण्ड स्थित है संबंधित कर्मचारी का गृह नगर/ग्राम तब तक नहीं माना जावेगा जब तक कि उस पर मकान नहीं बना लिया जाता है।

यह लाभ नियमित कर्मचारियों की भांति वर्कचार्ज तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी देय है।

(वित्त विभाग क्रमांक एफ.बी. 11/3/83/नि.-2/चार, दिनांक 25.1.86, 7.5.86,
29.3.86 एवं 19.9.86)

परिशिष्ट -3 (ब)

विकासखण्डों का वर्गीकरण

जिला	विकासखण्ड	जिला	विकासखण्ड
प्रथम श्रेणी के विकासखण्ड			
1.	रायगढ़		राजपुर
2.	सरगुजा	3. बस्तर	दरभा
	मनोरा		बस्तानार
	कुसमी		बकावड
	ओडगी		लोहांडीगुडा
	प्रतापपुर		सरोना
	रामानुजगंज		कोंटा
	सोनहट		
	चन्द्रमेड़ा		
	वाङ्गफनगर		
3.	बस्तर		
	उसूर		
	कुआकोंडा		
	कटेकल्याण		
	माकड़ी		
	दुर्गकोंडल		
	कोइलीबेड़ा		
	ओरछा		
	बड़ेराजपुर		
द्वितीय श्रेणी विकासखण्ड			
1.	रायगढ़		
	बगीचा		
	दुलदुला		
	लैलूंगा		
	तमनार		
2.	सरगुजा		
	मैनपाट		
	उदयपुर		
	धोरपुर		
	रामचंद्रपुर		
	बलरामपुर		
	शंकरगढ़		
	प्रेमनगर		
	भरतपुर		
	खेलगंधा		
तृतीय श्रेणी विकासखण्ड			
		1. रायपुर	मैनपुर
			छुरा
		2. राजनांदगांव	मानपुर
		3. रायगढ़	कांसावेल
			तपकरा
			कुनकुरी
		4. बिलासपुर	पोंडीउपरोडा
			करतला
			मरवाही
			गौरेला (1)
			गौरेला (2)
			पाली
		5.सरगुजा	बतौली
			सीतापुर
			लखनपुर
			बैकुंठपुर

क.	जिला	विकासखण्ड	जिला	विकासखण्ड
		तृतीय श्रेणी विकासखण्ड		छिन्दगढ़
4.	बस्तर	नारायणपुर		सुकमा
		अन्तागढ़		बीजापुर
		फरसगांव		भैरमगढ़
		बस्तर		भोपालपट्टनम
		दंतेवाड़ा		
		गीदम		



छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 20 मई 2009

क्रमांक/एफ-20-2/25-2/आजाकवि/2009 आदिम जाति मंत्रणा परिषद नियमावली, 2006 के उप नियम 3 एवं 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिये विभाग के आदेश दिनांक 26.07.2006 द्वारा आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया था। उक्त आदेश को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा निम्नानुसार आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन करता है :

1.	मान. मुख्यमंत्रीजी	अध्यक्ष
2.	मान.प्रभारी मंत्रीजी,आ.जा.तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	उपाध्यक्ष
3.	मान.श्री बलीराम कश्यप, सांसद, बस्तर	सदस्य
4.	मान.श्री विष्णुदेव साय, सांसद, रायगढ़	सदस्य
5.	मान.श्री. सोहन पोटाई, सांसद, कांकेर	सदस्य
6.	मान.श्री राम विचार नेताम, विधायक,पाल (अनु.ज.जा.)	सदस्य
7.	मान.श्री सिद्ध नाथ पैकरा, विधायक सामरी (अनु.ज.जा.)	सदस्य
8.	मान.श्री ओम प्रकाश राठिया, विधायक, धरमजयगढ़ (अनु.ज.जा.)	सदस्य
9.	मान.श्री ननकी राम कंवर, विधायक,रामपुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
10.	मान.श्री फूलचंद सिंह, विधायक, भरतपुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
11.	मान.श्री जागेश्वर राम भगत, विधायक, जशपुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
12.	मान.श्री डमरूधर पुजारी,विधायक, बिन्द्रानवागढ़ (अनु.ज.जा.)	सदस्य
13.	मान.श्रीमती नीलिमा सिंह, टेकाम, विधायक,डौंडी लोहारा (अनु.ज.जा.)	सदस्य
14.	मान.श्री ब्रम्हानंद विधायक, भानुप्रतापपुर, (अनु.ज.जा.)	सदस्य
15.	मान.श्रीमती सुमित्रा मारकोले, विधायक,कांकेर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
16.	मान.श्री सेवकराम नेताम, विधायक,केशकाल, (अनु.ज.जा.)	सदस्य
17.	मान.सुश्री लता उसेण्डी, विधायक,कोण्डागांव(अनु.ज.जा.)	सदस्य
18.	मान.डॉ.सुभाउ कश्यप,विधायक,बस्तर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
19.	मान.श्री भीमा मण्डावी, विधायक,दंतेवाड़ा, (अनु.ज.जा.)	सदस्य
20.	मान.श्री महेश गागड़ा, विधायक,बीजापुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
21.	सचिव,छत्तीसगढ़ शासन,आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग (अनु.ज.जा.)	सदस्य

2. विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे विधानसभा के सदस्य रहेंगे, अन्य सदस्य परिषद में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद के सदस्य रहेंगे।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार**

(डॉ. अनिल चौधरी)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग

क्रमांक / एफ-20-2 / 25-2 / आजाकवि / 2009 / रायपुर, दिनांक 20 मई 2009
प्रतिलिपि,

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
3. निज सचिव, मान.मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग, रायपुर
4. समस्त मान. सदस्यगण(नाम से).....
5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
6. विभागाध्यक्ष (समस्त).....
7. कलेक्टर (समस्त) जिला.....(छ.ग.)
8. उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर अग्रेषित, कृपया इसे राजपत्र में प्रकाशित करवाएं तथा इसकी 100 प्रतियां इस विभाग को भिजवाएं
9. आर्डर बुक

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग